पंचम माला, खंड 27, अंक 45, गुरुवार, 26 अप्रैल, 1973/6 वैशाख, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVII, No. 45, Thursday, April 26, 1973/Vaisakha 6, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें हिन्दी/अंग्रेजी म दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha **Debates** and contains Hindi/English translation of speeches etc. in **Hindi/English**]

73-M/J(D)5LSS—2

विषय सूची/CONTENTS

अंक 45, गुरुवार, 26 अप्रैल, 1973/6 वैशाख, 1895 (शक)

No. 45, Thursday, April 26, 1973/Vaisakha 6, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
861.	मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में अग्निकांड की जांच	Enquiry into fire incident in Ordnance Factory at Muradnagar (U.P.)	1—2
862.	1965 के युद्ध की अतिगोपनीय योजना का भेद खुल जाना	Leakage of top secret plan in 1965 war	2—7
863.	बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली परिवहन एजेंसियां	Transport agencies in Bihar not covered under E.P.F. Act	7—8
864.	बिजली बदल योजना के लिये मशीनें बनाने की समेकित फैक्ट्री	Integrated factory to manufacture machines for electric bulb industry	8—9
865.	मुआवजे से भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम का संशोधन	Amendment of Coking Coal Mines Nationalisation Act, to recover Provident Fund Dues from compensation.	9—12
866.	जबलपुर स्थित नई आटोमोबाइल फैक्ट्री में जीपों और ट्रकों का उत्पादन	Production of jeeps and trucks by new Automobile Factory, Jabalpur	12—14
867.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर वेतन आयोग का प्रतिवेदन लागू करना	Application of Pay Commissions Report to E.P.F. Organisation	14—15
868.	सरकारी उपयोग के लिये नारियल जटा के सामान की खरीद	Purchase of Coir goods for Government use	15—18
869.	गुजरात सरकार की ट्रैक्टर संबंधी आवश्यकता	Requirement of Tractors by Gujarat Government	18
870.	नेपाल में सुनावली-पोखरा रोड के निकट चीन द्वारा कपास की खेती	Chinese Cotton farms near Sunawali-Pokhara Road in Nepal	19—20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
871.	पन्ना की हीरे की खानों का बन्द होना	Closure of Panna Diamond Mines	21
872.	भिलाई इस्पात संयंत्र	Bhilai Steel Plant .	21—22
873.	हिन्द महासागर में चीन का प्रभाव	Chinese influence in Indian Ocean. . . .	22—23
874.	भारतीय तांबा निगम में अयस्क और धातु के निर्धारित उत्पादन में अत्याधिक कमी	Serious shortfalls in production schedules of Ore and Metal in Indian Copper Corporation . .	23
875.	रक्षा आवश्यकताओं में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in defence needs	23—24
876.	आर० पी० एफ० सी० बिहार के कार्यालय की लेखा शाला में गबन	Defalcation in Accounts Branch, Office of R.P.F.C., Bihar . .	24
877.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला धोने के कारखानों में घाटा	Losses in coal washeries of N.C.D.C. . . .	24—25
878.	रक्षा-उत्पादन एककों द्वारा नागरिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	Production of civilian goods by Defence Production Units	26
880.	छावनी बोर्ड, कम्पटी के उपाध्यक्ष से प्राप्त याचिका	Petition received from Vice-President, Cantonment Board, Kampti . .	26
8222.	विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी टाइपिस्ट	Hindi Typists in Indian Missions abroad . .	27
8223.	बेलाडिला लोह अयस्क संयंत्र के कारण नदी जल का दूषित होना	Pollution of river water due to Beladila Iron-Ore Plant . . .	27
8224.	मारूति लिमिटेड को दिये गये आशयपत्र की अवधि बढ़ाना	Extension of letter of intent to Maruti Ltd. . .	28
8225.	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम निगम में तालाबन्दी	Lock out in Hindustan Aluminium Corporation	28
8226.	वैग निगम की स्थापना	Setting up of wagon Corporation . , .	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
8227.	न्यायधीश महाधिवक्ता के विभाग द्वारा अल्प सेवा कमीशन की पेशकश	Offer by Department of Judge Advocate General for Short Service Commission . .	29
8228.	फ्रांस में भारतीय दूतावास के लिये इमारत का वार्षिक किराया और रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on Annual Rent and Maintenance of building for housing Indian embassy in France . . .	30
8229.	दण्डकारणय परियोजना के मलकनगिरि जोन में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को वार्षिक वेतन-वृद्धि न मिलना	Increment not received by Primary School Teachers in Malkangiri zone of Dandakaranya Project	30
8230.	बैजनाथ-पालमपुर सड़क पर कार, जिसमें सम्माननीय छोगहिंग रिमोचो सवार थे, की सैनिक ट्रक से भिडन्त	Collision of a military truck with car carrying Rev. Chhogling Rinpoche on Baijanath-Palampur Road . .	30—31
8231.	डाक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों को फैक्ट्री व दुकान कानून के अन्तर्गत लाने के लिये बिल	Bill to bring doctors and Hospitals employees under the Factory and Shops Act . . .	31
8232.	उत्तर प्रदेश में विभिन्न खनिजों का पता लगाना	Discovery of various Minerals in U.P. . .	31—32
8233.	कोयले के छोटे व्यापारियों से शिकायत	Complaint from small coal traders . . .	32
8234.	एक विदेश फर्म द्वारा एवरो-748 का परीक्षण	Testing of Avro-748 by a U.K. Firm . . .	33
8235.	रणस्थल में भाग जाने वाले (डेज़रटर)-को शौर्य-पुरुस्कार	Deserter honoured for bravery . . .	33
8236.	मैगनीज ओर (इण्डिया) के कार्यों में अनियमितताएं	Irregularities in functioning of Manganese Ore (India) . . .	34
8237.	इस्लामी विदेश मंत्री के सम्मेलन में युद्धबंदियों के मामले का उठाया जाना	POW's issue raised at Islamic Foreign Ministers' Conference .	34—35
8238.	चीन द्वारा तटीय जल संबन्धी घोषणा	Declaration of Coastal Waters by China .	35—36
8239.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मैसर्ज बरुआ रैस्टारैंट को आपराधिक मामलों से बरी किया जाना	Acquittal of M/s Barua Restaurant from criminal cases under E.P.F. Act . . .	36

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8240.	फिज़ी और मोरीशस में हिन्दी-भवनों की स्थापना	Setting up of Hindi Bhavans in Fiji and Mauritius . . .	36
8241.	झुमरी तलैया, हजारीबाग स्थित सैनिक स्कूल में दाखिले के नियम और विनियम	Rules and Regulations re: admission in Sainik School at Jhumritillaiya Hazaribagh . . .	37
8242.	श्री नगर-लेह सड़क से बर्फ हटाना	Clearing of snow from Srinagar Leh Road .	37
8243.	कपड़ा मिल मशीनों का उत्पादन	Production of Textile Machinery . . .	37—38
8244.	देश में नियमित ट्रैक्टरों के मध्य में वृद्धि	Rise in prices of Tractors manufactured indigenously . .	38—39
8245.	स्कूटरों के उत्पादन के लिये ग्यारह और एकक	Eleven more units for production of scooters .	39
8246.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ऑटोमेटिक घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Automatic Watches by H.M.T. .	39
8247.	युद्ध बंदियों की रिहाई के प्रचार के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध-बन्दियों की पत्नियों का पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल	Pak Delegation consisting of POW's wives to U.N. to propagate release of POWs . .	40
8248.	ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन के दल का भारत का दौरा	Visit of British Aircraft Corporation team to India . . .	40
8249.	गुजरात में उगांडा के प्रत्यर्वातित व्यक्ति	Uganda repatriates in Gujarat . . .	40—41
8250.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मैसर्ज नेशनल इंजीनियरिंग दुमका के विरुद्ध अत्याधिक मामले	Criminal cases against M/s National Engineering, Dumka, under Section 14 of E.P.F. Act .	41
8251.	ब्रितानिया इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा (पटना) का बंद होना	Closure of Britannia Engineering Company, Makama (Patna) . .	41—42
8253.	शक्तिमान ट्रक का निर्माण	Production of Shaktiman Trucks . . .	42
8254.	बंबई में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से मुक्त एककों द्वारा निरीक्षण-शुल्क न दिया जाना	Non-payment of Inspection charges by exempted units under E.P.F. Act in Bombay . .	43

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8255.	बिहार राज्य में छूट प्राप्त एककों में कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund in Bihar State exempted Units . . .	43
8256.	डालमिया नगर के कारखानों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ न दिया जाना	Non-extension of Provident Fund benefit to labourers by contractors in factories in Dalmianagar .	44
8257.	मध्य प्रदेश के शिविरों में शरणार्थी	Refugees in camps in Madhya Pradesh . .	44—45
8258.	बजाज (वैस्पा) ग्रौर लैम्बरैटा स्कूटरों का उत्पादन	Production of Bajaj (Vespa) and Lambretta scooters . . .	45
8259.	भविष्य निधि ग्रधिनियम का प्रवर्तन	Enforcement of Provident Fund Act	45
8260.	फील्ड मार्शल मानेकशा द्वारा पाकिस्तान की शक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement by Field Marshal Manekshaw re: Pakistan's strength .	46
8261.	टिक्का खां का ग्रमरीका का दौरा	Tikka Khan's visit to U.S.A. . . .	46
8262.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ग्रौर स्टील ग्रथौरिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड के बीच कार्यों का सीमा–निर्धारण	Demarcation of functions between HSL and SAIL	46—47
8263.	युद्धबंदियों की रिहाई के लिये जोर्डन की संसद का संकल्प	Resolution by Jordanian Parliament for release of POWs . .	47—48
8264.	बंगला-देश विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Bangladesh Refugees .	48—49
8265.	कलकत्ता मैदान का नाम बदलकर नेताजी मैदान रखना	Renaming of Calcutta Maidan as Netaji Maidan	50
8266.	ईंट तथा मिट्टी के खपरैल के उद्योगों का विकास	Development of brick and clay tile industries	50
8267.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि ग्रायुक्तों तथा सहायक भविष्यनिधि ग्रायुक्तों की वित्तीय शक्तियां	Financial powers of R.P.F.Cs. and A.P.F.Cs. to E.P.F. Organisation .	51
8268.	मनीपुर में मजदूर संघों को मान्यता देना	Recognition of Trade Unions in Manipur	51—52
8269.	विदेशी भाषाग्रों को सीखने के लिये योजनायें	Schemes for learning Foreign Languages .	52—53

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8270.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का भूसर्वेक्षण करना	Conducting of Geological Survey of North Eastern Region . . .	53
8271.	अतिरिक्त रक्षा अकादमियों की स्थापना	Establishment of more Defence Academies .	53—54
8272.	बंगला देश को ऋण और अग्रिम राशि दिया जाना	Loans and Advances to Bangladesh . .	54
8273.	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	Public Sector Projects .	54—55
8275.	क्षेत्रीय सुरक्षा निधि कार्यालयों में भविष्य निधि लेखों का हिसाब न रखना	Non-maintenance of G.P.F. accounts in Regional Security Fund Offices .	55—56
8276.	स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के सचिव की नियुक्ति के बारे में कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा अभ्यावेदन	Representation of Institute of Company Secretaries re: appointment of Secretary of SAIL .	56
8277.	कोयला खानों के प्रबंध कोयले के उत्पादन और उनके बिक्री पर राष्ट्रीयकरण का प्रभाव	Impact of Nationalisation of Coal Mines Management and production and sale of coal . .	56—57
8278.	राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सैना का जमाव	Concentration of Pakistan's Army on Rajasthan Border . . .	57
8279.	ब्रिटेन स्थित लफाबोरफ होजरी फैक्ट्री में भारतीय, श्रमिकों के साथ जातीय भेदभाव	Racial discrimination against Indian workers in Loughborough Hosiery Factory in Britain .	57—58
8280.	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का प्रादेशिक कार्यलय स्थापित करना	Setting up of Regional Offices of Iron and Steel Controller . . .	58
8281.	विभिन्न इस्पात संयंत्रों में दोषपूर्ण 'कटिंग' और 'स्क्रैप' की मात्रा	Defective Cuttings and Scraps in various Steel Plants . . .	58—59
8282.	हज-यात्रियों को पासपोर्ट देना	Grant of passports to Haj Pilgrims . .	60—61
8283.	श्रमिकों का उद्योगों की प्रबंध-व्यवस्था में योगदान देने के लिये प्रशिक्षण	Training for worker's participation in Management of industries .	61
8284.	भारत में संस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in India	61—62
8285.	विदेशी सैनिक विमानों को भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति तथा भारतीय सैनिक विमानों को विदेशों के ऊपर से उड़ने की अनुमति	Permission to Foreign Military aircraft to fly over India and vice-versa . . .	62—63

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8286.	भारत संबंधी मामलों पर जापानी संसदों की समिति	Committee of Japanese Parliamentarians on Indian Affairs . .	63
8287.	अग्निगुंडाला बैहर में तांबा सीसा खनन में हुई प्रगति	Progress achieved in Copper/Lead mining in Agnigundala Belt .	63 – 64
8288.	पैट्रोल से चलने वाले जहाज के लिये निविदाये	Tender for building Petrol Crafts . . .	64
8289.	भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापारियों नाविकों तथा असैनिक यात्रियों का आदान-प्रदान	Exchange process of Merchant Seamen and Civilian Passengers between India and Pakistan . . .	64
8290.	उड़ीसा में प्राईवेट पार्टियों को खानों के पट्टे देना	Mining leases to Private Parties in Orissa . .	65
8291.	खान सुरक्षा के लिये प्रचार विभाग	Publicity Department for Mines Safety . .	65
8292.	भारतीय शिविरों से पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों के भाग निकलने में पाकिस्तानी गुप्तचरों का हाथ	Pakistan spies involved in escape of Pakistan POWs from Indian Camps . . .	65
8293.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया साक्षात्कार	Interview conducted by Hindustan Steel Ltd. .	65
8294.	बिड़ला परिवार के उद्योगों में छटनी	Retrenchment in Birla House industries .	66
8295.	तुर्की में कुछ धार्मिक पुस्तकों पर लगाये गये प्रतिबंध के विरूद्ध प्रदर्शन	Demonstration against ban on some religious books in Turkey . . .	66
8296.	अमरीका के सातवे बेड़े का एशियाई समुद्र में रहना	U.S. Seventh Fleet to remain in Asian waters .	67
8297.	विदेश मंत्री द्वारा मई तथा जून के दौरान प्रस्तावित विदेश यात्रा	Proposed foreign visits by Minister of External Affairs during May and June	67
8298.	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ का विस्तार करने हेतु आस्ट्रेलिया की योजना	Australian Scheme for expanding Association of South East Asian Nations . . .	67—68
8299.	बर्न कम्पनी के प्रबंध का अधिग्रहण	Taking over Managment of Burn . . .	68
8300.	बोकारो इस्पात कारखाने में भर्ती	Recruitment in Bokaro Steel Plant . .	68—69

ता०प्र० संस्था विषय S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8301.	एक उद्योग के लिये एक संघ	One Union for one industry	69
8302.	भारतीय वायु सैना के लिए लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान	Long range aircraft for I.A.F.	69
8304.	भारतीय सेना के बैंड के संगीत के लांगप्लेहंग रिकार्ड का निर्माण तथा उनकी बिक्री	Manufacture of Long Playing Records of Indian Military Band Music and their sale .	69—70
8305.	मिस्र के मंत्री द्वारा अस्लामिक सम्मेलन में युद्ध-बंदियों के मामले पर पाकिस्तान प्रस्ताव के विरोध का आश्वासन	Assurance from Egyptian Minister to oppose Pak move on POWs at Islamic Conference .	70
8306.	एक भारतीय शिविर में एक पाकिस्तानी युद्धबंदी द्वारा दूसरे पाकिस्तानी युद्धबंदी की हत्या	Pakistani POW killed by Pak POW in a camp of India	70
8307.	मशीन टूल इन्डस्ट्री के लिये एक होल्डिंग कंपनी की स्थापना	Setting up of a Holding Company for Machine Tool Industry . .	71
8308.	विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन की ओर से अभ्यावेदन	Representation from University Employees Union	71
8309.	दिल्ली में कोयले के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of coal in Delhi	71
8310.	युद्ध-बंदियों संबंधी भारतीय नीति का अन्य देश द्वारा समर्थन	Foreign support on India's stand over POWs .	72
8311.	कुमाउं की पहाड़ियों में तांबा कोयला और लोहे के निक्षेप	Deposits of Copper, Coal and Iron in Kumaon Hills	72
8312.	नांगलराय, नई दिल्ली की भूमि	Land of Nangal Rai, New Delhi	72—73
8313.	रक्षा प्रतिष्ठानों में विभिन्न व्यवसायों के पुनर्वर्गीकरण के लिये न्यायकरण की स्थापना	Appointment of a Tribunal to reclassify various trades in Defence Establishments . .	73
8314.	नियोक्ताओं के द्वारा श्रमिकों के देय भविष्य निधि की राशि की उगराही	Realisation of workers' contribution of Provident Fund dues from Employers . .	73—74
8315.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा से लगे क्षेत्र में प्रक्षेपणास्त्र अड्डे स्थापित करना	Setting up of missile bases by Pakistan in areas adjoining Indian borders	74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8316.	युद्ध-बंदियों के प्रश्न पर पश्चिम से पाकिस्तानी अभियान	Pak Campaign in West on POWs issue . .	75
8317.	पशुपतिनाथ से वापसी यात्रा पर नेपाल में 22 भारतीयों की मृत्यु	Death of 22 Indians in Nepal on return journey from Pashupatinath .	75—76
8318.	अयात उद्योगों के लिये लाइसेंस धारी फर्मों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiries against Firms having licences for Steel Industry . .	76
8319.	उत्तर बंगाल में रक्षा उत्पादन कारखानों की स्थापना	Setting up a Defence Factory in North Bengal	76—79
8320.	उत्तर बंगाल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त अनुरोध	Request from West Bengal to set up a Sainik School in North Bengal . .	79
8321.	कम-राख वाले कोयले के निक्षेपों का उपयोग	Use of Low Ash Coal Deposits . .	79—80
8322.	मध्य प्रदेश में कोयला खान मजदूरों को सुविधायें	Facilities to coal mine workers in Madhya Pradesh . . .	80
8323.	मध्य प्रदेश में कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला खान मजूरी बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of Coal Mines Wage Board Award by Coal Mine owners in Madhya Pradesh . . .	80
8324.	मध्य प्रदेश मे राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोदाम	Godowns in Rourkela Steel Plant in M.P. . .	80—81
8325.	प्रधान मंत्री के दौरे पर खर्च हुई रशि का भुगतान	Payment of amount spent on P.M.'s tour . .	81
8326.	आयु के प्रमाण के लिये वैद्य माने जाने वाला दस्तावेज	Valid document for proof of age . . .	81—82
8327.	सी० ओ० डी० देहू रोड में कार्य कर रहे आर्टिजन	Services of artisans working in C.O.D. Dehu Road .	82
8328.	अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers	82
8329.	छोटा नागपुर और संथाल-परगना में कोयले के उत्पादन में कमी होना	Production of coal going down in Chotanagpur and Santhal Parganas .	82—83
8331.	चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस्पात और विशेष इस्पात का बनाया जाना	Manufacture of steel and special steel during Fourth and Fifth Five Year Plans . . .	83

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8332.	युद्ध-बंदियों के बारे में ब्रिटिश समाचार पत्रों में पाकिस्तानी विज्ञापन	Pak advertisment in British Paper on POWs . .	83—84
8333.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि	Losses in National Coal Development Corporation . .	84
8334.	नकद आय और वास्तविक आय के आंकड़े	Index of money earnings and real earnings .	85
8335.	श्रमिक कानूनों के लिये निश्चित समाजवादी निदेश	Positive socialistic direction to Labour Legislation .	85
8336.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों में वैगनों में लदान करने के काम में लगे मजदूर	Labourers engaged in wagon loading work in mines of N.C.D.C. .	85—86
8337.	हिन्दुस्तान मोटर्ज लिमिटेड द्वारा कारें सप्लाई किया जाना	Supply of cars by Hindustan Motors Ltd..	86
8338.	इस्पात उद्योग के छोटे कारखानों द्वारा जमा की जाने वाली राशि	Deposits by small scale units of steel industry .	86—87
8339.	भारत और बर्मा के आर्थिक विशेषज्ञों की प्रस्ताविक बैठक	Proposed meet of Economic Experts of India and Burma .	87

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.	
पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल के समाचार	Reported Strike by Station Masters on Western Railway .	87—92
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	Re. Motion for Adjournment—	
भारत के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति	Appointment of Chief Justice of India . .	92—96
सभा पटल पर रखे गए पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	
लोक लेखा समिति		
83वां 88वां और 92वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Eighty-third, Eighty-eighth and Ninety-second reports . .	97
प्राक्कलन समिति		
38वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Estimates Committee Thirty-eighth Report and Minutes . .	97
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	33वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Thirty-fifth Report . . .	98
	संविधान (31वां संशोधन) विधेयक–पुनःस्थापित	Constitution (Thirty-first Amendment) Bill—Introduced . .	98
	अनुदानों की मांगें, 1973–74	Demands for Grants, 1973-74	
	रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence—	
	श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	99—100
	श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel .	100—102
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	102—103
	श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankerrao Savant	103—105
	श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . .	105—106
	श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi .	106—107
	श्री बी० बी० नायक	Shri B.V. Naik . .	107
	श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmode Sequeira	107—108
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	108—109
	श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula .	109
	श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal .	109—110
	श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim .	110
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram .	110—115
	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation—	
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	128—129
	श्री आर० एन० शर्मा	Shri R.N. Sharma .	129—130
	डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	130—131

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1973—6 वैशाख, 1895 (शक)

Thursday, April 26, 1973—Vaisakha 6, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मुराद नगर (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में अग्निकांड की जांच

*861. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादनगर आयुध कारखाने के 13 दिसम्बर, 1972 के अग्निकांड की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(क) आग 12 दिसम्बर, 1972 को लगी थी, न कि 13 दिसम्बर को । जांच बोर्ड ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है ।

(ख) जांच बोर्ड की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) आग का कारण बिजली का शार्ट-सर्किट होना था ।

(2) रोटरी कम्प्रेसर को बिना यह सुनिश्चित किए छोड़ दिया गया था कि वास्तव में रूक गया है । अतः कम्प्रेसर अटेंडेंट उस हद तक लापरवाह था ।

(3) पुश बटन जो ट्रिप सर्किट के स्टार्टर का नियंत्रण करती है दोषपूर्ण तथा शार्ट सर्किट थी ।

(4) आग सम्बन्धी अनुदेशों के अनुपालन में कमी थी । जांच बोर्ड की रिपोर्ट पर सरकार आगे विचार कर रही है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या सरकार ने भविष्य में आयुध कारखाने में इसी प्रकार आग लगने के खतरे को रोकने के लिये कोई उपचारात्मक कदम उठाये हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी सुरक्षात्मक तथा उपचारात्मक कार्यवाहियों का नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस आयुध कारखाने में इसकी उपेक्षा की गई और इसीलिये यह दुखद घटना घटी। हमने यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है कि भविष्य में निर्धारित अभ्यासों की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाये तथा ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जाये।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : क्या जांच समिति के निदेश पदों में इस अग्नि काण्ड के फलस्वरूप हुई हानियां पता लगाना भी शामिल था और यदि हां, तो समिति ने इस सबंध में क्या निष्कर्ष निकाले हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां। समिति ने क्षति की जांच भी की है और समिति के प्रतिवेदन के अनुसार क्षति का अनुमान 37,800 रुपये का है और मैं यह भी कहूंगा, हालांकि माननीय सदस्य ने नहीं कहा है, कि नष्ट हुई मदों के स्थान पर नई मदें लाने पर 68,300 रुपये खर्च होंगे।

Shri Narsingh Narain Pandey : Have they come to know of any act of sabotage behind this fire incident as a result of the inquiry held ? If so, what action has been taken in that behalf ?

Shri Vidaya Charan Shukla: This too was placed before the Committee and on the basis of the report we maintain that we cannot have such a suspicion because the causes of the incident are very clear. The people working there are very old and loyal. The cause of the incident was simply carelessness.

1965 के युद्ध की अति गोपनियता का भेद खुल जाना

***862. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**

श्री वर्क जार्ज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रक्षा सचिव, श्री पी० के० आर० राव ने हाल ही में यह रहस्योदघाटन किया है कि पाकिस्तान के साथ 1965 की युद्ध संबंधि अति गोपनीय योजना, क्रियान्वित से पूर्व ही एक पत्रकार को ज्ञात थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अति गोपनीय योजना के भेद के खुल जाने के संबंध में कोई जांच की है ; और

(ग) क्या भेद खुल जाने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) से (ग) तक : सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। यथा समय सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायगा।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : प्रश्न को भेजे हुए तीन सप्ताह बीत गये हैं परन्तु सरकार सभा पटल पर विवरण नहीं रख सकी । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि मामले की जांच की जायेगी और इस सभा के चालू सत्र के अवसान से पूर्व विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम अपनी ओर से प्रयास तो पूरा करेंगे परन्तु इस प्रकार की कोई आश्वासन नहीं दे सकते ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या इस संबंध में कोई प्रारंभिक जांच की गई थी और यदि नहीं तो, क्यों नहीं, और यदि हां, तो प्रारंभिक जांच के प्रतिवेदन का विवरण क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी । ज्यों ही यह मामला हमारी जानकारी में आया हमने इस पर विचार किया और मेरे विचार से यही बात उचित होगी कि हम अपेक्षित समुचित जानकारी एकत्रित करके ही सभा के समक्ष उचित तरीके से मामला रखें । हम मामले पर विचार कर रहे हैं और मैंने वायदा किया है कि हम एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री डी० एन० तिवाड़ी : गत 10 वर्षों में, चीनी आक्रमण से अब तक भूतपूर्व सेनाध्यक्षों सैनिकों, तथा कूटनीतिज्ञों द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई जिनमें सुरक्षा संबंधी अलग अलग अत्यन्त गोपनीय बातों का रहस्य खोला गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है ।

श्री डी० एन० तिवारी : यह प्रश्न गोपनीय बातें प्रकट करने से संबद्ध है ......

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विशिष्ट रूप से श्री पी० बी० आर० राव से संबंधित है......

श्री डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी किताबें लिखी गई हैं

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है । आपको एक सूचना अलग से देनी चाहिय ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उक्त विवरण केवल इसी मद के बारे में ब्योरा देगा या कि सभा में बराबर उठा यह प्रश्न भी इसमें शामिल होगा कि सरकार को सेवा निवृत सेनाध्यक्षों, जो कि गोपनीय रहस्य प्रगट करने वाले प्रतिवेदन तथा पुस्तकें लिखते हैं, के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने चाहिये ? श्री नाथ पाई ने यह प्रश्न बहुत पहले उठाया था । क्या सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय तो यही मन्शा है कि वर्तमान प्रश्न के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय उक्त पत्रकार का नाम बतलायेंगे तथा क्या जांच पूरी होने तक, उसकी मान्यता समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है। हम केवल उस मामले की जांच कर रहे हैं जो कि हमारी जानकारी में लाया गया है और इस प्रश्न से संबंधी समुचित जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और इसके बाद हम उसे सभा के सामने पेश करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : पत्रकार का नाम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उस पत्रकार का नाम जानना चाहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इस मामले में विचार करने की अनुमति देवें, तभी हम सभा के सामने सारा मामला रखेंगे। इस समय हमारे पास पूरी या काफी जानकारी नहीं है। मुझे समुचित जानकारी एकत्रित करने तथा सभा के समक्ष पूरी जानकारी पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिये। फिर सभा जो चाहे निर्णय करे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सरकार को सर्वप्रथम तो इसी बात पर ध्यान देना चाहिये था अर्थात् वह व्यक्ति कौन था, उस पत्रकार का नाम नया था।

Shri Hukam Chand Kachwai : The question was put 21 days ago. Even 21 days are not sufficient for the Government. They are having the entire machinery at their disposal but they deliberately put off this question.

Mr. Speaker : Could a question be put merely by making noise? He is asking a question about the name of the Journalist. Have you got it?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय उस पत्रकार का नाम मेरे पास नहीं है। दूसरे...

श्री भगवत झा आजाद : क्यों नहीं ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The question was put 21 days ago. What had they been doing for the last 21 days ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वह 21 दिन तक क्या करते रहे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम श्री राव द्वारा वास्तव में कहे गये शब्दों का सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर उस पर विचार करके सभा को जानकारी देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister is deliberately putting off the question. Would he collect and place the imformation before the House by the end of this Session ?

Mr. Speaker : I have not allowed you.

श्री एस० एम० बैनर्जी : क्योंकि यह प्रश्न भूतपूर्व रक्षा सचिव श्री राव से संबंधित है और मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि जब तक वह रक्षा सचिव रहे उन्हें शासकीय भेद अधिनियम का पालन करना था और वह कोई रहस्य प्रकट नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा कोई प्रतिबन्ध है कि ऐसे उच्च अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल संगत प्रश्न है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिल्कुल यहीं प्रश्न श्री भगवत झा आजाद ने कुछ देर पहले पूछा था और मैंने कहा था कि इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं और इस समय वह बताने में असमर्थ हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी परन्तु क्योंकि सभा द्वारा बड़ी जिज्ञासा दिखाई गयी है तो हम इस बारे में भी अपनी स्थिति से सभा को अवगत करायेंगे।

श्री एस० एम० बैनर्जी : क्या कोई ऐसा नियम है, मैं तो यह जानना चाहता था। वह सरकारी सेवा से निवृत्त हैं, पेन्शनर हैं। वह एक नागरिक भी हैं यह भी मैं मानता हूं। परन्तु साथ ही उनके ऊपर शासकीय भेद अधिनियम भी लागू होता है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सेवानिवृत होने के बाद सरकारी अधिकारियों पर कोई प्रतिबंध होता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि पिछली लोक सभा में यह बात उठी थी और हमने कौल तथा जनरल हैन्डरसन ब्रुक्स की किताबों के बारे में अपनी भावनायें प्रकट की थीं।

श्री एस० एम० बैनर्जी : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम जानते हैं कि सेवा कर रहे व्यक्तियों पर शासकीय भेद अधिनिमय लागू होता है : मैं इस समय निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाले व्यक्तियों पर भी यह अधिनियम लागू रहता है। जैसे मैंने कहा, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे और सारी स्थिति सभा के सामने रखेंगे।

श्री एस० ए० शमीम : शासकीय भेद अधिनियम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भेद क्या है ? भेद तो है ही नहीं क्योंकि भूतपूर्व रक्षा सचिव ने वक्तव्य दिया है कि एक पत्रकार को गुप्त योजना की जानकारी थी। इतनी सी बात है ? उन्होंने तो कोई गुप्त जानकारी नहीं दी है।

इसमें दो व्यक्ति शामिल हैं—एक तो भूतपूर्व रक्षा सचिव और दूसरा वह पत्रकार। भूतपूर्व रक्षा सचिव ने वक्तव्य दिया है तथा उस पत्रकार का हवाला दिया है। मंत्रालय ने अब तक क्या जांच की है तथा यह जांच उनके वक्तव्य के तुरन्त बाद ही क्यों नहीं शुरु की गई ? प्रश्न सभा में पूछा गया था। क्या कारण है कि सरकार गत दो मास से इस मामले को दबाये बैठी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना गलत है कि इस मामले में केवल दो व्यक्ति ही अन्तर्ग्रस्त हैं। प्रश्न तो स्पष्ट है कि भूतपूर्व रक्षा सचिव ने वक्तव्य दिया है अर्थात् कि एक उच्च सैनिक अधिकारी ने एक पत्रकार को अपने विश्वास में लिया। उस पत्रकार ने एक राजनैतिक को बताया। उस राजनैतिक ने जाकर राष्ट्रपति से कहा। राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय के एक सदस्य को कहा जिसने तत्कालीन रक्षा सचिव को टेलीफोन किया। इस प्रकार उन्हें इसकी जानकारी हुई। इस प्रकार यह मामला एक या दो व्यक्तियों का नहीं है। मुझे बताया गया है कि शासकीय भेद अधिनियम सेवा-निवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होता है। इस मामले पर हम व्यापक रूप से विचार करेंगे तथा सभा के समक्ष एक वक्तव्य देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, Let we put one question.

Mr. Speaker : What more is required to be asked ?

Shri Hukam Chand Kachwai : It is a vital question relating to the Security of the country. If the Secret report is disclosed and the Government do not come to know of it what for the Government is there ? Kindly permit me to put a question.

My question is this : The hon. Minister has deliberately tried to suppress the facts. He has misled this house as well as the entire nation. This question had come at long ago but his Ministry did not investigate into it. 21 days ago this question was put. Despite that he is trying to hide the facts. I want to know the various steps taken to compile the facts and how much more time would they require to collect the full information and also whether this information would be laid on the table of this House before the end of the current Session ?

Mr. Speaker : You have already asked this question and he has replied to it.

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, he has involved the President also.

Mr. Speaker : I have not allowed you.

Shri Hukam Chand Kachwai : Kindly get an answer to my question as to what steps have since been taken. My question has not been replied to.

Mr. Speaker : He has already said that he would try to lay it before the end of this Session.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the efforts made by the Government of India to collect the information in this matter. Let him reply.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं किसी ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता जो इस बात को समझना ही न चाहता हो जोकि मैंने सभा में यहां कही है । जो कुछ मैंने पहले कहा है मैं उसको दोहरा दूंगा । मैंने कहा है कि ज्यों ही यह मामला हमारी जानकारी में आया, हमने इस मामले से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी शुरु कर दी थी और जैसे ही हम पर्याप्त जानकारी एकत्रित कर लेगें वैसे ही हम सभा पटल के समक्ष उसे पेश कर देंगे । यही कुछ हम कर रहे हैं और यही कुछ करने की इच्छा रखते हैं ।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली परिवहन एजेंसियां

*863. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में और विशेषकर मुजफ्फरपुर में स्थित अधिकांश परिवहन एजेंसियों पर अभी भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियय, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना लागू नहीं होती है यद्यपि उन पर इन्हें लागू किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री वेंकटस्वामी) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने योग्य एकमात्र परिवहन अभिकरण अर्थात् अन्तर्राज्य परिवहन अभिकरण को, जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार में स्थित है, पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना की परिधि में लाया जा चुका है । अन्य परिवहन अभिकरण अर्थात् एवरेस्ट रोडवेज, कारिको ऐसोसिएटेड इंडियन एंटरप्राइज (प्रा०) लिमिटेड, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ़ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, जिनकी शाखाएं उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर और अन्य स्थानों पर स्थित हैं, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवहन पेंशन निधि अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister is aware of it because he has been associated with it. I want to know whether Regional Provident Fund Commissioner or Deputy Regional Provident Fund Commissioner on his own or on the report of the concrened officer of Mujaffarpur who has a very bad name there, has conducted any survey of transport agencies in Muzaffarpur or other districts of North Bihar? If he has conducted this survey, what are the details thereof ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : हमारे पास मुख्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी है। हमारे पास इस समय यह जानकारी नहीं है कि अधिकारी वहां गये थे अथवा नहीं। मैं पता लगाने के पश्चात् इसकी जानकारी दूंगा। जहां तक परिवहन अभिकरणों का सम्बन्ध है इसकी ओर 42,000 रुपये की राशि बकाया है।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it is a fact that Regional Provident Fund Commissioner has not visited any other district of North Bihar except Jamshedpur, Ranchi and Dhanbad ? If he had gone there to see whether any particular industry had been covered or not, then I would like to know the details there of. Secondly, I would like to know the steps taken by him to recover the arrears as has been told by him from the said agencies ?

Mr. Speaker : If the hon. Member will use the word 'If' in his sentence then it will become an hypothetical question and then it can not be allowed. Similarly, he should not use the words whether it is a fact, because it is the language of the Courts. We may ask a direct question. He should ask for factual information otherwise every thing will be confused.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने जो भी जानकारी दी है वह मुख्य भविष्य निधि आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित है। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारी वहां पर गया था अथवा नहीं।

Shri Ramavatar Shastri: This is not an answer to my question. My question was whether the Commissioner visits only three districts and not others. He goes only to Jamshedpur, Ranchi and Dhanbad. He had not paid any visit to North Bihar. The hon. Minister may tell about it if he has any information ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि वहां कोई गया है अथवा नहीं, मैं मुख्य भविष्य निधि आयुक्त को वहां जाने तथा मौके पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहूंगा।

बिजली बल्ब उद्योग के लिए मशीनें बनाने की फैक्ट्री

*864. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली बल्ब उद्योग के लिए मशीनें बनाने की समेकित फैक्टरी हैदराबाद में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह परियोजना कब तक चालू हो जाएगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय यें उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक अस्थायी प्रस्ताव यह है कि हैदराबाद स्थित एकक में लैम्प बनाने की मशीनों तथा लैम्प बनाये जायें। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह परियोजना कब तक चालू हो जायेगी।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जब तक इस मंत्रालय को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम विस्तृत प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्णय किया जायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री के इस उत्तर को देखते हुए कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इलैक्ट्रिक बल्बों तथा लैम्पों के निर्माण का विचार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह भी विचार करेगी कि 60 अथवा 80 अथवा 100 वाट के छोटे बल्ब न बनाये जायें क्योंकि इन का निर्माण लघु क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में हो रहा है और हाल में औद्योगिक विभाग मंत्री ने यह आश्वासन दिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सुझाव दे रहे हैं अथवा प्रश्न कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं प्रश्न कर रहा हूं। इस तथ्य को देखते हुए कि औद्योगिक विकास मंत्री ने हाल में आश्वासन दिया है कि लघु क्षेत्र में लैम्पों और बल्बों के निर्माताओं के हितों को सुरक्षित रखा जायेगा। क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि 100 वाट तक के बल्बों का निर्माण बड़े गृहों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा न किया जाये ?

भारी उद्योग मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : सरकार की नीति लघु क्षेत्र में उद्योगपतियों को संरक्षण देने की है न कि उनसे प्रतियोगिता करे। मुख्य प्रश्न बल्बों के लिए मशीनरी बनाने का है। अतः इसके लिये यह अनिवार्य है कि बल्बों का परीक्षण किया जाय और यह पता लगाया जाय कि क्या बड़ी मात्रा में होनें वाला उत्पादन अच्छा होगा और इसके लिये कुछ बल्बों का बनाया जाना अनिवार्य है।

मुआवजे से भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम का संशोधन

*865. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुआवजे की राशि से भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या यह विधेयक इसी सत्र के दौरान पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण, अधिनियम 1972 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। जिससे भूतपूर्व खान मालिकों को अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि से कोयला खान भविष्य निधि की बकाया रकम वसूल की जा सके।

(ग) जी, नहीं ?।

Shri Dhanshah Pradhan: I want to know the state-wise figures of the amount of arrears ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : यह बकाया राशि के राज्य-वार आंकड़े जानना चाहते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : राज्य-वार आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु 30 सितम्बर, 1972 तक कुल 11.76 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी।

Shri Dhan Shah Pradhan : The hon. Minister had assured in the House that this suggestion will be considered at an early date. If he has considered the suggestion, what progress has been made in the matter ? May I know whether the workers have drawn the attention towards this ? If so, what is the progress in that regard ? May I know whether the workers who have taken loan from the Government for construction of houses or for meeting their daily expenses have complained about it and have drawn the attention towards it ?

श्री सुबोध हंसदा : 1972 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वसूली कार्यवाही की गई है वस्तुतः यह पता लगाया है कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रभावी नहीं है। अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 7-3-1973 को इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

Shri Damodar Pandey : May I know whether some steps will be taken to recover the amount of the workers due from the owners and amount of the workers, which is legally due to them will be deducted from the compensation of the owners and that will be paid to workers by amending the Act further?

श्री सुबोध हंसदा : जी हां, ऐसा किया जायेगा।

Shri Shanker Dayal Singh: The Government may or may not admit but the people are feeling that after the nationalisation, the prices of coal have gone up three to four times. The coal is being sold at ten rupees per maund instead of two rupees per manund. May I know whether they are considering to raise the amount of Provident Fund in the same proportion or not.

श्री सुबोध हंसदा : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri Shankar Dayal Singh : It does arise.

Mr. Speaker : This question relates to recovery. It does not arise from that.

श्री आर० बी० बड़े : खान मालिकों की ओर कितनी राशि बकाया है ? उसको वसूल करने के लिए कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इन फर्मों से कोई जमानत ली गई है ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्री आर० बी० बड़े : वह कुल बकाया राशि के बारे में जानते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिनियम के अनुसार कोई जमानत ली गई है अथवा इन फर्मों की सम्पत्ति की कुर्की की गई है?

श्री सुबोध हंसदा : इसी कारण अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है और विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह केवल राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अधिनियम में एक धारा बनाने के प्रति नहीं है । वरन कोकिंग कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में कोयला खानों के मालिकों की प्रतिकर की राशि से मजदूरों की बकाया राशि वसूल करने का पहले ही उपबन्ध है । खानों के मालिकों से बकाया राशि वसूल करने में सरकार को अधिनियम में इस उपबन्ध से कितनी सहायता मिली है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : सरकार का यह विचार है कि कोकिंग कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में विद्यमान उपबन्ध पर्याप्त नहीं है । अतः हमारा इरादा अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभावशाली कार्यवाही कर सकें कि भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बकाया राशि के विरुद्ध प्रतिकर की राशि जमा की जा सके जब नान-कोकिंग कौयला राष्ट्रीयकरण विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तो उसमें भी ऐसा ही उपबन्ध शामिल किया जायेगा ।

Shri R. N. Sharma : The hon. Minister has stated that coal Mines Provident Fund Act is being amended and that a Bill to this effect has already been introduced. But there is no such thing. Neither the Act is going to be amended nor any Bill has been introduced. The original question was regarding the arrears of Provident Fund—That has not been replied to. He has stated the figures in regard to the complete coal mines. I would like to know the arrears in regard to the Coking Coal ?

श्री सुबोध हंसदा : : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि कोकिंग कोयले की बकाया राशि 11.76 करोड़ रुपये है ।

श्री रामन नारायण शर्मा : यह ठीक नहीं है यह कुल बकाया राशि है :

श्री सुबोध हंसदा : यह कुल राशि है ।

श्री रामनारायण शर्मा : मुझे कोकिंग कोयला खानों के बारे में आंकड़े चाहिए ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : 30 सितम्बर 1972 तक कोकिंग कोयला खानों की बकाया राशि 2.85 करोड़ रुपये है ।

श्रीं राम नारायण शर्मा : विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में क्या किया जा रहा है ? उन्होंने अभी तक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है ।

जबलपुर स्थित नई आटोमोबाइल फैक्टरी में जीपों और ट्रकों का उत्पादन

866. **श्री शशि भूषण :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित नई आटोमोबाइल फैक्टरी में सेना के प्रयोग के लिए जीपों और ट्रकों के निर्माण की योजना थी ;

(ख) क्या वहां एशिया का सब से बड़ा शैड बनाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो कब और फैक्टरी के निर्माण पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) फैक्टरी में उत्पादन शुरू होने की तिथि क्या है और प्रत्येक वर्ष कितनी जीपों और ट्रकों का निर्माण किया जायेगा ; उनकी कौन कौन सी किस्में होंगी और उनकी हार्स पावर क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जबलपुर में व्हीकल फैक्टरी पहले ही निशान गश्ती जीप, निराश 1–टन कैरियर तथा शक्तिमान 3–टन ट्रकों का निर्माण कर रही है ।

(ख) फैक्टरी में सब से बड़े शैड का क्षेत्रफल 51,527 वर्ग मीटर है । यह पता नहीं है कि क्या यह शैड एशिया में सब से बड़ा है ।

(ग) इस फैक्टरी की स्थापना के लिए अभी तक 46.84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ।

(घ) फैक्टरी में शक्तिमान मोटर गाड़ियों का उत्पादन जुलाई 1969 में और निशान मोटर गाड़ियों का 1970-71 के दौरान आरम्भ हुआ । अभी तक क्षमता दर का 45 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और पूर्ण क्षमता 1976–77 के दौरान प्राप्त कर ली जायेगी शक्तिमान ट्रक की निर्धारित अश्वशक्ति 110 और निशान ट्रक की 140 है ।

Shri Shashi Bhushan : When will this military automobile factory be in a position to meet the requirements in respect of trucks and jeeps of our Armed Forces in full ? May I know the names of the countries from where technical know-how in respect of manufacture of jeeps and trucks has been secured; and the time by which our engineers working in this factory would be able to develop technical know-how for manufacturing cars etc. for our army ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, this factory has been set up keeping in view the requirements of our Armed Forces. Its full capacity will be achieved in 1976-77. But its capacity will have to be increased in proportion to the increase in our army strength. The annual installed capacity of this Factory is 6000 Shaktiman trucks, 7200 Nisan Patrol jeeps and 1-ton Nisan trucks and it will be achieved by 1976-77. Till it is achieved, we will have to purchase vehicles from private concerns to meet the requirements of our army.

Shri Shashi Bhushan : I would like to know the time by which this factory will be in a position to supply trucks and jeeps to public after meeting the requirements of the army.

Shri Vidya Charan Shukla : At present it is difficult to supply these vehicles to public. But after meeting the requirements of the army, if there is a surplus of these vehicles, we will supply them to public.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नदी नालों के पानी को पार करने के लिए हमारी सेना को ऐसी जीपों की भारी आश्यकता है जो जल और स्थल दोनों पर चल सकें । ऐसी जीपें इस कारखाने में कब तक बनने लगेंगी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी तक हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of trucks and jeeps, separately, being manufactured at present in this factory; the percentage of the indigenous and imported spare parts in these vehicles; and the time by which cent per cent indigenous spare parts will be used in these vehicles ?

Shri Vidya Charan Shukla : By the end of financial year 1972-73, the number of Shaktiman trucks, Nisan-1 ton and Nisan Patrol jeeps manufactured in this factory was 2100, 3000 and 900 respectively. As regards the percentage of indigenous material used in them, in Shaktiman trucks it is 85 per cent, in Nisan-1 ton it is 65 per cent and in Nisan Patrol jeeps it 38 per cent. There is a time-bound programme and according to it we are increasing the percentage of indigenous material in these vehicles. Here it is also worth mentioning that there are some spare parts which we do not want to produce indigenously as they are required in limited quantity and it is not economical to manufacture them here.

श्री वसन्त साठे : हमारी स्थल सेना को अपेक्षाकृत अधिक गतिमान बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में जीपें कब तक दी जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो जीपों के बनाये जाने के बारे में है ।

श्री वसन्त साठे : : मैं नीति की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उनके निर्माण के बारे में ही बात कर रहा हूं । महेन्द्र एंड महेन्द्र कम्पनी की तुलना में इस कम्पनी में उत्पादन लागत कम आती है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सेना की जितनी आवश्यकता होगी हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे जहां तक सशस्त्र सेना को गतिमान बनाने का सम्बन्ध है, उसके लिए जीपों के अतिरिक्त कई आय उपकरणों की आवश्यकता होती है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जहां तक जीपों के निर्माण पर सरकारी और गैर सरकारी कारखानों में आने वाली लागत का सम्बन्ध है, इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाये और मैं तत्सम्बन्धी जानकारी दे दूंगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर वेतन आयोग का प्रतिवेदन लागू करना

*867. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग का प्रतिवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू किया गया है ;

(ख) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न ग्रेडों में रखा गया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने भी इनको अन्तिम रूप देने और लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरह एक विशेष "एमरजेंसी" सैल खोला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें किस प्रकार लागू की जाएं, इसकी जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यह मामला 5 मई, 1973 को होने वाली केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में आना है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : 18 मई 1972 को तत्कालीन श्रम मन्त्री ने सभा में कहा था कि तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान देने के प्रश्न पर उसके कर्मचारी संघ के परामर्श से विचार किया जायेगा। इस दिशा में अब तक क्या किया गया है ? क्या यह भी सच है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन की एक भी प्रति उस संगठन के पास नहीं पहुंची है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि संगठन द्वारा समिति नियुक्त किये जाने पर वह सभी सम्बन्धित पार्टियों की बात सुनेगी और उचित विचार-विमर्श होगा। जहां तक प्रतिवेदन की प्रतियों का सम्बन्ध है, वे छप रही हैं। हमारे मंत्रालय को अभी तक एक ही प्रति मिली है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बहुत अधिक गड़ बड़ है। प्रवर्तन शाखा और कार्मिक शाखा में एक ही मुख्य लिपिक कई वर्षों से लगातार काम कर रहा है। चिकित्सा सम्बन्धी बिल और यात्रा भत्ते के बिल वर्षों तक पास नहीं किये जाते हैं। वहां लेखा शाखा में भी धांधली मचा रखी है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और कुछ सुधार करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कुछ मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है। श्री रामावतार शास्त्री नें भी यह मामला उठाया था और मैंने कहा था कि मुख्य भविष्य निधि आयुक्त से इसकी तत्काल जांच करने के लिए कहा जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि-संगठन के कर्मचारियों, विशेषकर तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर रोष व्यक्त किया है? क्या वह न्यासी बोर्ड से संगठन के कर्मचारियों के साथ वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के प्रश्न पर विचार करने को कहेंगे?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उच्च संगठन में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है। नियुक्ति के पश्चात यह समिति सभी के हितों की ओर ध्यान देगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कर्मचारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जायेगा?

श्री रघुनाथ रेड्डी ; अवश्य। कर्मचारी संघ की बात सुनी जायेगी।

Shri Md. Jamilurrahman : Justice demands that equal pay should be given for equal work. The work done by the E.P.F. organisation employees is equal to that done by the bank employees. So, they should be given the same pay scales as are being given to the bank employees. Will the Government bring the E.P.F. Organisation employees at par with bank employees in respect of pay scales?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन मान दिये जाते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर प्रस्तावित समिति विचार करेगी। बैंक कर्मचारियों का मामला अलग है। इस सन्दर्भ में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

सरकारी उपयोग के लिए नारियल जटा के सामान की खरीद

***868. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सेना के उपयोग के लिए नारियल जटा का सामान खरीदा है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में कितना माल खरीदा गया तथा उन निर्माताओं और फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे यह माल खरीदा गया ;

(ग) क्या केरल के सरकारी क्षेत्र के किसी नारियल जटा निगम ने नारियल जटा का सामान सप्लाई करने के लिए केन्द्र से बात चीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

पूर्ति मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) जहां कहीं भी मै० केरल स्टेट कायर कारपोरेशन के प्रस्ताव प्रतियोगी पाये गए उन्हें आर्डर दे दिए गए ।

विवरण

वर्ष	मूल्य	फर्मों/निर्माताओं के नाम
	रुपये	
1970–71	21,28,494	1. मै० पी० सी० अप्पुकुट्टी, कडालूण्डी ।
		2. मै० डान ट्रेडिंग सिंडिकेट, कडालूण्डी ।
		3. मै० बी० मानिक पीटर, कोचीन ।
		4. मै० डी० मूसाजी जीवाजी, बम्बई ।
		5. मै० रबर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, केरल ।
		6. मै० दाराग इस्माइल एण्ड कम्पनी, एल्लेपी ।
		7. मै० हैस्टिगंज मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ।
1971–72	20,02,645	1. मै० डान ट्रेडिंग सिंडिकेट, कडालूण्डी ।
		2. मै० केरल कायर मैट्रस एण्ड मैटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, एल्लेपी ।
		3. मै० बी० मानिक पीटर, कोचीन ।
		4. मै० अस्पिनवाल एण्ड कम्पनी, एल्लेपी ।
		5. मै० बी० सी० अप्पुकुट्टी, कडालूण्डी ।
1972–73	28,47,571	1. मै० मूसाजी जीवाजी एण्ड कम्पनी, बम्बई—1
		2. मै० केरल स्टेट कायर कॉपरेटिव एल्लेपी—1
		3. मै० इसाजी तैय्यबअली, कपासी ।
		4. मै० बी० मानिक पीटर, कोचीन ।
		5. मै० अप्पाकुट्टी, कडालूण्डी ।
		6. मै० डान ट्रेडिंग सिंडिकेट, कडालूण्डी ।
		7. मै० ब्रिटेक्स फाइबर (इंड) मालपी ।
		8. मै० साऊथ इंडिया कायर मिल्स पूच्छाकल ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मूल प्रश्न में मैंने यह पूछा था कि पूर्ति मंत्रालय ने कितनी मात्रा में नारियल जटा का सामान खरीदा। मात्रा की बजाय सरकार ने उसका मूल्य बताया है, क्या यह सच है कि मूल्य वृद्धि के कारण सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली नारियल जटा के सामान की मात्रा में गत तीन वर्षों से कमी हो रही है ? नारियल जटा उद्योग में कई लाख लोग लगे हैं, और सरकार थोड़ी सी मात्रा में यह सामान खरीदती है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस सामान को अधिक मात्रा में खरीदने पर विचार करेगी ?

श्री शाह नवाज खां : सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुसार, पूर्ति विभाग इस सामान की खरीद करता है इसलिए कितना माल खरीदा जायेगा यह तो मांग करने वाले सरकारी विभागों पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से हम अपनी ओर से अधिक माल खरीदने का प्रस्ताव नहीं कर सकते।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या हाल के कुछ वर्षों में खरीदी जाने वाली मात्रा में कमी हुई है अथवा नहीं। सरकार ने उत्तर में कहा है कि सरकारी क्षेत्र के केरल स्टेट कोयर कारपोरेशन को क्रयादेश तभी दिये जाते हैं जबकि उसके मूल्य अन्य बड़े उद्योग गृहों की तुलना में कम होते हैं। यह बात सोचते हुए कि यह एक सरकारी निगम है जिसे अपने श्रमिकों, जनता और सरकार का ध्यान रखना होता है, क्या सरकार विवरण में उल्लिखित बड़े व्यापारिक गृहों की तुलना में केरल स्टेट कोयर कारपोरेशन को क्रयादेश देने में प्राथमिकता देगी।

श्री शाह नवाज खां : नारियल जटा और उसके उत्पाद ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित हैं। बड़े व्यापारिक गृहों से हम कोई खरीद नहीं करते।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सूची में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें नारियल जटा का सामान बनाने वाली नहीं माना जा सकता। ये फर्में बिचोलियों का काम करती हैं और ये बम्बई के लोगों की हैं।

श्री शाह नवाज खां : जब तक ये फर्में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हैं, तब तक ये टेन्डर दे सकती हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह उत्तर गलत है। मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं। सूची में एक विदेशी फर्म का नाम 'मैसर्स एस्पीनवाल एण्ड कम्पनी' भी है। यह लघु उद्योग अन्तर्गत पंजीकृत फर्म नहीं हो सकती।

श्री शाह नवाज खां : नारियल जटा और इसके उत्पाद उन लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित हैं जिनकी पूंजी $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये से कम की है, हम इस की खरीद लघु उद्योगों से ही करते रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, is it the answer to his question ?

Mr. Speaker : He asked as to how a foreign concern has been registered as small-scale industry firm. Enquiry should be made into it.

श्री वसन्त साठे : यदि ऐसा हुआ है तो उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय को यह ठीक मालूम नहीं है कि क्या केवल लघु उद्योगों को ही क्रयादेश दिये जाते हैं। यदि सरकार क्रयादेश देकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे बड़े उद्योग गृहों को क्रयादेश देने बंद कर देने चाहिए।

श्री शाह नवाज़ खां : मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। यदि हमारे कार्यकरण में कोई कमी होगी, तो उसे ठीक किया जायेगा।

गुजरात सरकार की ट्रैक्टर सम्बन्धी आवश्यकता

*869. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1973–74 में ट्रैक्टरों की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डी० पी० जदेजा : गुजरात राज्य को दिये जाने वाले ट्रैक्टरों की कमी को ध्यान मे रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य में एक ट्रैक्टर का कारखाना लगाने पर विचार करेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक गुजरात में ट्रैक्टर के कारखाने का सम्बन्ध है, गुजरात के एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने हाल ही में एक संकट ग्रस्त ट्रैक्टर कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है।

श्री बी० वी० नायक : हमारे देश में शक्ति चालित हलों की कीमत 3,000=4000 रुपये से कई गुणा बढ़कर 13,000–14,000 रुपये हो गई है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए क्या सरकार देश में सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों की तुलना में 'पावर टिलरों' के उत्पादन को प्राथमिकता देगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हाल ही में 'पावर-टिलरों' की मांग बढ़ी है और भारी उद्योग मंत्रालय इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

नेपाल में सुनावाली-पोखरा रोड के निकट चीन द्वारा कपास की खेती

*870. **श्री विभूति मिश्र**

श्री फतह् सिंह् गायकवाड़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में भारत द्वारा निर्मित सुनावाली-पोखरा रोड के निकट चीनी लोग कपास की प्रायोगिक आधार पर खेती कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वहां पर अपने चारों ओर बाड़ लगा ली है जिससे कि वहां पर कोई आ न सके; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 16 जुलाई 1971 को नेपाल और चीन की सरकार के बीच हुए एक करार के अनुसार भारतीय सीमा से लगभग 25 मील दूर बटवाल के निकट कपास का एक प्रायोगिक फार्म बनाया गया था। फार्म का क्षेत्रफल लगभग $1\frac{1}{4}$ एकड़ था और नेपाल में चीन द्वारा बनाया गया अपनी किस्म का अकेला। यह प्रायोगिक फार्म फरवरी, 1973 के पहले सप्ताह में बंद कर दिया गया था

(ख) यह सच नहीं है कि उन्होंने अपने चारों तरफ बाड़ लगा रखी है। फार्म बंद होने पर उस फार्म पर काम कर रहे तकनीशियनों ने वह क्षेत्र छोड़ दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I want to know whether Chinese do not allow anyone to enter into the experimental cotton farm which they have set up in Nepal.

Mr. Speaker : Now, they are not there.

Shri Bibhuti Mishra : Where have they gone ? You please hear me. I am a resident of border area. An American type of dome has been constructed in Birganj and they live in that. I want to know whether they have been living there in collusion with Indians, whether Indians go there and Chinese instigate them and then they enter into Indian politics? Is hon. Minister aware of all this ?

Shri Surendra Pal Singh : The Chinese experts who were doing cotton farming on experimental basis have left the Nepal after closing down the experimental farm there. We have no information that our people are in league with them. The Nepalese people, however, might have been in touch with them.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, the Minister did not reply the question I asked. You should give protection to us in the way in which British Speaker gives protection to British MPs. The Minister should say either 'yes' or 'no' to the question whether he has knowledge of it or not.

Mr. Speaker : You are asking questions even without hearing me. As such there is no need of protection.

Shri Bibhuti Mishra : The Speaker is there to protect the interests of MPs. The Speaker should ask the Ministers to give correct answers to the questions put by MPs.

Mr. Speaker : I have no power to ask Ministers to answer each and every question put by the MPs. As regards your question, you say that they are there, but the Minister says that they are not there. He also said that he had no knowledge of their association with Indians.

Shri Bibhuti Mishra : They have been living in Birganj.

Shri Surendra Pal Singh : I said that the Chinese had left that place. I do not know where they have gone or whether they are in Birganj or not.

Shri Bibhuti Mishra : The Minister said that they had given up cotton farming. It may be fact but I say that they are still living there in disguise and indulging in anti-India activities.

Mr. Speaker : It does not arise out of it. You may give another notice.

Shri Narsingh Narain Pandey : Last year also the question was raised that Chinese were doing cotton farming in "tarai" area of Nepal under an agreement. That farm is at a distance of only 25 miles from gorakhpur district.

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Narsingh Narain Pandey : I have travelled in Butval area and no cotton farming is done there. There is a concentration camp on the border and espionage work is being done by them. Will the Minister enquire into it and place the facts on the Table of the House.

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस क्षेत्र में चीनी लोग अपने तरीकों से कपास की खेती करने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु उनका प्रयास सफल नहीं हुआ और अब वे वहां से चले गये हैं। यह सच है कि अब वहां कपास की खेती नहीं होती है। नेपालियों का यह विचार था कि चीनी अपने किसी तरीके से तराई में कपास की खेती कर सकते हैं इसलिए $1\frac{1}{4}$ एकड़ के क्षेत्र पर चीनियों ने कपास की खेती करने के लिए कुछ प्रयोग किये थे। हमारी जानकारी के अनुसार, वहां उन्हें सफलता नहीं मिली और वे अब उस स्थान को छोड़ गये हैं। हमें यह भी याद रखना है कि चीन के साथ हमारी सीमा बहुत लम्बी है और यह स्थान सीमा से 25 मील दूर है। हमें यह भी नहीं भूलना है कि भारत-चीन सीमा पर कई स्थानों पर हमारे और चीन के सैनिक आमने-सामने खड़े हुए हैं। हजारों मील लम्बी सीमा पर हम उनके सामने अड़े हैं। अतः सीमा से 25 मील की दूरी पर चीनी जो कुछ कर रहे हैं उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पन्ना के हीरे की खानों का बन्द होना

*871. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना की हीरे की खानों से हो रहे निरन्तर घाटे को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन खानों को बन्द कर देने अथवा किसी गैर-सरकारी पार्टी को इन्हें पट्टे पर दे देनें का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार घाटा उठाना क्यों बेहतर समझती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) : यह सच है कि पन्ना की दो खानों अर्थात माझगवां और रामखेड़ियां में रामखेड़ियां का कार्यकरण हीरों के कम निकलने तथा परिणास्वरूप उत्पादन लागत अधिक होने के कारण आरम्भ से ही खराब रहा है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल में किए गए अपने मूल्यांकन में पर्याप्त भंडार न होने और खनन कार्य पर अधिक लागत आने तथा लगातार घाटा होने के कारण खान को बन्द करने की सिफारिश की है । रामखेड़ियां खानों को बन्द करने के प्रस्ताव पर खान को बंद करने से पड़ने वाले प्रभाव, जिनमें वहां काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी की संभावना भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है ।

2. फिर भी माझगवां खान के विस्तार की योजना भी विचाराधीन है जिससे खान की आर्थिक सक्षमता में सुधार होने की आशा है ।

3. फिलहाल खान को किसी प्राइवेट पार्टी को पट्टे पर देने का प्रस्ताव नहीं है :

भिलाई इस्पात संयंत्र

*872. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के प्रति टन उत्पादन के लिए, रूस के सहयोग से निर्मित भिलाई इस्पात संयंत्र रूस स्थित इस्पात संयंत्रों की तुलना में दुगुने से भी अधिक रीफ्रैक्टरी सामग्री प्रयोग करता है ;

(ख) क्या रूस द्वारा सप्लाई किये गये डीजल इंजनों के रख रखाव की लागत स्टैंडर्ड डीजल इंजनों की अपेक्षा छः गुने से भी अधिक पड़ती है ;

(ग) क्या रूस द्वारा सप्लाई की गई कुछ मशीने काफी अधिक मूल्य की हैं और कुछ आधुनिक किस्म की नहीं हैं तथा पुरानी किस्म की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रूस का ध्यान इन मामलों की ओर दिलाया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) सोवियत रूस के इस्पात कारखानों में प्रतिटन इस्पात पिण्ड के उत्पादन हेतु परिचालन की आवश्यकताओं के लिए ऊष्मसह की कितनी खपत होती है इसकी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। सोवियत सलाहकारों द्वारा 25 लाख टन उत्पादन क्षमता के कारखाने के लिए तैयार की गई प्रायोजना रिपोर्ट में बताई गई प्रतिटन इस्पात पिण्ड के उत्पादन में 41.3 कि० ग्राम उष्म सह की विशिष्ट खपत की तुलना में भिलाई इस्पात कारखाने में गत 4 वर्षों की अवधि में उष्मसह की खपत दर निम्नलिखित थी :-

	कि० ग्राम/प्रति-टन इस्पात
1969-70	50
1970-71	49
1971-72	53
1972-73	56

(ख) जी नहीं। फिर भी रूस द्वारा सप्लाई किए गए डीजल इंजनों के रख रखाव की लागत उन के परिचालन के समय इंजन आयल तथा मरम्मत के समय मोनो ब्लाक्स की अधिक खपत के कारण स्टैण्डर्ड डीजल इंजनों की अपेक्षा अधिक है।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने न इन मशीनों को विभिन्न प्रायोजनाओं—जैसे 10 लाख टन उत्पादन क्षमता का संयंत्र, 25 लाख टन उत्पादन क्षमता का संयंत्र तथा छट्ठी धमन भट्टी शृंखला के लिए विभिन्न दरों पर खरीदा था। सोवियत सप्लायरों को दिया गया मूल्य उचित समझा गया था। जब इन मशीनों की सप्लाई की गई थी उस समय ये मशीने सोवियत स्टैण्डर्ड के अनुसार बिल्कुल आधुनिक थी।

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने ने डीजल इंजनों की कमियों के बारे में सम्बन्धित रूसी प्राधिकारियों को बता दिया था।

हिन्द महासागर में चीनी प्रभाव

***873. श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन हिन्द महासागर में अपने प्रभाव और सर्वोच्चता को बढ़ा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार यह बात जानती है कि हिंद महासागर के कई राज्यों के साथ चीन के व्यापारिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के संबंध है। जहां तक हिंद महासागर में किसी राष्ट्र द्वारा प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रश्न है,

सरकार ने इस मत का हमेशा ही समर्थन किया है कि हिंद महासागर शांति का क्षेत्र होना चाहिए जैसा कि लुसाका घोषणा में और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिसम्बर 1971 के प्रस्ताव 2832 (XXV) में कहा गया है। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, और भारत के साथ वह भी 15 राष्ट्रों की उस तदर्थ समिति का सदस्य है जो कि पिछले दिसम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव के निहितार्थों का अध्ययन करके महासभा के अगले अधिवेशन में रिपोर्ट पेश करने के लिए बनाई गई थी।

भारतीय तांबा निगम में अयस्क और धातु के निर्धारित उत्पादन में अत्यधिक कमी

***874. श्री राजदेव सिंह :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तांबा निगम के सरकारीकरण के बाद दूसरे वर्ष में ही उसके अयस्क और धातु के निर्धारित उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है और निकट भविष्य में इस स्थिति म सुधार होने की कोई आशा नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो खेतड़ी उद्योगसमूह में 1973-74 में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर सरकार मांग को किस प्रकार पूरा करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) (क) जी, नहीं। अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक की कालावधि के दौरान, जब उपक्रम प्राईवेट प्रबंधाधीन था, यन्त्रनिर्मित अयस्क और उत्पादित विस्फोट ताम्र की कुल मात्रा क्रमशः 632419 टन और 8405 टन थी। इसकी तुलना में अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 के वर्ष के दौरान यन्त्रनिर्मित अयस्क और उत्पादित विस्फोट ताम्र की मात्रा क्रमश: 739580 टन और 12596 टन थी। यह आशा की जाती है कि 1973-74 के दौरान भी वर्धित उत्पादन की प्रवृत्ति को बनाए रखा जायगा।

यह उल्लेखनीय है कि घाटशिला स्थित प्रद्रावक वार्षिक ओवरहालिंग और मरम्मत के लिए 1 अप्रैल, 1973 से जून 1973 के मध्य तक बंद किया गया है। तथापि, यह आशा की जाती है कि प्रारंभिक मासों में की उत्पादन की कमी को पश्चातवर्ती मासों के दौरान पूरा किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

रक्षा आवश्यकताओं में आत्म निर्भरता

***875. श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री एस० एम बनर्जी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अभी तक विदेशों पर किस सीमा तक निर्भर हैं ;

(ख) आवश्यक सामग्री, उपकरणों, आदि के लिए किन किन देशों ने पेश कश की है तथा अथवा कौन कौन से देश हमें ये वस्तुएं सप्लाई कर रहे हैं ; और

(ग) इस मामले में, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा आवश्यकताएं मुख्यत : स्वदेशी उत्पादन से ही पूरी का जा रही हैं। तथापि, कुछेक अनिवार्य मदों का न्यूनतम आवश्यकता तक आयात किया जाता है ।

(ख) ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) आत्म निर्भरता के लिए प्रयत्न एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । उत्पादन को विस्तृत योजनाएं बना ली गई हैं और सेवाओं की नवीनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका रोल-आन संकल्पना के आधार पर वार्षिक पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

आर० पी० एफ० सी० बिहार के कार्यालय की लेखा शाखा में गबन

*876. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय बिहार की लेखा शाखा में बड़े पैमाने पर गबन का पता चला है और इस मामले में अनेक हैड कर्ल्क और सहायक अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) **और** (ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय में, भविष्य निधि की राशि के धोखेबाजी के भुगतान के ग्यारह सन्देहयुक्त मामले जिनमें लगभग 71,000 रुपये की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है, पकड़े गये हैं । ये मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट जब प्राप्त हो जायेगी तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) जिसे (जिन्हें) जांच के परिणामस्वरूप यदि अन्तर्ग्रस्त हुआ पाया जायेगा के विरूद्ध कार्यवाही करने सहित अगली कार्रवाई की जायेगी :

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला धोने के कारखानों में घाटा

*877. **श्री नरेन्द्र कुमार सीधी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के करगाली, काघरा तथा स्वांग स्थित कोयाल धोने के तीन कारखानों को प्रतिमास 10 लाख रुपये की हानि हो रही है क्योंकि उम्दा किस्म का कोयला पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं होता है ।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कोयला धोने के कारखाने की क्षमता क्या है और क्या प्रत्येक कारखाने में उम्दा किस्म का कोयला पूरी मात्रा में प्राप्त हो रहा है और यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रहती है ;

(ग) क्या उम्दा किस्म का कोयला यंत्रों से ही निकाला जा रहा है अथवा इसके लिए मानव श्रम को लगाया जा रहा है ; और

(घ) उम्दा किस्म का कोयला अधिक मात्रा में निकालने और इस समय हो रहे घाटे को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तीनों प्रक्षालनशालाओं में से प्रत्येक की क्षमता निम्नलिखित है :—

प्रक्षालनशाला का नाम	कच्चे कोयले की निवेश क्षमता	स्वच्छ कोयले की उत्पादन क्षमता
	(लाख टन प्रति वर्ष)	
कारगली	27.20	19.00
कथारा	30.00	15.00
सावांग	7.50	5.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपरलिखित प्रक्षालनशालाओं से मध्यवर्तीय/धसांव भी उपलब्ध हैं ।

तीनों प्रक्षालनशालाओं में से प्रत्येक की पूर्ण क्षमता के बराबर कोयला सूक्ष्म (अवपंक) की वसूली की जा रही है ।

(ग) अक्तूबर, 1972 और जून 1972 से कारगली और कथारा प्रक्षालनशालाओं में क्रमश: यान्त्रिक साधनों द्वारा अवपंक की वसूली की जा रही है : इससे पूर्व श्रमिकों द्वारा अवपंक की वसूली की जा रही थी । सवांग प्रक्षालनशाला में, इसके प्रारम्भ से ही, अवपंक की वसूली यान्त्रिक साधनों द्वारा की जाती रही है ।

(घ) तीनों प्रक्षालनशालाएं, अवपंक की यान्त्रिकीय वसूली के लिए साधनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सूक्ष्मों की वसूली के लिए इनका पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

रक्षा उत्पादन एककों द्वारा नागरिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन

878. **श्री एन टोम्बी सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कुछ रक्षा उत्पादन एककों में फालतू क्षमता है जिसे नागरिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग म लाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो ये एकक किस प्रकार के हैं और इनमें नागरिक उपभोग के लिए किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन यूनिटें मुख्यत: रक्षा आवश्यकताओं की मदों का उत्पादत करने के लिए हैं। जहां सम्भव होता है, फालतू क्षमता को तथापि सिविलियन मदों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटे तौर पर जिन वर्गों के माल की सिविलियन उपभोग के लिए उत्पादित किया जाता है ये हैं :–

(1) **आर्डिनेन्स कारखानों में**

इंजीनियरिंग मदें जैसे स्टील कास्टिंग, फोंजिग वैज्ञानिक तथा प्रकाशित उपकरण, वस्त्र मदें, रसांयनिक तथा शिकार के लिए शस्त्र तथा गोला बारूद।

(2) **सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम**

इंडियन एयर लाइन के लिए एवरो (एस एस 748) वायुयान, एल्यूटी हेलीकाप्टर जो सिविलियन आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है, विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपस्कर/उपकरण, डैर्गस, वार्ज, टगस इत्यादि, भारत के जहाज रानी निगम के लिए एक लक्जरी पसेंजर-कम-कार्गो लाइनर, मैरीन डिज़िल इंजन, डैक मशीनरी मदें, रोड रोलर्स, एयर कम्प्रैसर तथा पम्प, भारी संख्या में हैवी अर्थ मूविंग उपस्कर तथा मशीन टूल्स तथा रेलवे के लिए रेल कोचिज़।

छावनी वोर्ड, काम्पटी के उपाध्यक्ष से प्राप्त याचिका

*880. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के निकट काम्पटी छावनी वोर्ड के उपाध्यक्ष से सरकार को कोई याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्या कदम उठाये जा रहे है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिंदी टाइपिस्ट

8222. **श्री सुधाकर पांडे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के टाइपराइटर और हिन्दी के टाइपिस्ट हैं ; और

(ख) हिन्दी में क्या-क्या काम होते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गंगतोक, दि हेग, काठमांडू, लंदन, मास्को, न्यूयार्क, पैकिंग, पोर्ट लुई, पोर्ट आफ स्पेन, सान्तिआगो, सूवा तथा टोकियो स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं। काठमांडू तथा सूवा में हिन्दी निजी-सहायक (स्टेनोग्राफर) हैं। अन्य मिशनों में हिन्दी का काम करने के लिए हिन्दी जानने वाले कर्मचारी उपलब्ध हैं ।

(ख) मुख्य कार्य हिन्दी में किए जाने वाले पत्र-व्यवहार हैं ।

बेलाडीला लौह-अयस्क संयंत्र के कारण नदी के जल का दूषित होना

8223. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क संयंत्र के कारण मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में शखिनी दखिनी नदियों का जल बेलाडीला (किरिंडूल) से 40 मील की दूरी तक बुरी तरह दूषित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दूषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कारखाने का कचरा गिरने के परिणाम स्वरुप किरिंडूल नाले से 38 कि० मी० की दूरी तक कम वेशी मात्रा में पानी के दूषित होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) दूषण के प्रभाव को कम करने तथा प्रभावित ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए किरिंडूल नाले पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है । इससे गंदा पानी रुक जाएगा और शंखिनी नदी में साफ पानी जा सकेगा । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रभावित गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में 22 कुएं खोदने के लिए 1 लाख रुपया भीं मंजूर कर दिया है ।

Extension of Letter of Intent Issued to Maruti Ltd.

8224. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 424 on the 22nd February, 1973 and state :

(a) whether request of the Maruti Limited, Gurgaon, for extension of the validity of the letter of intent for the Maruti Car Project has been considered; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The validity of the letter of intent has been extended up to 31st December, 1973.

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम निगम में तालाबन्दी

8225. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम निगम में तालाबंदी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां तालाबन्दी होने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) निगम ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके कारखाने में कोई तालाबन्दी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

वैगन निगम की स्थापना

8226. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या देश के अन्य वैगन निर्माण उद्योगों की सहायता से वैगन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार एक वैगन निगम स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है जो एक केन्द्रीय मरम्मती और प्रबोधक (मोनीटोरिंग) संस्थान का कार्य करेगा । प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग द्वारा अल्प सेवा कमीशन को पेशकश

8227. श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग ने भारत के उन पुरुष उम्मीदवारों को पांच वर्ष की अवधि के लिए शार्ट सर्विस कमीशन में भर्ती के लिए अवसर देने की पेशकश की है जिन्होंने एल एल बी परीक्षा में 60 प्रतिशत और इस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से महिला विधि स्नातकों से भेदभाव और संविधान का उल्लंधन नहीं होता है जब कि संविधान में लोगों को रोजगार देने के लिए समान अवसर देने की गारंटी दी गई है ;

(ग) क्या सेना के चिकित्सा कार्य में महिला उम्मीदवारों को पुरुष की बराबरी के स्तर पर कमीशन दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) सेना अधिनियम की धारा 12 में स्पष्टत: यह व्यवस्था है कि ऐसी कोर, विभाग ब्रांच को छोड़कर अथवा कोई अन्य निकाय जो इसका भाग बनता है, अथवा नियमित सेना के किसी भाग से संबद्ध हो, जैसा कि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शेष नियमित सेना में कोई महिला नाम दर्ज कराने अथवा नौकरी की पात्र नहीं होगी ; इस धारा में जो परन्तुक जोड़ा गया है वह नियमित सेना में अक्सलरो सर्विसिस में कार्य कर रहे व्यक्तियों के बारे में है जिसमें महिलाओं को नाम दर्ज कराने तथा नौकरी के लिए पात्र समझा गया है जिसका वर्तमान संदर्भ से संबंध नहीं है ।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जिसके द्वारा महिला अभ्यार्थियां को सेना में जे० ए० जी० विभाग में भर्ती का पात्र बनाया गया हो । अत: वे इस विभाग में कमीशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ।

कुमारी आशा गोयल—एक महिला अभ्यार्थी—जिसने इस कमीशन के लिए आवेदन किया था और उसे इस आधार पर आवेदन-पत्र नहीं दिया गया था कि महिला अभ्यार्थी इसकी पात्र नहीं हैं। 23-10-1972 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई रिट याचिका (1972 का नम्बर 402) में उसने यह प्रश्न उठाया था कि क्या जे ए जी के विभाग में शार्ट सर्विस कमीशन के लिए चयन, पुरूष अभ्यार्थियों तक ही सीमित करना, भर्ती के लिए आवश्यक शर्तो को पूरा करने वाी महिला स्नातकों के प्रति भेदमूलक नहीं हैं और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है ।

(ग) तथा (घ) सेना अधिनियम की धारा 12 के परन्तुकों के संदर्भ में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा महिला अभ्यार्थियों को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन के लिए भर्ती की अनुमति दी है । तदनुसार, असैनिक महिला डाक्टर आर्मी मेडिकल कोर में शार्ट सर्विस कमीशन की पात्र हैं । उन्हें ऐसा कमीशन पाने के लिए पुरुष डाक्टरों के साथ चयन बोर्ड के सामने साक्षातकार के लिए जाना आवश्यक होता है । सलैक्शन पूर्णतया मेरिट के अनुसार किया जाता है ।

फ्रांस में भारतीय दूतावास के लिए इमारत का वार्षिक किराया और रख-रखाव पर व्यय

8228. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस में राजदूत के रिहायशी आवास और भारतीय दूतावास की इमारत का इस समय वार्षिक किराया कितना है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान इमारत के रख-रखाव पर कितना खर्च किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राजदूत के निवास-स्थान और राजदूतावास की इमारत पर भारत सरकार का स्वामित्व है । इसलिए उनका कोई किराया नहीं दिया जाता ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान इन इमारतों के रख-रखाव पर क्रमश: 84,558.40 तथा 1,13,441.13 रु० खर्च हुए हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना के मलकनगिरि जोन में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि न मिलना

8229. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना की मलकनगिरि जोन में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक को पिछले दस वर्षों और उससे अधिक समय से उनकी वार्षिक वेतन-वृद्धियां नहीं मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस असामान्य विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अध्यापकों को कब तक वेतन-वृद्धियां अदा कर दी जायेगी और वह कितने अध्यापकों को मिलेंगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

बैजनाथ-पालमपुर सड़क पर कार, जिसमें सम्माननीय छोगलिंग रिम्पोचे सवार थे, की सैनिक ट्रक से भिड़न्त

8230. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1973 के सिक्किम हैरल्ड में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि 22 जनवरी, 1973 को बैजनाथ-पालमपुर सड़क पर एक जीप, जिस में तिब्बत के शरणार्थी नेता सम्माननीय छोगलिंग रिम्पोचे सवार थे, की प्राण-घातक भिड़न्त एक तेज गति से गलत हाथ पर दौड़ रहे एक सैनिक शक्तिमान ट्रक संख्या बी० ए० 18909 के साथ हो गई ;

(ख) क्या इस बारे में पुलिस जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या माननीय छोगलिंग रिम्पोचे की मृत्यु से उनका परिवार और तिब्बती खेम्पा सेललमेंट के 1500 से अधिक शरणार्थी निराश्रित हो गए हैं ; और

(घ) क्या मृतक के परिवार को मुआवजा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

Bill to Bring Doctors and Hospital Employees under the Factory and Shops Act

8231. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme to bring Hospital employees, including doctors, under the Factory and Shops Act;

(b) whether any Bill in this regard is also proposed to be introduced in Parliament; and

(c) if so, the time by which such a Bill is likely to be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) There is no scheme under consideration to bring hospital employees, including doctors, under the Factories Act, 1948. The question of amendment of Shops Acts falls in the State sphere.

(b) & (c) Do not arise.

उत्तर प्रदेश में विभिन्न खनिजों का पता लगाना

8232. **श्री अम्बेश :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न खनिजों का पता लगने के बारे में समाचार मिले हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वे खनिज पाये गए हैं ; और

(ग) किन-किन स्थानों में खनन कार्य आरम्भ हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में विभिन्न खनिज निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं, जिनमें मिर्जापुर जिले में अण्डालुजाइट; बांदा और बनारस में बाक्साइट ; बांदा जिले में मृत्तिका; मिर्जापुर जिले में कोयला; बोदा, मिर्जापुर, देहरादून और टेहरी जिलों में डोलोमाइट; बांदा, इलाहाबाद, झांसी और देहरादून में कांच-बालू; देहरादून, मिर्जापुर, पिथौरागढ़, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में चूनाश्म ; अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में मैग्नेसाइट, मसूरी जिले में फास्फोराइट; झांसी और हमीरपुर जिलों में डायस्पार और पाइरोफिलाइट; पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल जिलों में जिप्सम और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में टाल्क और स्टीटाइट और आगरा, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, देहरादून, मिर्जापुर और झांसी जिलों में भवन प्रस्तर महत्वपूर्ण हैं। पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीसा-जस्ता-ताम्र पूर्वेक्षण का समन्वेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मिर्जापुर और चमोली जिलों में वर्तमान क्षेत्र-स्तर में आधार धातुओं के लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं।

(ग) बांदा जिले में बाक्साइट, झांसी और हमीरपुर जिलों में पाइरोफिलाइट और डायस्पार, मिर्जापुर और टेहरी-गढ़वाल जिलों में डोलोमाइट; पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल जिलों में जिप्सम, मिर्जापुर, देहरादून और टेहरी गढ़वाल में चूनाश्म, इलाहाबाद जिले में सिलिका सैण्ड और अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में स्टीटाइट खनिज समुपयोजनाधीन है।

कोयले के छोटे व्यापारियों से शिकायत

8233. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले के छोटे व्यापारियों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कोयले की खानों के सरकारी करण से उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला व्यापारियों ने सरकार को यह सुझाया है कि उसे खानों के प्रबन्ध ग्रहण पश्चात्, कोयला वितरण की व्यवस्था को इस समय जल्दी में परिवर्तित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वह कोयला व्यापारी, जो इस समय इस व्यवसाय में अभियोजित हैं, बेकार हो जाएंगे। उनके अधीन कार्यरत स्टाफ के अनियोजित होने की संभावना और कोयला व्यापार की पूंजीहानि का भी उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था के अधीन वितरण सुविधा को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही इन पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

एक ब्रिटिश फर्म द्वारा एवरो 748 का परीक्षण

8234. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में हिन्दुस्तान एयरो-नाटिक्स लिमिटेड, कानपुर, द्वारा निर्मित एवरो 748 विमान को इण्डियन एयरलाइन्स तथा अन्य विमान कम्पनियों को दिए जाने से पूर्व एक ब्रिटिश फर्म द्वारा जांच की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश फर्म द्वारा उक्त जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर द्वारा हाल ही में निर्मित एक एच एस 748 विमान को मैसर्स हाकर्स सिडलें एविएशन लिमिटेड तथा राल्स रोयसी (1971) लिमिटेड के परामर्श से कतिपय तकनीकी समस्याओं की जांच पड़ताल के लिए ब्रिटेन भेजा गया है। ये जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

ज्यूं ही जांच-पड़ताल पूरी हो जाएगी और उपचारी उपाय कर लिए जाएंगें। इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन को और आगे विमान दिए जाएंगें। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को एच एस 748 विमान के लिए किसी अन्य एयर लाइन्स ने अभी तक आर्डर नहीं दिए हैं।

रण स्थल से भाग जाने वाले (डेज़रटर) को शौर्य पुरस्कार

8235. **श्री वयालार रवि** :

श्री वक्शी नायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'टाइम्स आफ इण्डिया'' दिनांक 14 मार्च, 1973 में प्रकशित ''डिज़रटर आनर्ड फार ब्रेवरी'' (रण-स्थल स भाग जाने वाले को शौर्य पुरस्कार) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) शौर्य पुरस्कार को रद्द करनें के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मेंगनीज ओर (इण्डिया) के कार्यों में अनियमिततायें

8236. **श्री समर गुह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बता नेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंगनीज ओर (इण्डिया) ने सी० पी० एम० ओ० के साथ, 9,000 टन अयस्क का सौदा किया हुआ है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के उच्च अधिकारियों द्वारा अनुचित व्यक्तिगत व्यय किया जा रहा है ;

(ग) क्या इस कम्पनी के कार्यों में विभिन्न प्रकार की अन्य अनियमितताओं का पता लगा है ;

(घ) यदि हां, ता उसका ब्यौरा क्या है ; और .

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले में कोई जांच करवाने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जून, 1968 में मेंगनीज़ ओर इण्डिया लिमिटड के विक्रेता एजेन्ट सी० पी० एम० ओ० की मार्फत ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 9,000 टन मेंगनीज खनिज बेचा गया था । तब से लेकर सी० पी० एम० ओ० की मार्फत कोई माल नहीं बेचा गया है ।

(ख), (ग) और (घ) कम्पनी के कार्यों पर सरकार की सतत् नजर है और आवश्यक उचित कार्यवाही की जा रही है / की जाएगी ।

इस्लामी विदेश मन्त्री के सम्मेलन में युद्ध-बंदियों के मामले का उठाया जाना

8237. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इस्लामी विदेश मंत्री सम्मेलन में मलाया के टंकु अब्दुल रहमान ने यह कहा है कि भारत में पाकिस्तान युद्धबन्दियों की रिहाई शीघ्र होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, इस्लामिक सचिवालय के महामंत्री की हैसियत से श्री टंकु अब्दुल रहमान ने निम्नलिखित विचार प्रकट कियें थे :–

"एक और गंभीर चिंता का विषय है भारत में बन्दी पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की रिहाई का प्रश्न क्योंकि जनेवा सम्मेलन की धारा 118 के अन्तर्गत स्पष्ट व्यवस्था है कि जब दो युद्धरत देशों के बीच शांति-संधि पर हस्ताक्षर हो जाए तो सब युद्धबन्दियों को मुक्त कर दिया जाना चाहिए, परन्तु

किसी न किसी कारण हो भारत अब भी उनको बन्दी बनाए हुए है। इस सम्बन्ध में जो कुछ किय गया है, मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार से मुझे कोई औपचारिक समाचार नहीं मिला है; यद्यपि पाकिस्तान सें व्यक्तियों और संगठनों सें अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मुझ से हस्तक्षेप करने के लिये कहा गया है।"

इन परिस्थितियों में यही किया जा सकता है कि यह सभा मानवता और न्याय के हित में युद्धबन्दियों की शीघ्र रिहाई के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार करे और उचित कदम उठाने की सिफारिश करे। जब तक यह स्थिति जारी है, भावी संघर्ष का खतरा बना रहेगा।

(ख) सरकार महसूस करती है कि ऐसी किसी धार्मिक सभा में इस प्रकार की समस्याओं की चर्चा उचित विषय नहीं है। यदि इस प्रकार के विचार मानवीय विचारधारा से अभिप्रेरित हैं तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि पाकिस्तान में जबर्दस्ती रोके गये और बंगला देश न लौटने दिये गये हजारों बंगालियों के विषय में कोई बात नहीं कही गई है। सरकार आशा करती है कि 17 अप्रैल, 1973 के भारत-बंगलादेश की संयुक्त घोषणा जो मानवीय विचाराधारा से प्रेरित है, पाकिस्तान द्वारा स्वीकार की जायेगी और मानवीय समस्याओं के सुलझाने में सहायता करेगी।

चीन द्वारा तटीय जल सम्बन्धी घोषणा

8238. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या विदेश मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय चल के बारे में चीन द्वारा की गई घोषणा पर, जैसा कि 22 मार्च, 1973 कें समाचार पत्रों में समाचार छपा है सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस प्रकार का समाचार देखा है।

(ख) यह समाचार संयुक्त राष्ट्र समुद्र-तल समिति न्यूयार्क में 20 मार्च, 1973 को दिये गए चीनी प्रतिनिधि के वक्तव्य पर आधारित है। उस वक्तव्य में चीनी प्रतिनिधि ने क्षेत्रीय समुद्र सीमा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये थे। क्षेत्रीय समुद्र सीमा के संबंध में उसने कहा कि अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार अपने क्षेत्रीय समुद्र की सीमा निर्धारित करना प्रत्येक देश का प्रभुसत्तात्मक अधिकार है। किसी क्षेत्र विशेष के पड़ौसी देशों, जिनकी प्राकृतिक दशाएं और राजकीय हित समान हैं, में उस क्षेत्र के क्षेत्रीय समुद्र के समान विस्तार पर विचार विमर्श द्वारा सहमति हो सकती है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में उसने कहा कि अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए कोई राज्य, अपनी विशिष्ट स्थितियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता के अनुसार, तर्कसंगत ढंग से अपने क्षेत्रीय समुद्र के परे आर्थिक संसाधनों पर अपने अधिकार क्षेत्र की परिभाषा कर सकता है। किसी समान समुद्र-क्षेत्र में स्थित पड़ौसी देशों को समानता और आपसी सम्मान के आधार पर विचार विमर्श द्वारा अधिकार क्षेत्र की सीमाएं न्यायोचित ढंग से निर्धारित करनी चाहिए।

M/J(D) 5LSS—5

इन प्रश्नों अर्थात् क्षेत्रीय समुद्र की वाह्य सीमाएं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना और अन्य संबंधित मामलों पर नवम्बर/दिसम्बर 1973 में न्यूयार्क में होने वाले समुद्री विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र पूर्णाधिकारी सम्मेलन में विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र समुद्रतल समिति में इस सम्मेलन की तैयारी का काम हो रहा है। इस समिति में भारत सरकार भाग ले रही है और समुद्र विधि से संबंधित पूर्णाधिकार सम्मेलन में भी भाग लेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स बरुआ रेस्टोरेंट को आपराधिक मामलों से बरी किया जाना

8239. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में मैसर्स बरुआ रेस्टोरेंट, जमशेदपुर के सम्बन्ध में, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कम्पनियों के लाने के सम्बन्धी सरकारी फाइलें और उस अधिनियम के अन्तर्गत उस रेस्टोरेंट के सम्बन्ध में तैयार की गई योजना मालिक को उपलब्ध कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध दायर किये गये उपबन्धों के पालन न किये जाने के आपराधिक मामले पर हुएं व्यय सहित बरी कर दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है और उक्त प्रतिष्ठान को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

रिकार्ड में यह बताने के लिए कुछ नहीं है कि मैसर्स बरुआ रेस्टोरेंट की फाईल नियोजक को उपलब्ध कराई गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारम्भ की गई आपराधिक कार्यवाइयां, प्रबन्ध-तंत्र द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर दायर की गई रिट याचिका पर, पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई। इसलिये, किसी व्यक्ति पर जिम्मेवारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, जमशेदपुर के भविष्य निधि निरीक्षक को उपयुक्त हिदायतें दे दी गई हैं कि प्रतिष्ठान को अधिनियम के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में वे विस्तृत निरीक्षण करें।

Setting up of Hindi Bhawans in Fiji and Mauritius

8240. **Shri M.S. Purty :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Kendriya Hindi Sansthan (Central Hindi Institute) has made a suggestion to set up Hindi Bhavans in Fiji and Mauritius also like Bha.-tiya Hindi Bhavan; and

(b) if so, an account thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

झूमरीतलैया, हजारीबाग स्थित सैनिक स्कूल में दाखिले के नियम और विनियम ।

8241. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झूमरीतलैया, हजारी बाग स्थित सैनिक स्कूल में दाखिले के नियम व विनियम क्या हैं ; और

(ख) छात्रावास का कुल शुल्क और सम्बद्ध व्यय कितना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हर वर्ष ली जाने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 9 से 10 वर्ष और 10 से 11 वर्ष के बीच आयु के लड़के सभी सैनिक स्कूलों में क्रमश: पांचवीं तथा छठी कक्षाओं में दाखिल किये जाते हैं । तथापि, छठी कक्षा में प्रवेश उन्हीं स्कूलों में किया जाता है जहां उस कक्षा में रिक्त स्थान हैं और वह भी केवल उसी राज्य के अभ्यार्थियों तक सीमित है जिस राज्य में वह स्कूल स्थित है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सफल हुए अभ्या र्थियों को छोड़ कर जिन्हें मेरिट सूची में उनके स्थान का विचार किए बिना दाखिल किया जाता है, शेष को पूर्णतया मेरिट के अनुसार ही दाखिल किया जाता है । हरेक स्कूल में 67 प्रतिशत स्थान उसी राज्य के लड़कों के लिए आरक्षित हैं जिस राज्य में स्कूल स्थित हैं । यदि कोई कमी रहती है तो शेष स्थान अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लड़कों को दिए जाते हैं । हर वर्ष कुल प्रवेश का 33 प्रतिशत रक्षा सेवा कार्मिकों/अफसरों के बच्चों के लिए भी सैद्धान्तिक रूप से आरक्षित है ।

(ख) सैनिक स्कूल झूमरीतलैया में शिक्षा-शुल्क, होस्टल और अन्य खर्च सहित पहले वर्ष कुल खर्च 2,450 रुपए तथा उसके बाद के वर्षों में 2,300 रुपये आता है ।

श्रीनगर-लेह सड़क से बर्फ हटाना

8242. **श्री वरके जार्ज :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर-लेह सड़क से लगभग 20 लाख बर्फ हटाने का कार्य इस बीच शुरू किया जा चुका है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इसमें लगभग कितना खर्च आयेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) कार्य जून, 1973 के प्रथम सप्ताह तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और अनुमानित लागत 20 लाख रुपए होगी ।

कपड़ा मिल मशीनों का उत्पादन

8243. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों की अपेक्षा देश में कपड़ा मिल मशीनों का उत्पादन इस समय कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत कुछ वर्षों में कपड़ा मिल मशीनों तथा उनके फालतू हिस्सों तथा सहायक सामानों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :–

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु० में)		योग
	कपड़ा मिल मशीनें	फालतू हिस्से तथा सहायक सामान	
1968	15.07	19.31	34.38
1969	19.91	17.02	36.93
1970	30.23	25.88	56.11
1971	36.04	30.38	66.42
1972	29.88	35.92	65.80

(ख) और (ग) वर्ष 1972 में कपड़ा मिल मशीनों की कम मांग और आर्डरों की प्रमुख रूप से कमी होने के कारण कपड़ा मिल मशीनों के उत्पादन में गिरावट आई थी। फिर भी, देखने से यह पता चलता है कि संपूर्ण कपड़ा मिल मशीनों, उनके फालतू हिस्सों तथा सहायक सामानों सभी के कुल उत्पादन मूल्य में बढ़ौतरी का रूख रहा है और 1972 के कुल उत्पादन में मामूली गिरावट आई है। कपड़ा मिल मशीनें बनाने वाले उद्योग की पर्याप्त क्षमता अप्रयुक्त रही है जो कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। जैसे ही कपड़ा मिलें अपने पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये आर्डर देने की स्थिति में हो जायेगी वैसे ही स्थिति सुधर जाएगी। इस उद्योग के प्रणालीबद्ध विकास के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने हेतु भारी उद्योग मंत्रालय का कपड़ा मिल मशीन निर्माता संघ के प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र ही विचार–विमर्श करने का विचार है।

देश मे निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि

8244. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ट्रैक्टरों के स्वदेशी निर्माण की स्थिति में उनके मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आयातित ट्रैक्टर के मूल्य की तुलना में देश में बनाये गये इसी प्रकार के ट्रैक्टर का मूल्य अधिक हो सकता है।

(ख) इसके मुख्य कारण ये हैं :—

(1) विदेशी निर्माता जिस मूल्य पर भारत को ट्रैक्टर निर्यात करता है वह सामान्यता : सहायता प्राप्त मूल्य होता है और उससे उस देश की वास्तविक उत्पादन लागत का ज्ञान नहीं होता है ।

(2) संयंत्र और उपकरण तथा कच्चे माल की लागत चाहे वह आयातित हो अथवा देशी, भारत में सामान्य रूप से अधिक है ।

(3) देशी एककों द्वारा उत्पादन की मात्रा सामान्य रूप से आर्थिक लाभप्रदता की दृष्टि से अल्प होती है स्पष्ट शब्दों में निर्यातकर्त्ता देशों की अपेक्षा, यह मात्रा अत्यन्त अल्प होती है।

स्कूटरों के उत्पादन के लिए 11 और एकक

8245. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अतिरिक्त एककों द्वारा अधिक स्कूटरों का निर्माण किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन नये एककों द्वारा स्कूटरों का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां । आशा है कि 11 नये एककों में साधारण सा उत्पादन 1974–75 तक होने लगेगा ।

Manufacture of Automatic Watches by H.M.T.

8246. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether H.M.T. Bangalore has manufactured such watches as have dates and are automatic; and

(b) if so, the time by which these are likely to be available in the market?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry Shri (Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. Mostly by way of assembly.

(b) Thes e are already available in the market in limited numbers.

युद्ध बंदियों की रिहाई के प्रचार के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध बंदियों की पत्नियों का पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल

8247. श्री एस० सी० सामन्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर युद्ध–बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिये युद्ध–बंदियों की पत्नियों और अन्य लोगों के पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के सम्बन्ध में राजनयिक क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

(ख) इस प्रतिकूल प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये भारत ने क्या प्रयास किया है ; और

(ग) युद्ध बन्दियों के मामले में भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में विश्व को अवगत कराने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान से युद्ध–बंदियों की पत्नियों का जो प्रतिनिधि मंडल विदेश गया था उसकी आड़ में पाकिस्तान ने युद्ध–बंदियों के प्रश्न पर भारत के खिलाफ एक और प्रचार अभियान शुरू किया ।

सरकार ने पाकिस्तानी प्रचार का खंडन करने तथा युद्ध–बंदियों के मामले पर विश्व जनमत को सही स्थिति से अवगत कराने के लिये उचित कार्रवाई की है ।

ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के दल का भारत का दौरा

8248. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयर कारपोरेशन के किसी दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था और यदि उनके साथ कोई समझौता हुआ है, तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) यह यात्रा ब्रिटिश एयर क्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा बनाये गये वायुयान की रूपरेखा के प्रदर्शन के संबंध में थी । इस दल के साथ कोई करार नहीं हुआ ।

गुजरात में युगांडा के प्रत्यावर्तित व्यक्ति

8249. श्री वकारिया

डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगांडा से प्रत्यावर्तित कितने व्यक्तियों को वर्ष 1972 के दौरान गुजरात राज्य में बसाया गया ;

(ख) उन्हें किन–किन स्थानों पर बसाया गया ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उन्हें कितनी सहायता दी गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : युगांडा से आए प्रत्यावासियों में से लगभग 5,000 प्रत्यावासियों के गुजरात राज्य में जाने का अनुमान है । चूंकि इन प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये अभी योजना मंजूर की जानी है, इसलिये इस समय गुजरात के विभिन्न स्थानों में बसाये गए प्रत्यावासियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है । गुजरात सरकार ने, अन्तरिम तौर पर, उचित मामलों में 500 रु० प्रति परिवार तदर्थ अनुदान मंजूर किए हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग दुमका के विरूद्ध आपराधिक मामले

8250. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचालक भविष्य निरीक्षक की गलतियों के कारण, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग दुमका के विरूद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में उक्त कम्पनी को दोषमुक्त सिद्ध किया गया और न्यायालय ने उक्त भविष्य निधि निरीक्षक के कार्य पर प्रतिकूल टिप्पणी की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भविष्य निधि निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या संस्थान से वसूली के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित भविष्य निधि निरीक्षक को कहा गया है कि वह यह स्पष्ट करे कि जिन मुकदमों में वह परिवादी था, उनकी विफलता और जांच न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिये ।

(ग) उपर्युक्त प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में नए सिरे से जांच की जा रही है

Closure of Britannia Engineering Company, Makama (Patna)

8251. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Britannia Engineering Company, Makama Patna has been lying closed for several months;

(b) if so, the number of workers working there;

(c) whether on account of closure of the said company, the workers have been neither paid salaries for the last several months nor the bonus for 1971 as a result of which they are facing starvation;

(d) if so, the total dues of workers outstanding against the company; and

(e) the action taken or proposed to be taken by Government for making payment thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (e) According to available information, the Company had given notice of closure from February 20, 1973 to the Government of Bihar. The number of workers affected was reported to be 850. The State Government who are principally concerned had asked the management to pay the workers their arrears of wages, bonus and all other dues before effecting the closure. Information about outstanding dues is not available with the Ministry of Labour. Complaints regarding non-payment of the dues could be referred to the State Industrial Relations Machinery for appropriate action in the matter.

शक्तिमान ट्रक का निर्माण

8253. **श्री शशि भूषण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) शक्तिमान ट्रकों की निर्माण–क्षमता क्या है और इस समय कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है ;

(ख) यदि क्षमता से कम निर्माण हो रहा है तो उसके क्या विशेष कारण हैं और निर्माण में कब तक वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) क्या शक्तिमान ट्रकों का वर्तमान उत्पादन देश की रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ; यदि नहीं तो सरकार का उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करने का विचार है ; और

(घ) क्या शक्तिमान ट्रकों का निर्यात करने और उन्हें नागरिक उपयोग के लिये सुलभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ख) व्हीकल फैक्टरी जबलपुर में शक्तिमान ट्रकों की निर्माण क्षमता 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष है । अभी तक इस क्षमता का 50 प्रतिशत पहुंचा है । निम्नतर उत्पादन होने का मुख्य कारण आवश्यक संयंत्र तथा मशीनों की अप्राप्ति के साथ–साथ कुशल जन शक्ति की कमी है । पूर्ण दर पर उत्पादन 1976–77 तक होने की आशा है । जबकि सेना की इस प्रकार की गाड़ियों की आवश्यकता अधिकतर शक्तिमान के द्वारा पूरी हो जाती है, तथा अवशिष्ट आवश्यकताओं को स्वदेश निर्मित कामशियल गाड़ियों के वैकल्पिक प्रयोग के द्वारा पूरा किया जाता है ।

(घ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बम्बई में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से मुक्त एककों द्वारा निरीक्षण शुल्क न दिया जाना

8254. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधिकार क्षेत्र से मुक्त एकक जिनके मुख्यालय बम्बई में हैं, उन क्षेत्रों में जहां उनकी शाखायें स्थित हैं, जमाकर्ता के कुल वेतन का 0.09 प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क नहीं दे रहे हैं ;

(ख) क्या सम्बन्ध क्षेत्र में निरीक्षण शुल्क जमा करने के लिये अनुदेश जारी किया गया था ; यदि हां, तो अनुदेश की मुख्य बातें क्या हैं और इनके उपयुक्त रूप से लागू न किये जाने के क्या कारण ; और

(ग) क्या मामले का अन्तिम रूप से समाधान करने के लिये किसी नये निदेश की आवश्यकता है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथा–सम्भव सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बिहार राज्य में छूट प्राप्त एककों में कर्मचारी भविष्य निधि

8255. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची के निकट जमालपुर, रगोमोह तथा भुरही स्थित रेलवे वर्कशाप बिहार सरकार के गया तथा गुलजार बाग स्थित मुद्रणालय, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त एकक हैं ; यदि हां, तो किन तिथियों से उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया किन तिथियों को उन्हें छूट दी गई और तत्संबंधी राजपत्र अधिसूचनाओं की तिथियां क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त सभी प्रतिष्ठान 0.09 प्रतिशत की दर पर निरीक्षण प्रभार नियमित रूप से जमा करवाते रहे हैं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रादेशिक आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त आदेशों के अनुपालन की संभावना की जांच के लिये सभी प्रतिष्ठानों में व्यक्तिगत रूप से गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है । इसे यथा–समय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

डालमियानगर के कारखानों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ न दिया जाना

8256. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डालमिया नगर में कागज, चीनी, वनस्पति के विभिन्न एककों और सीमेंट कारखानों में अनेक ठेकेदारों ने भविष्य निधि योजना लागू नहीं की है और सेवा की अवधि कई वर्ष होने पर भी उन्हें भविष्य निधि सदस्यता से वंचित रखा जा रहा है ;

(ख) क्या अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दी गई छूट, कुछ वर्ष पूर्व इसका गम्भीर उल्लंघन होने और पता लगाई गई अनियमितताओं के कारण, रद्द कर दी गई थी ; और

(ग) क्या इस छूट को पुन: बहाल करने के लिये की गई सिफारिश के लिये तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त को भारी पुरस्कार दिया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) डालमिया नगर में स्थित मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न एककों, अर्थात कागज, चीनी, वनस्पति घी और सीमेंट उद्योगों में नियोजित ठेकेदारों के कर्मकारों को भविष्य निधि की सुविधायें प्रदान की गई हैं और इन एककों के कर्मकारों को ऐसे लाभ मिलने से इन्कार करने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी हां, 1967 के दौरान ।

(ग) इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कोई सूचना नहीं है ।

Refugees in Camps in Madhya Pradesh

8257. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees living in various refugee camps in Madhya Pradesh at present;

(b) the time since when these refugees have been living there, and

(c) the annual expenditure incurred by Central Government on them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri V. Raghunatha Reddy): (a) 93,343 persons as on 31st March, 1973, as detailed below :—

(i) State Camp at Dolariya—1,448 persons.

(ii) Central Camp at Mana—91,895 persons.

(b) By far the majority of these refugees belong to 1970 influx, except a few who belong to 1964 influx.

(c) The annual expenditure as per Budget provision during 1973-74, is estimated at Rs. 450 lakhs for Mana Central Camp and Rs. 10·52 lakhs for State Relief Camp at Dolariya.

बजाज (वैंस्पा) और लम्बरेटा स्कूटरों का उत्पादन

8258. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 तक बजाज (वैंस्पा) और लम्बरेटा स्कूटरों के आवंटन के लिये कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) बजाज (वैंस्पा) और लम्बरेटा स्कूटरों के लिये दिसम्बर, 1972 तक अलग अलग कितने आवेदन–पत्र विचाराधीन थे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से जनवरी, 1969 से दिसम्बर, 1972 के बीच बजाज (वैंस्पा) स्कूटर के लिये 79,741 और लम्बरेटा स्कूटर के नियतन के लिये 22,064 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 को बजाज (वैंस्पा) स्कूटर के 70,257 और लम्बरेटा स्कूटर के नियतन के लिये 11,863 आवेदन पत्र निलम्बित थे।

भविष्य निधि अधिनियम का प्रवर्तन

8259. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने 1 अप्रैल, 1973 को जालंधर में यह कहा था कि सरकार भविष्य निधि श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिये दृढ़ है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इसका पालन न करने की स्थिति में सरकार कारखाना मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूक करने वाले नियोजकों के खिलाफ वसूली कार्यवाहियों और अभियोजनों के रूप में कानूनी कार्यवाही सामान्यत: की जाती है। तथापि, तजुर्बे से यह मालूम हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में दण्डनीय उपबन्ध पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है। अन्य बातों के साथ–साथ दण्डनीय उपबन्धों को और अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक, 1973 लोक सभा में 7–3–1973 को पेश किया गया। कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 में संशोधन के लिये इसी प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

फील्ड मार्शल मानक शाह द्वारा पाकिस्तान की शक्ति के बारे में वक्तव्य

8260. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के पृष्ठ 5 कालम एक और दो में "रीआर्मड पिंडी स्ट्रोंगर टुडे—सेज मानकशा (पुनः शस्त्रास्त्र से लैस पाकिस्तान पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली—मानेकशा)" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की इस तैयारी का सामना करने के लिये सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित सभी अनुमानित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिये हमारी रक्षा तत्परता का सतत् पुनरीक्षण किया जाता रहता है ।

टिक्का खां का अमरीका का दौरा

8261. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के कमांडर–इन–चीफ जनरल टिक्का खां ने अधिक शस्त्रों के लिये अमरी का का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेन्टों देशों की मिल्ट्री कमेटी के वार्षिक सम्मेलन के संबंध में जनरल टिक्का खां ने 26 मार्च से 29 मार्च 1973 तक वाशिंगटन का दौरा किया था ।

(ख) ऐसी सभी गतिविधियों का, जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, सतत् पुन–रीक्षण किया जाता रहता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के बीच कार्यों का सीमा-निर्धारण

8262. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और स्टील अथारिटी आफ इंडिया के बीच कार्यों का सही सीमा–निर्धारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० शीर्षस्थ कम्पनी है जिसकी हिन्दुस्तान स्टील लि० एक संघटक इकाई है । चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लि० 'सेल' की एक सहायक कम्पनी होगी इसलिये इससे सेल के मूल कार्यों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं

पड़ेगा। जो इस्पात कारखाने तथा अन्य इकाईयां हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन हैं वे इसके अधीन ही रहेंगे। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का मुख्य कार्य समस्त सहायक कम्पनियों (हिन्दुस्तान स्टील लि० भी शामिल है) में समन्वय स्थापित करना तथा उनके कार्यकरण पर नियंत्रण रखना तथा उनका मार्ग दर्शन करना होगा।

हिन्दुस्तान स्टील लि० सेल के प्रति उत्तर दायी होगी जबकि सेल सरकार के प्रति उत्तर दायी होगी।

युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए जोर्डन की संसद का संकल्प

8263. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोर्डन की संसद ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें भारत से यह अपील की गई है कि पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। जोर्डन के "हाउस आफ डिप्यूटीज" के अध्यक्ष श्री कमाल अरीका का भेजा हुआ एक समुद्रीतार प्रधान मंत्री को मिला है जिसके अनुसार जोर्डन के "हाउस आफ डिप्यूटीज" ने 4 अप्रैल, 1973 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है। :

> "जोर्डन की जनता जो भारतीय उप-महाद्वीप पर घटित पिछली घटनाओं से अत्यन्त खिन्न थी और जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति की स्थापना के लिए अत्यंत उत्सुक है, आपकी सरकार द्वारा अब तक नजरबन्द हजारों पकिस्तानी युद्धबंदियों की वर्तमान स्थिति से अत्यन्त चिन्तित है। जोर्डन का "हाउस आफ डिप्यूटीज" आप महामान्य को यह स्मरण कराना चाहता है कि इस तथ्य के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने भारतीय बंदियो को पहले ही मुक्त कर दिया है, भारतीय प्राधिकारियों द्वारा इन बंदियों को लगातार बन्द रखने से जोर्डन की तथा सभी राष्ट्रों को भावनाओं को चोट पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त, जैनेवा समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन न करना भारतीय परम्पराओं के विरुद्ध है। इस लिए हम आपसे अपील करते हैं कि इन पाकिस्तानी बंदियों को मुक्त कर दें जिससे कि वे सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौट सकें और अपने-अपने परिवार से मिल सकें। यह मानवीय दृष्टिकोण से उचित है कि जिसे बनाए रखने को आप स्वयं जागरूक हैं। हाल ही में बंगाला देश के अधिकारियों को पाकिस्तान बंदियों को सौपने का जो प्रस्ताव किया गया है वह बंदियों को छोड़ने के भारत

सरकार द्वारा किए गए पहले के वायदों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार के कार्य से उप-महाद्वीप के देशों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इससे विश्वशांति को बड़ी ठेस लगेगी और इस क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना में बाधा पड़ेगी। हम आप महामान्य से हार्दिक अनुरोध करते हैं कि सभी समस्याओं को हल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, बंदियों को मुक्त करने से संबंधित जिम्मेवारियों को स्वीकार कर आप उप-महाद्वीप में स्थिति सामान्य बनाने के इस ऐतिहासिक अवसर का उपयोग करें।"

(ग) भारत सरकार को इस बात का खेद है कि इस प्रस्ताव में इस मूल तत्थ को अनदेखा कर दिया गया है कि इन बंदियों ने भारत-बंगला-देश की संयुक्त कमान के सम्मुख आत्म-समर्पण किया था और इसलिए इस मामले पर किसी भी विचार-विमर्श में बंगलादेश का शामिल होना आवश्यक है। पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता न दिए जाने से इस मामले में प्रगति अवरूद्ध हो गई है। सरकार को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस प्रस्ताव में उन बंगालियों का कोई उल्लेख नहीं है जो पाकिस्तान में फंसे दारुण दुख भोग रहे हैं और जिनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। बहरहाल, सरकार को आशा है कि दिनांक 17 अप्रैल, 1973 को की गई भारत-बंगलादेश संयुक्त घोषणा से वह मानवीय चिन्ता दूर हो जाएगी जिससे विचलित होकर ही सम्भवत: जोर्डन के "हाउस आफ डिप्यूटीज" ने उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया था।

बंगला देश, विस्थापितों का पुनर्वास

8264. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से विस्थापितों का पुनर्वास अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्थापितों के आंकड़े और उन शिवरों के नाम क्या हैं जहां ये विस्थापित पुनर्वास के लिये अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) इन विस्थापितों का शीघ्र पुनर्वास करने के लिये सरकार का प्रस्तावित निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां, अभी भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए सहत शिवरों में रह रहे लगभग 28,000 नए प्रवासी परिवारों का पुनर्वास करना होगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस नए प्रवासी शिवर परिवारों के शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। कृषि भूमि के अप्राप्यता जैसे विभिन्न अनिश्चित कारणों को ध्यान में रहते हुए कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

7 अप्रैल, 1973 को भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों की शिविर जनसंख्या

राज्य	शिविर का नाम	शिवरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे शरणार्थी परिवारों की संख्या
ग्रासाम	बामुनी गांव	65
	चन्द्रनाथपुर	315
	चरगोला	384
	दुदनई	63
	दलगोमा	304
	सिधाबारी	105
	दुवापाड़ा	144
बिहार	मंरगा	456
	बेतिया	45
मध्य प्रदेश	दोलरिया (1, 11, तथा 111)	320
महाराष्ट्र	बाबूपेठ	575
	चन्द्रपुर	463
मेघालय	सेंग्राम	178
उड़ीसा	सुनाबेदा	5
राजस्थान	देवली	769
त्रिपुरा	पबियाचेरा	133
	ग्ररुधतीनगर	83
उत्तर प्रदेश	रुद्रपुर	1,175
		5,582
केन्द्रीय शिविर		
	माना शिविर	19,835
	दण्डकारण्य कार्य केन्द्र	2,548
	योग	27,965

कलकत्ता मैदान का नाम बदल कर नेता जी नाम रखना

8265. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में जनमत और हमारी स्वाधीनता की रजत जयन्ती वर्ष को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विकार कलकत्ता मैदान (जो रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है) का नाम बदल कर नेताजी मैदान रखने पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो, इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) कलकत्ता मैदान का नियन्त्रण कतिपय शर्तों पर स्थानीय सरकार के पास है। इस का पुनः नाम रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कलकत्ता मैदान सामान्य बोल-चाल में पहले ही "शहीद मिनार मैदान" के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय सरकार के परामर्श से रक्षा मंत्रालय ने नेवल शोर इस्टेब्लिशमेंट आई० एन० एस० हुगली, कलकत्ता का नाम "आई एन एस नेताजी' रखने का पहले ही निर्णय कर लिया है।

ईंट तथा मिट्टी के खपरैल के उद्योगों का विकास

8266. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईट तथा मिट्टी के खपरैल के उद्योगों ने कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने का माननीय मंत्री के उस वक्तव्य के सन्दर्भ में स्वागत किया था कि जिसमें कहा गया था कि अप्रैल, 1973 से इस उद्योग को इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिदिन कोयले के 400 वैगन मिलेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के परिवहन के लिए वैगनों के आवंटन के मामले में इस उद्योग के साथ अन्य निर्माण उद्योगों जैसा व्यवहार नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सारे देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देन वाल इस घरेलू उद्योग के विकास की ओर समुचित ध्यान देने का है और प्रतिदिन, 1,000 वैगनों की इस की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) ईट–भट्टी उद्योगों और विद्युत घरों, इस्पात संयंत्रों, रेलवे सुरक्षा एककों इत्यादि जैसे देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण अन्य उद्योगों के बीच समानता नहीं हो सकती है।

(ग) ईट भट्टी उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता और उसकी नियोजन सम्भाव्यताओं की सरकार को जानकारी है। वर्तमान वर्ष के लिए 1971 में मांग निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित ईट भट्टी प्रयोजनों के लिये कोयले का निर्धारण 1,000 वैगन प्रतिदिन न होकर लगभग 550 वैगन प्रतिदिन है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्तों की वित्तीय शक्तियां

8267. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम** और **पुर्नवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सहायक आयुक्त की वित्तीय शक्तियां क्रमश: 500 रुपये तथा 250 रुपये तक सीमित हैं और यह सीमा गत 12, 14 वर्षों से चली आ रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वित्तीय शक्ति सम्बन्धी इस सीमा को बढाने का है; और

(ग) क्या सहायक आयुक्त (ग्रैड–2) तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रैड–1) जिन्हें आउट स्टेशनों पर नियुक्त किया जाता है, को कुछ ऐसी शक्तियां देने का विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों और सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को व्यय के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत समय-समय पर वित्तीय अधिकार दिए गए हैं । और ऐसे वित्तीय अधिकार की सीमा भिन्न-भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न है । समय-समय पर वित्तीय अधिकारों की पुनरीक्षा की गई है और जब कभी आवश्यक समझा गया तो ये सीमाएं बढ़ा दी गई ।

(ख) फुटकर व्यय करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय भविष्य निधि अयुक्तों के बढ़ाने की वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने का प्रश्न, विचाराधीन है ।

(ग) इस समय नहीं ।

मनीपुर में मजदूर संघों को मान्यता देना

8268. **श्री एन टोम्बी सिंह** : क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मनीपुर में विभिन्न भागों में बहुत से मजदूर संघ मनीपुर सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने की प्रतीक्षा में हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और इन संघों को मान्यता देने में सरकार के सम्मुख क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत एक से अधिक संगठित हैं और उस विभाग के अन्तर्गत मान्यता की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) क्या वे विभाग, जिनके अन्तर्गत एक ही श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कई मजदूर संघ गठित किये गये हैं संघों के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए योजनायें

8269. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक समय की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए विदेशी भाषाओं को सीखने संबंधी वर्तमान योजनाओं का विस्तार और नवीकरण किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ;

(ख) क्या इस समय उपलब्ध सुविधाओं से विदेशी भाषाओं को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है ; और

(ग) इस समय कितनी विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाता है और शिक्षार्थी का वर्ग क्या है और किसी विशिष्ट भाषा अथवा भाषाओं के समूह पर विशेष बल दिया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। अधिकारियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य बनाकर विदेशी भाषाएं सीखने को प्रोत्साहन दिया गया है। विभिन्न अधिकारियों को विशेष भाषाएं सीखने को दी जाती है जिन्हें उनमें उचित स्तर तक योग्यता प्राप्त करनी होती है। भारतीय विदेश सेवा (शाखा "ख") के कर्मचारी सदस्यों को भी विदेशी भाषाएं सीखने की सुविधाएं दी गई हैं। मंत्रालय भी आजकल विदेश स्थित हमारे कुछ मिशनों में विदेशी भाषा की कक्षाएं चला रहे हैं, यह योजना विदेश-स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये लाभकारी सिद्ध हुई हैं। रक्षा मंत्रालय के विदेशी भाषा स्कूल में जो प्रबंध हैं, उनके अलावा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी हमारे अधिकारियों को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए पाठ्यक्रम चला रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विदेशी भाषाएं सिखाने के लिये नए-नए तरीके अपनाने के प्रयत्न में है। विदेशी भाषाएं सिखाने की योजनाओं पर बराबर समीक्षा की जाती है और जब कभी विस्तार की आवश्यकता महसूस की जाती है, उसका विस्तार कर दिया जाता है।

(ख) जी हां। चूंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने विदेशी भाषाएं सिखाने में नए-नए तरीके सुलभ कराने का जिम्मा लिया है, इसलिये हमारे अधिकारियों को विदेश में नियुक्त होने से पहले भारत में मुख्य कार्यालय में ठहरने के दौरान विदेशी भाषाएं सीखने का पर्याप्त अवसर मिला करेगा।

(ग) फिलहाल हमारे अधिकारियों को अनिवार्य। एच्छिक रूप से अध्ययन करने के लिए 35 विदेशी भाषाएं दी जा रही हैं। भारतीय विदेश सेवा के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक विदेशी भाषा अध्ययन के लिए दी जाती है। सेवा में पुष्टि से पूर्व उन्हें दी हुई भाषा

की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। ये अधिकारी एच्छिक विदेशी भाषाएं भी लेते हैं प्रथम श्रेणी के सभी भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को अनिवार्य विदेशी भाषा में परीक्षा पास करनी होती है। सरकार की आवश्यकता और महत्वपूर्ण विदेशी भाषा में योग्यता के स्तर को ध्यान में रखते हुए विदेशी भाषा के अध्ययन का आवंटन किया जाता है।

पुर्वोत्तर क्षेत्र का भूसर्वेक्षण कराना

8270. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से मनीपुर और सहवर्ती क्षेत्रों का सम्पूर्ण भू-सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) क्या भारत सरकार को पता है कि बहुत समय से इस तरह का सर्वेक्षण कराने के लिए भारी मांग की गई है, यदि हां, तो, इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में इस समय किस प्रकार का सर्वेक्षण कराया गया है अथवा किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मणिपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और सर्वेक्षण खनिज अन्वेषण किए हैं और यह सर्वेक्षण जारी है।

(ग) क्षेत्र के विभिन्न भागों में किए गए सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अतिरिक्त, मणिपुर में चूनाश्म, लिग्नाइट, मृत्तिका और क्रोमाइट के लिए ; नागालैण्ड में कोयला और चूनाश्म के लिए ; यूनाइटेड मिकिर और नार्थ कचार घाटियों में कोयला, मृत्तिका, चूनाश्म और फास्फेट के लिए ; आसाम के कचार जिलें में गैस निस्पन्दनों के लिए ; त्रिपुरा में मृत्तिका, कांच-बालू, लिग्नाइट, गैस निस्पन्दनों और इमारती पत्थर के लिए और मिजोराम में सेलाइन निस्पन्दनों के लिए अन्वेषण किए गए। चालु क्षेत्र सत्र (1972–73) में लिग्नाइट के लिए मणिपुर में व्यघन द्वारा अन्वेषण और दक्षिणी मणिपुर के भागों, त्रिपुरा, मिजोराम और आसाम की मिकिर घाटियों में सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्र के द्वारा अन्वेषण किए जा रहे हैं। चालू क्षेत्र कार्यक्रम में मणिपुर में निकल, ताम्र, क्रोमियम और प्लेटिनम धातुओं के ग्रुप, चूनाश्म और एस्बेटॉस के लिए और त्रिपुरा में मृत्तिका और कांच-बालू के लिए अन्वेषण भी सम्मिलित हैं।

अतिरिक्त रक्षा अकादमियों की स्थापना

8271. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देहरादून की अकादमी के ढांचे पर और अधिक रक्षा अकादमियों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश में किसी उपयुक्त क्षेत्र में एक अकादमी की स्थापना करने के बारे में सोच रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देहरादून अकादमी की वर्तमान क्षमता से वर्तमान मांग पूरी हो सकती है ; और

(घ) क्या सरकार रक्षा अकादमी देहरादून की सीटों की संख्या वढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि राज्यों को और सीटें प्राप्त हो सकें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां श्रीमन् ।

(घ) जी नहीं श्रीमन् । आकदमी में सीटों का राज्यवार बंटवारा नहीं है ।

बंगला देश को ऋण और अग्रिम राशि दिया जाना

8272. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश को कितना ऋण और राज-सहायता दी गई ;

(ख) इस ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण को लौटाने के लिए किस प्रक्रिया पर सहमति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) से (ग) बंगलादेश को दिए गए ऋण एवं आर्थिक सहायता और ऋण की अदायगी की शर्तों से सम्बद्ध एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–4878/73)

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

8273. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनाओं को लाभ हुआ और कौन-कौन सी परियोजनाओं को घाटा हुआ ;

(ख) प्रत्येक परियोजना को कितनी हानि हुई और इस हानि के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1973–74 में हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4879/73)

(ग) भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के कार्य को सुधारने के लिए जो घाटे में चल रहे हैं, सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें युक्तिपूर्ण उचित कार्मिक नीति को प्रगतिशील ढ़ग से लागू करना, प्रोत्साहन योजनाएं, उत्पादन के सुधरे हुए तरीके आयोजन और नियंत्रण क्षेत्रों में दोहरी तिहरी पालियों में काम करना, उत्पादन कार्यक्रम का विविधीकरण, सहायक उद्योगों का विकास, प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस एककों के कार्यों की जांच करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ दल नियुक्त किए जाने हैं। इसके अलावा इस मंत्रालय में एक नियमित जांच-पड़ताल प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। इन अभुपायो के परिणास्वरुप आशा है कि आने वाले वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्यों में सुधार होगा।

क्षेत्रीय सुरक्षा निधि कार्यालयों में भविष्य निधि लेखों का हिसाब न रखना

8275. **श्री सुधाकर पाण्डेय** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय सुरक्षा निधि कार्यालय भविष्य निधि का अद्यतन हिसाब नहीं रखते, जिसके कारण सेवा निवृत्त होने और अन्य विधिसम्मत कार्यों के लिए कर्मचारियों को समय पर भविष्य निधि की राशि नहीं मिल पाती;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी०वेंकट ़ामी): (क) से (ग) इस परिकल्पना पर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों में कर्मचारी भविष्य निधि के खातों के न भरे जाने के बारे में सूचना मांगी गई है, भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है : —

"कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के भविष्य निधि खातों को जहां तक संभव होता है अद्यतन रूप में भरा जाता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें नियोजकों से देय राशियों और विवरणीयां प्राप्त नहीं होती। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दायित्व केवल निधि में वास्तविक रुप में जमा किए गए अंशदानों की सीमा तक सीमित है।

नियोजकों से भविष्य निधि के अंशदानों और विवरणियों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजना चलाया जाता है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाती है।

(3) उचित मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों के पास दायर की जाती है ।

(4) चूक को नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों जिनमें ट्रेड यूनियनें शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है ।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अन्तर्गत दंड हर्जाने लगाये जाते हैं ।

(6) कुछ मामलों में उचित गारंटी, जमानत आदि प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रतिष्ठानों को देय राशियों को किस्तों में भुगतान का मौका दिया जाता है ।

(7) उन कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में, जो समापन की अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, पुनर्निर्माण की योजनाओं की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के सचिव की नियुक्ति के बारे में कम्पनी सचिवों की संस्थान द्वारा अभ्यावेदन

8276. **श्री० एम रामगोपाल रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी सचिवों के संस्थान ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि केवल एक अर्हताप्राप्त कम्पनी सचिव को ही स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड का सचिव नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) कंपनी के सचिव की नियुक्ति करना स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधिकार में है । सचिव की नियुक्ति संगठन की आवश्यकताओं, पद के कार्यभार तथा उपलब्ध व्यक्तियों की अर्हताओं एवं अनुभव को ध्यान में रख कर की गई थी ।

कोयला खानों के प्रबन्ध, कोयले के उत्पादन और उसकी बिक्री पर राष्ट्रीयकरण का प्रभाव

8277. **श्री योगेन्द्र झा:** क्या इस्पात और खान मंत्री 29 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के गैर सरकारी मालिकों द्वारा अपने साथ ले जाए गए दस्तावेजों उपकरणों, आस्तियों आदि के पूरे अथवा आंशिक विवरण इस बीच उपलब्ध कर लिए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले का क्या वास्तविक मूल्य लिया जा रहा है और इन क्षेत्रों में निर्धारित दर पर कोयले की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) कोयले की बिक्री सार्वजनिक ऐजेन्सियों के माध्यम से हो अथवा, राज्य सरकार की एजेन्सियों के अधिकार क्षेत्र में कोयले केडेरों के माध्यम से, क्या इस प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है, यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ग) उस प्रायोजना में, जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, लघु उद्योगों, ईंट भट्टियों और घरेलू उपभोग की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में कोयले के अस्थायी गोदामों को खोलना परिकल्पित है। इसके अधीन, विभिन्न राज्यों में चौंयत स्थानों को पूर्णरेकों में कोयले का संचलन होगा और वहा से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार/संघ राज्यों अथवा उनके अभिकर्ताओं के माध्यम से लघु उपभो ताओं को कोयला वितरित किया जाएगा। यह प्रायोजना, प्रमुख उपभोक्ताओं को जो पहले ही पूर्ण रेकों में कोयला ले रहे हैं, कोयले की आपूर्ति के लिए विद्यमान व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालेगी। प्रायोजना को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

Concentration of Pak troops on Rajasthan border

8278. **Shri Phool Chand Verma. :**

Shri Shiv Kumar Shastri. :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is heavy concentration of Pakistani Army on the Indian border at Rajasthan; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) (a) & (b) **:** Government are not aware of any unusually heavy concentration of Pakistani Army on the Indian border at Rajasthan. All developments across our borders which affect our security are under constant watch.

Racial Discrimination against Indian Workers in Loughborough Hosiery Factory in Britain

8279. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether racial discrimination against 500 Indian workers in Loughborough Hosiery Factory in Britain has come to light in the recent strike for 7 weeks and which was resorted to as a result of non-grant of equal rights of work to the Indian workers in the Hosiery Factory; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are against any discrimination on racial grounds, and hope that legitimate grievances in this regard will be redressed.

Setting up of Regional Office of Iron and Steel Controller

8280. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether Regional Offices of Iron and Steel Controller have been set up for the proper utilization of steel; and

(b) if so, their location and functions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) & (b) Regional offices of the Iron and Steel Controller have been set up in Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Kanpur and Hyderabad. Their main functions are :

(i) to exercise necessary check and conduct inspection to ensure that the consumers who receive steel materials on a priority basis from producers' works and stockyards do not mis-utilise them;

(ii) to ensure that the producers' stockyards strictly adhere to the procedure laid down for issuance of steel materials from the stockyards ;

(iii) to exercise a check over the registered billet re-rollers to ensure that they follow the discipline laid down by the Billet Re-rollers Committee with regard to the rolling programme and the allocation made by the committee ;

(iv) to ensure that the industrial units which are allowed import of raw materials, etc., as per essentiality certificates issued by the Iron and Steel Controller, utilize them for the purposes for which they have been imported; and

(v) to keep a watch over the market trends and open market prices of steel materials.

Defective Cutting and Scraps in various Steel Plants

8281. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any enquiry to ascertain the causes for which high percentage of production in various steel plants is being classified as defective cuttings and scraps; and

(b) the quantity of steel, defective cuttings and scrap; and produced during the year 1970, 1971 and 1972 respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Yes, Sir. On the basis of a recommendation made by the Estimates Committee in their 20th Report on Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Planning, Development, Production and Distribution of Iron and Steel and Ferro-Alloys, Government constituted in August, 1972 a Technical Committee to investigate the reasons for the high arising of defectives, rejects and scrap in the rolling mills in the Steel Plants and to suggest measures to remedy the situation. The Committee submitted its report in February 1973;

(b) The total production of saleable steel in 1970-71 and 71-72 and the arising of defectives and scrap in these years, to the extent available for the five steel plants are given below :

(All figures in '000 tonnes)

Name of Steel Plant	Production of saleable steel		Arising of defectives		Arising of Scrap*	
	1970-71	1971-72	1970-71	1971-72	1970-71	1971-72
Bhilai Steel Plant ..	1,549	1,568	23	67	395	357
Rourkela Steel Plant	684	598	23	19	306	261
Durgapur Steel Plant	413	432	73	N.A.	41 (Despatches)	N.A.
Tata Iron and Steel Co. Jamshedpur	1,375	1,387	89	96	393	376
Indian Iron & Steel Co. Burnpur ..	523	493	70	27	116	99

*These figures (except in the case of Durgapur) have been derived from the figures of ingots rolled and of saleable steel produced. In the case of Durgapur, only the figures of despatch of scrap in 1970-71 are immediately available. The figures of defective arising in 71-72 and of scrap arising in 70-71 and 71-72 in Durgapur Steel Plant are being obtained and will be laid on the table of the House.

Grant of Passports to Haj Pilgrims

***8282. Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) how many months in advance a person has to apply for grant of passport for Haj pilgrimage and the nature of investigations conducted in this connection and the offices where such investigations are carried out;

(b) the terms and conditions governing the Haj applications and whether the applicants are informed of the reasons for rejecting their applications; and

(c) the number of males and females who applied for passports for Haj pilgrimage during 1971 and 1972 separately and the number of passports issued ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) In accordance with the procedure laid down by the Government, the Mogul Line Ltd., the Shipping Company, which caters to Haj Traffic receive Haj applications direct about three months before pre-Ramzan sailing.

The Haj Quota which is fixed by the Ministry of Finance every year is allocated to the States on the basis of Muslim population. As the number of intending pilgrims is much more than the quota allotted, the lots are drawn from amongst the applications from each State to select the required number, against the quota allocated to each State. The unsuccessful applications are returned to the applicants by the Mogul Line Ltd., with the Stamps "Rejected" thereon. They are also intimated separately that their applications have not come in the 'Qurra' (Draw).

After the draw of lot, the Mogul Line Ltd., send application forms to the Haj Committee, Bombay, which prepare the Pilgrim Passes for the Hajis, a fortnight before each sailing. The Haj Committee, Bombay scrutinise each application by reference to Black List, official unofficial complaints or record with them. This is to check that information preferred in the application form is correct, as some people are known habitually to supress information. In doubtful cases, the Committee make references to the Police authorities for the verification at the addresses given by the intending pilgrims in their applications. Every Pilgrim is again interogated by the Committee at the time of issuing of Pilgrim Passes to him. This process takes a week before a pilgrim pass is handed over to the intending pilgrim before the sailing of Pilgrim Ship by which he has been allocated a passage.

The following restrictions are imposed for haj applications:—

(a) Children between 5 and 14 years of age.

(b) Persons having less than Rs. 1575.

(c) Those who have performed Haj within the last five years from any place in India will not be allowed to go even on Hajee-Badal.

(d) Ladies in advanced stage of pregnancy of 5 months and over at the time of embarkation,

(e) Persons suffering from the following diseases and disabilities:—

(1) Cerebral Thrombosis (2) Pulmonary Tuberculosis (3) Congestive Cardiac Failure (4) Acute Cornary insufficiently (5) Infectious Leprosy. (6) Other serious infectious diseases and/or disabilities.

The Pilgrim Passes issued for 1971 are as under :—

Year	Males	Females
1971	9,201	5,697
1972	9,667	5,539

Training for Workers' Participation in Management of Industries

8283. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a declared policy of Government that the workers should participate in the management of the industries;

(b) whether Government consider it necessary to arrange for imparting necessary education to the workers in this respect; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Yes, sir.

(b) and (c) : A countrywide Scheme of Workers' Education designed to create a well informed labour force aware of its rights as well as its responsibilities, is being operated by Government. The syllabi of training includes topics relating to Joint Management Councils. The Central Board for Workers' Education has been conducting special short term, part-time programmes for the members of Joint Management Councils.

भारत में सांस्कृतिक केन्द्र

8284. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 तक भारत में किन-किन देशों के सांस्कृतिक केन्द्र थे और प्रत्येक देश के सांस्कृतिक केन्द्र कहां कहां पर हैं ; और

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान नए सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के लिए सरकार की अनुमति मांगी गई है ; और यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दो देश जिन्हे ऐसे स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र चलाने की अनुमति दी गई है जहां उनकी राजनयिक / कोंसली केन्द्र आदि नहीं हैं वे हैं–सोवियत संघ (जिसका एक सांस्कृतिक केन्द्र त्रिवेन्द्रम में है) और यूनाइटेड किंगडम (जिसके त्रिवेन्द्रम, पूना, बंगलौर, भोपाल, लखनऊ, रांची और पटना में 7 शाखा पुस्तकालय हैं) ।

(ख) जी नहीं; चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक नया सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

विदेशी सैनिक विमानों को भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति तथा भारतीय सैनिक विमानों को विदेशों के ऊपर से उड़ने की अनुमति

8285. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनयिक सम्बन्धों पर वर्ष 1961 के वियाना कन्वेशन के अनुसार किन-किन देशों के सैनिक विमानों को भारत के ऊपर से उड़ान करने की अनुमति प्राप्त है ; और

(ख) भारतीय सैनिक विमानों को किन-किन देशों के ऊपर से उड़ान करने की अनुमति मिली हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेशों के जो सैनिक विमान भारतीय क्षेत्र में रुकते हुए अथवा भारत के ऊपर से सीधे गुजरते हैं उनकी उड़ानों का नियमन 1961 के वियना राजनयिक संबंध अभिसमय के अंतर्गत नहीं किया जाता ।

भारत के साथ मित्रतापूर्ण सम्बंध रखने वाला कोई भी देश भारतीय क्षेत्र से अपने सैनिक विमानों को गुजरने / भारतीय वायू सीमा पर से उड़ान भरने के लिए भारत से अनुमति ले सकता है । ऐसे मित्र देशों के सैनिक विमानों को साधारणतः तकनीकी कारणों से हमारे किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुक कर ही भारतीय क्षेत्र से जाने की अनुमति दी जाती है । फिर भी सभी अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है । असाधारण मामलों में तकनीकी कारणों से रुके बिना भी उड़ान करने की अनुमति दी जाती है जबकि राज्याध्यक्ष आदि के समान अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति उक्त विमान से यात्रा करते हैं ।

भारत में रुक कर जिन देशों के सैनिक विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दी गई, उनके नाम इस प्रकार हैं : —

अफगानिस्तान, अलजीरिया, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, बंगला देश, बर्मा, बल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इण्डोनेशिया, ईराक ईरान, इटली, जोर्डन, कुवैत, लीबिया मलयेशिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नेपाल, ओमान, फिलीपीन्स, पाकिस्तान,* पोलैंड, रुमानिया, श्रीलंका, स्वीडन, सऊदी अरब, सिंगापुर, तुर्की, यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, पश्चिम जर्मनी, यमन (पी डी आर वाई), यूगोस्लाविया ।

---

*जनवरी 1971 में भारतीय असैनिक विमान के अपहरण के बाद भारतीय क्षेत्र के ऊपर से पाकिस्तानी विमानों तथा पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय विमानों की उड़ानों की अनुमति को समाप्त कर दिया गया ।

(ख) जिन देशों ने भारत के सैनिक विमानों को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी उनके नाम हैं :—

अफगानिस्तान बल्गारिया, बरीन, बंगलादेश, बर्मा, मलयेशिया चेकोस्लोवाकिया, इथोपिया, फ्रांस, हंगरी, इरान, इराक, इटली, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, ट्रूसियल स्टेटस, साइप्रस, तुर्की, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया अरब गणराज्य, संयुक्त अरब , अमीर राज्य, अरब मिश्र गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, यमन अरब गणराज्य, यमन लोक जन गणराज्य, यूगोस्लाविया, यू० के०, दुबई ।

भारत संबंधी मामलों पर जापानी सांसदों की समिति

8286. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये जापान में भारत सम्बन्धी मामलों पर जापानी सांसदों की एक समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय सांसदों की एक वैसी ही समिति बनाने के किसी सुझाव पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । कुछ जापानी संसद (डायट) सदस्यों ने, जो कि भारत के शुभचिंतक हैं, स्वेच्छा से समिति का गठन किया है । यह जापान की सरकार अथवा संसद (डायट) ने स्थापित नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अग्निगुंडाला बैल्ट में तांबा सीसा खनन में हुई प्रगति

8287. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्निगुंडाला बैल्ट में तांबा/सीसा खनन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या प्रगति को बढ़ाने तथा समीपवर्ती अन्य प्रमाणित निक्षेपों तक खनन कार्य का विस्तार करने के लिए एक पृथक निगम प्राधिकरण बनाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बंडालामोट्टू सीसा निक्षेप में 1500 मीटर के कुल कार्य की तुलना में खान प्रवेश के लिए कुल प्रगति लगभग 1420 मीटर है ।

इसके अतिरिक्त खान विकास कार्य में लगभग 1100 मीटर की प्रगति की गई है । अब तक किए गए समन्वेषण कार्य के आधार पर हिन्दुस्तान तामर लिमिडेड ने प्रतिदिन 240 टन सीसा अयस्क उत्पादन के लिए बंडालामोट्टू निक्षेप की प्रावस्था-1 विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

नल्लाकोण्डा तामर खान में 144 मीटर के कुल कार्य की तुलना में खान प्रवेश के लिए कुल प्रगति लगभग 140 मीटर है । खान विकास की कुल प्रगति लगभग 141 मीटर है । नल्लाकोण्डा के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी विनिधान विनिश्चय लिए जाने के लिए, पर्याप्त नहीं है । निक्षेप में समन्वेषण खनन कार्य जारी है ।

(ख) जी, नहीं ।

पैट्रोल से चलने वाले जहाज के लिये निविदायें

8288. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या रक्षा मंत्री 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

भारत तथा पाकस्तान के बीच व्यापारी नाविकों तथा असैनिक यात्रियों का आदान-प्रदान

8289. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1973 को अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास के प्रतिनिधियों की देख रेख में व्यापारी नाविकों तथा असैनिक यात्रियों का आदान प्रदान हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा पिंडी के बीच हुये आदान प्रदान का विवरण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 10 मार्च, 1973 को वाघा सीमा पर भारतीय तथा पाकिस्तानी व्यापारी-नाविकों और यात्रियों का आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान स्थित स्विस राजनयिक प्रतिनिधियों के अधीक्षण में हुआ था; ये प्रतिनिधि दोनों देशों में एक दूसरे देश के, कोंसली हितों की देखभाल करते हैं ।

(ख) भारत और पाकिस्तान की सरकारें पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय व्यापारी-नाविकों का भारत की हिरासत में पाकिस्तान के उन व्यापारी-नाविकों और यात्रियों के साथ आदान-प्रदान करने को सहमत हो गई हैं जो दिसम्बर, 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा खुले समुद्र में पकड़े गए पकिस्तानी व्यापारी-जहाजों से बंदी बनाए गए थे । ये पाकिस्तानी नाविक और यात्री पूर्वी क्षेत्र में भारत-बंगलादेश की सेनाओं की संयुक्त कमान के अधीन नहीं आते ।

उड़ीसा में प्राइवेट कम्पनियों को खानों के पट्टे देना

8290. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में अभी मी प्राईवेट पार्टियों को खानों के कुछ पट्टे दिए जाते हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी हां।

खान सुरक्षा के लिए प्रचार विभाग

8291. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खान सुरक्षा के लिए एक अलग प्रचार विभाग की स्थापना पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : जी नहीं।

भारतीय शिविरों से पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के भाग निकलने में पाकिस्तानी गुप्तचरों का हाथ

8292. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय शिविरों से पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के भाग निकलने में पाकिस्तानी गुप्तचरों का हाथ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारतीय कैम्पों से युद्धबन्दियों के बचने में पाकिस्तानी जासूसों के सम्बन्धित होने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि छः भारतीय नागरिकों के विरुद्ध पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को बचने में उनकी सहायता करने के आरोप में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया साक्षात्कार

8293. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये अन्तिम साक्षात्कार में उन 611 इंजीनियरों में से, जिन्हें नियुक्त करने की पेशकश की गई थी केवल 11 इंजीनियर उड़ीसा के हैं ; और

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में प्रत्येक ग्रेड में उड़ीसा के कितने-कितने व्यक्ति हैं और कितने विभागाध्यक्ष उड़ीसा निवासी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्नातक इंजीनियरों के पिछले साक्षात्कार (1972–73) के आधार पर अभी तक नियुक्ति की कोई पेशकश नहीं की गई है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा जन्म स्थान अथवा आवास स्थान के आधार पर रोजगार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बिड़ला परिवार के उद्योगों में छटनी

8294. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1972 तक भारत में बिड़ला परिवार के उद्योगों के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग के कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई ;

(ख) वर्ष 1970 से 1972 तक केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के सम्मुख कितने श्रमिक विवाद आये ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उनम से कितने विवादों का समाधान किया गया अथवा कितने मामले न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता के लिये दिये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

तुर्की में कुछ धार्मिक पुस्तकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के विरुद्ध प्रदर्शन

8295. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की सरकार द्वारा कुछ धार्मिक पुस्तकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के विरुद्ध दिल्ली में तुर्की दूतावास के सामने 1 अप्रैल, 1973 को कोई प्रदर्शन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तुर्की सरकार द्वारा अन्य पुस्तकों के साथ-साथ भागवद्गीता उपनिषदों और डा० राधाकृष्णनकृत "हिन्दू व्यू आफ लाइफ" पर लगाये गए प्रतिबन्ध के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था। तुर्की राजदूतावास प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मिला जिन्होंने राजदूतावास को एक याचिका दी।

31 मार्च, 1973 को आर्य समाज के नेताओं और संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल विदेश मंत्री से मिला था ; विदेश मंत्री ने उन्हें यह सलाह दी कि अब और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं क्योंकि तुर्की सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वे प्रतिबन्ध के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इस समस्या का कोई अनुकूल हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति सरकार ने 31 मार्च, 1973 को जारी की थी।

अमरीका के सातवें बेड़े का एशियाई समुद्र में रहना

8296. **श्री एम०एम० जोजफ :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा शांति के लिए तत्पर शक्ति के रूप में एशियाई समुद्र में अपने उपस्थिति बनाए रखने के समाचार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् । सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट देखी है । ऐसा विचार है कि अमरीका के सातवें बेड़े के संक्रियात्मक क्षेत्र को हिन्द-महासागर तक बढ़ा दिया गया है । सरकार का विचार है कि हिन्द महासागर में उन देशों के नौ-सैनिक बैड़े की उपस्थिति, जिनकी सीमा उससे नहीं लगती है, अनावश्यक है और उससे तनाव पैदा होने की आशंका है । संबंधित शक्तियों को इन विचारों से अवगत करा दिया गया है ।

Proposed Foreign Visits by Minister of External Affairs during May and June

8297. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the countries for which his tour programme during May and June, 1973 has been finalised;

(b) whether the problems of persons of Indian origin residing abroad are proposed to be discussed during the tours; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No tour programme during May and June 1973 has been finalised

(b) & (c) Do not arise.

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का विस्तार करने हेतु आस्ट्रेलिया की योजना

8298. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया देशों के वर्तमान संघ का विस्तार करने हेतु आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने कोई योजना रखी है ;

(ख) यदि हां, तो संघ में कौन-कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश सम्मिलित करने का विचार है ; और

(ग) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इस तरह के किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है । 23 फरवरी, 1973 के आस्ट्रेलिया-हिंदेशिया संयुक्त विज्ञप्ति क अनुसार, प्रधान मंत्री व्हिटलम ने यह आशा प्रकट की थी कि अंततः एक व्यापक प्रादेशिक संगठन का निर्माण होगा जिसमें किसी विचारधारा पर बल नहीं दिया जाएगा ताकि एशिया–प्रशांत क्षेत्र को बड़े देशों के हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखने में सहायता मिलेगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बर्न कम्पनी के प्रबन्ध का अधिग्रहण

8299. **श्री रानेन सेन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से अनेक अभ्या वेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केन्द्र सरकार से बर्न कम्पनी के प्रबन्ध के अधिग्रहण का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जून 1972 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया कि मै० बर्न एण्ड कम्पनी लि० का अस्तित्व बनाये रखने के लिए पुनिर्माण की आवश्यकता है । पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी सलाह दी कि केन्द्रीय सरकार को इस कम्पनी को बन्द होने से बचाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए ।

(ग) इस कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिए उद्योग विकास (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक जांच समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी अभी पेश की है जो कि विचाराधीन है ।

बोकारो इस्पात कारखाने में भर्ती

8300. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिए गैर तकनीकी कर्मचारी राज्य के बाहर से भर्ती किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में स्थानीय लोगों की भर्ती करने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जैसा कि 15 मार्च, 1973 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 3468 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है भर्ती के मामले में बोकारो स्टील लि० सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए भारत

सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण कर रही है । इस नीति के अनुसार अकुशल तथा कुशल कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर तकनीकी कर्मचारियों जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम होते हैं की भर्ती करते समय स्थानीय व्यक्तियों को, विशेषतया प्रायोजना के लिए अर्जित किए गए क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है । जहां तक उच्च पदों के लिए भर्ती का प्रश्न है इनका चुनाव अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है ।

एक उद्योग के लिए एक संघ

8301. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से श्रमिक संघ होने से कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलाता है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक उद्योग के लिए एक संघ के प्रस्ताव पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक प्रतिष्ठान अथवा उद्योग के लिए एक यूनियन की सांविधिक मान्यता के प्रश्न पर सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और जुलाई, 1970 में हुई स्थानीय श्रम समिति के 29वें सत्र के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विचार कर रही है ।

भारतीय वायु सेना के लिए लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान

8302. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री ब्रज राज सिंह कोटा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के लिए लम्बी दूरी तक मार करने वाला विमान उपलब्ध करने के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मूल्यांकन रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है ।

भारतीय सेना के बैंड के संगीत के लांग प्लेईंग रिकार्ड का निर्माण तथा उनकी बिक्री

8304. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना के बैण्ड के संगीत और मार्च के "लौंग प्लेईंग रिकार्डों" का निर्माण करने तथा उनकी बिक्री करने का है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने रिकार्डों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) दो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मिश्र के मंत्री द्वारा इस्लामिक सम्मेलन में युद्ध बन्दियों के मामले पर पाकिस्तानी प्रस्ताव के विरोध का आश्वासन

8305. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामिक सम्मेलन से पूर्व भारत की यात्रा पर आये मिश्र के विदेश मंत्री ने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि काहिरा बैठक में पाकिस्तान द्वारा युद्ध बन्दियों के मामले के उठाए जाने का विरोध करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मिश्र के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एक भारतीय शिविर में एक पाकिस्तानी युद्ध बन्दी द्वारा दूसरे पाकिस्तानी युद्ध बन्दी की हत्या

8306. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1973 को युद्ध बन्दी शिविर में एक पाकिस्तानी युद्ध बंदी ने दूसरे युद्ध बन्दी को आपसी झगड़े में मार डाला था और यदि हां, तो घटना तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत को विरोध पत्र दिया है ; और

(ग) क्या इन्टरनेशनल कमेटी आफ रैड क्रास को इसकी सूचना दे दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 31 मार्च 1973 को उत्तर प्रदेश के एक युद्ध बन्दी शिविर में दो पाकिस्तानी कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था एक । युद्ध बन्दी ने दूसरे को एक लोहे का टुकड़ा घोंप दिया। जिस युद्ध बन्दी को घायल कर दिया गया था उसे तत्काल कैम्प अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां वह मर गया । नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि को सूचित कर दिया गया है : इस बारे में प्राप्त पाकिस्तानी विरोध का उपयुक्त उत्तर दे दिया गया है ।

मशीन टूल इंडस्ट्री के लिए एक होल्डिंग कंपनी की स्थापना

8307. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन टूल्स इंडस्ट्री के लिये कोई होल्डिंग कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन की ओर से अभ्यावेदन

8308. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने सरकार से यह अनुरोध किया है कि कर्मचारियों को उन श्रमिकों की सूची में सम्मिलित किया जाए जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है और यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये चालू सत्र में कोई विधेयक लाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां, इन कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हो सकता है, आवश्यक विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र के दौरान पेश करना संभव न हो । फिर भी यथाशीघ्र ऐसा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में कोयले के मूल्य में वृद्धि

8309. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कोयले के मूल्य में वृद्धि हो गई है और बाजारों में कोयला आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) क्या इसका कारण दिल्ली म कोयले की वस्तुतः कमी है अथवा कोयले की अनियमित सप्लाई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उचित कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) दिल्ली म फुटकर की दुकानों पर कोयला (साफ्ट् कोक) 7 रू० प्रति 40 किलोग्राम की दर से, जो कि दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत है, उपलब्ध है । दिल्ली में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त की जा रही है और प्रशासन द्वारा आपूर्ति और वितरण स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ।

युद्ध बन्दियों सम्बन्धी भारतीय नीति का अन्य देशों द्वारा समर्थन

8310. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के बारे में भारतीय नीति का किन देशों ने समर्थन किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : आरम्भ से ही भारत का विचार यही रहा है कि वह आवश्यकता से अधिक एक दिन भी युद्धबन्दियों को नहीं रोकना चाहता। युद्धबन्दियों क वास्तविक प्रत्यावर्तन के लिये बंगलादेश की स्वीकृति आवश्यक है जिसके कारण संसद में कई अवसरों पर बताये जा चुके हैं। शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने अगली बैठक में इस प्रश्न पर विचार करने की सहमति प्रकट की थी। भारत और बंगलादेश ने सभी मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव रखा है जिसमें युद्धबन्दियों का देश प्रत्यावर्तन भी सम्मिलित है और इस सम्बन्ध में बंगलादेश के परामर्श से आगे कदम उठाये जायेंगे।

इस मामले में भारत विदेशों को अपने रुख के बारे में बताता रहा है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भली भांति समझ लिया गया है। विदेशों के लिये इस संबंध में विशेष रूप से अपना समर्थन देने या इसका विरोध करने का कोई अवसर नहीं आया है।

कुमाऊं की पहाड़ियों में तांबा, कोयला और लोहे के निक्षेप

8311. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुमाऊं की पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में तांबा, कोयला और लोहे के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नांगलराया, नई दिल्ली की भूमि

8312. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री कार्तिक उरांव :

क्या **रक्षा** मंत्री नांगलराय, नई दिल्ली की भूमि के संबंध में 12 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष का अन्तिम ब्लाक दिसम्बर, 1971 के अन्तिम दिन समाप्त हो गया था और क्या उस अवधि का किराया भूमि मालिकों को दे दिया गया है ;

(ख) क्या 1 जनवरी, 1972 अथवा इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वर्षों के अगले ब्लाक के लिये सरकार किराये की दर का पुनरीक्षण कर रही है, यदि हां, तो दर क्या होगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब सरकार ने इस भूमि को अर्जित करने की पहल की है, यदि हां, तो किस मूल्य पर और यह भूमि कब तक अर्जित कर ली जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) 1-1-1972 से अवधि के लिए किराए का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं श्रीमन् ।

रक्षा प्रतिष्ठानों में विभिन्न व्यवसायों के पुर्नवर्गीकरण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना

8313. श्री एस० एम० बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रक्षा प्रतिष्ठानों में विभिन्न व्यवसायों के पुन: वर्गीकरण के लिये पुनर्गीकरण न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेशन ने मांग की है कि यह न्यायाधिकरण न केवल आयुध कारखानों को अपितु अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों की भी अपने कार्य क्षेत्र में ले और यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता

(ग) अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेशन द्वारा ऐसी मांग की गई थी । तथापि वर्गीकरण अधिकरण की नियुक्ति के लिये मांग की मंजूरी करना सम्भव नहीं हो पाया ।

नियोक्ताओं से उनके द्वारा श्रमिकों को देय भविष्य निधि की राशि की उगाही

8314. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नियोक्ताओं से उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियों की उगाही के नये प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1972 में कुल कितनी राशि उगाही गई थी और कुल कितनी राशि उनकी ओर बकाया है ; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि अधिकारियों

ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) छूट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान भविष्य निधि देय राशियों की अदायगी में चूक करते हैं, उनके विरुद्ध सामान्यतः निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं।

(3) उपयुक्त मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस न्यायालयों के पास शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

(4) चूक को नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों, जिनमें मजदूर संघ सम्मिलित हैं के ध्यान में ला दिया जाता है।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दंड हर्जाने लगाए जाते हैं।

(6) कुछ मामलों में पर्याप्त गारण्टी, जमानत आदि प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रतिष्ठानों को उपयुक्त किस्तों में देय-राशियां अदा करने का अवसर दिया जाता है।

(7) जो टैक्सटाईल मिलें दिवालिया हो चुकी हों, उनके संबंध में पुनर्निर्माण की योजनाओं की गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से भविष्य निधि अंशदानों की बाबत कुल 119.33 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी। कर्मचारियों के अंशदान के भाग के बारे में अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। भविष्य निधि अंशदानों के बकाया, जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने से पूर्व के संचयन और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की छूटों को रद्द किये जाने की बाबत बकाया राशि (कर्मचारियों और नियोजकों, दोनों का भाग) भी शामिल है, जैसी कि स्थिति 31-12-1972 को थी, की बाबत 21.74 करोड़ रुपये की कुल राशि अभी वसूल की जानी है।

(ग) नियोजकों द्वारा की जाने वाली चूकों को रोकने के लिए, दंड उपबंधों को और अधिक कठोर करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधन संबंधी विधेयक 7-3-1973 को लोक सभा में पेश किया गया।

Setting up of Missile Bases by Pakistan in Areas Adjoining Indian Border

8315. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether Pakistan armed forces have set up missile bases anywhere in the areas adjoining Indian borders ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Government have no information to that effect.

युद्ध बंदियो के प्रश्न पर पश्चिम में पाकिस्तानी अभियान

8316. **श्री वयालार रवि :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 अप्रैल, 1973 के "पैट्रियट" में "पी० ओ० डब्ल्यू० ईस्यू, पाक कम्पेन इन वैस्ट" (युद्धबन्दियों का मामला-पश्चिम में पाकिस्तानी अभियान) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रचार का मुकाबला करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) युद्धबंदियों के सवाल पर भारत सरकार की नीति को विश्वभर में साफ-साफ बतला दिया गया है, और इस बात की सराहना की गई है कि भारत इन बंदियों को आवश्यकता से अधिक एक दिन भी नहीं रखना चाहता। 17 अप्रैल 1973 की भारत-बंगलादेश की संयुक्त घोषणा में भी, मात्र मानवीय आधारों पर ही युद्धबंदियों तथा बंगलादेश से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से, बंगालियों की वापसी तथा देश प्रत्यावर्तन की समस्या के मानवीय समाधान को सुनिश्चित करने की हमारी इच्छा को रेखांकित किया गया है। विदेशी समाचार पत्रों में सशुल्क खर्चीले विज्ञापन छपवाने से इस विषय में पाकिस्तान की चिन्ता का पता चलता है। यह हमारी प्रथा नहीं है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शुल्क विज्ञापन छपवाएं।

पशुपतिनाथ से वापसी-यात्रा पर नेपाल में 22 भारतीयों की मृत्यु

8317. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ट्रक में पशुपतिनाथ से वापस अपने घर आ रहे 22 भारतीयों की काटमांडू से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में महाबीर के निकट उस ट्रक के खड्ड में गिर जाने से घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या उक्त घटना की जांच की गई है और क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा अदा किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 4 और 6 मार्च की दो दुर्घटनाओं में जो 22 यात्री मारे गये थे उनमें 13 भारतीय थे।

(ख) और (ग) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने इसकी जांच की थी और यह बताया था कि ये दोनों दुर्घटनाएं मशीनी खरीबी के कारण हुई थीं।

नेपाल सरकार ने शवों के अंतिम संस्कार के लिये मृतकों के संबंधियों को हर संभव सहायता दी थी। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास नेपाल सरकार से ऐसे कदम उठाने के लिए संपर्क बनाए हुए है कि जिसे जहां तक हो सके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए।

इस्पात उद्योगों के लिए लाइसेंस-धारी फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

8318. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योगों के लिये लाइसेंस-धारी कई फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों में उनकी धोखाधड़ी सम्बन्धी गतिविधियों की रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम तथा अन्य तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कई फर्मों की रिपोर्ट की है जिन पर इस्पात सामग्री का दुरुपयोग करने का सन्देह है ।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट किये गये मामलों का ब्योरा सभा-पटल पर रखे गय विवरण में दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4880/73).

(ग) जांच पूरी होने और मामलों का अन्तिम रूप से निपटान होने तक इन सभी फर्मों को इस्पात सामग्री की सप्लाई रोक दी गई है।

उत्तर बंगाल में रक्षा उत्पादन कारखानों की स्थापना

8319. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन के अन्तगत सभी उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी, ऐसे उद्योगों के नाम, स्थापना स्थल और उन पर यदि कोई व्यय किया गया, तो वह कितना था ;

(ख) ऐसे उद्योगों की स्थापना में देश के कुछ भागों का उपेक्षा किए जाने के क्या करण हैं ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय उत्तर बंगाल में, जो कि पश्चिम बंगाल का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत एक उद्योग की स्थापना पर विचार करेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विभागीय कारखानों में लगी कुल पूंजी लगभग 300 करोड़ रुपए है और 8 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लगभग 175 करोड़ रूपए।

रक्षा उत्पादन यूनिटों के नाम तथा उनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गये हैं। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4881/73).

(ख) नई उत्पादन यूनिटों के लिए स्थलों का चयन सुरक्षा, सामरिक तथा तकनीकी आर्थिक विचार के आधार पर किया जाता है। सभी राज्यों की मांगों पर मैरिट के अनुसार विचार किया जाता है। किसी क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन पर भी अवश्य विचार किया जाता है परन्तु यह एक निर्णायक तत्व नहीं है।

(ग) किसी नये रक्षा उपक्रम के स्थल के लिए जब कोई निर्णय किया जाएगा तो उपर्युक्त पेरामीटरों के आधार पर उत्तरी बंगाल की मांग पर विचार किया जाएगा।

विवरण

26-4-1973 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8319 के भाग (क) के उत्तर में दिया गया विवरण

रक्षा उत्पादन यूनिटों के वर्तमान स्थान

पश्चिम बंगाल

1. मैटल और स्टील फैक्टरी, ईशापुर
2. राइफल फैक्टरी, ईशापुर
3. गन और शैल फैक्टरी, कोशीपुर
4. आरडीनेंस फैक्टरी, डम डम
5. गार्डन रीच वर्कशाप्स, कलकत्ता
6. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० की ब्रांच फैक्टरी, बंगलौर डिवीजन, बैरकपुर

उत्तर प्रदेश

1. आरडीनेंस फैक्टरी, कानपुर
2. आरडीनेंस इक्वीपमेंन्ट फैक्टरी, कानपुर
3. आरडीनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर
4. स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर
5. क्लोदिंग फैक्टरी, साहजहांपुर
6. आरडीनेंस फैक्टरी, मुरादनगर
7. आरडीनेंस फैक्टरी देहरादून
8. ए० एफ० डी० मीट फैक्टरी, टूंडला (आगरा)
9. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, लखनऊ
10. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, कानपुर
11. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, (गाजियाबाद डि ीज़न) (स्थापित की जा रही है)

मध्य प्रदेश

1. गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर
2. नई व्हीकिल फैक्टरी, जबलपुर
3. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, खमरिया
4. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, कटनी

महाराष्ट्र

1. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, ग्रम्बाझारी
2. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, भांडारा
3. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, चांदा
4. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, भुसावल
5. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, वरंगाव
6. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, ग्रम्बरनाथ
7. ग्रम्यूनिशन फैक्टरी, किरकी
8. हाइ एक्सप्लोसिव फैक्टरी, किरकी
9. मशीन टूल ग्रौर प्रोटोटाइप फैक्टरी, ग्रम्बरनाथ
10. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, नासिक
11. मजगांव डाक लि० बम्बई

तमिल नाडू

1. ग्रारडीनेंस फैक्टरी, तिरूचीरापल्ली
2. कोरडिट फैक्टरी, ग्ररुवनकाडू
3. कलोदिंग फैक्टरी, ग्रबाडी
4. हैवी व्हीक्ल फैक्टरी, ग्रबाडी

यूनियन टैरीटरी, चंडीगढ़

1. ग्रारडीनेंस केबिल फैक्टरी, चण्डीगड

मैसूर

1. हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोनिक्स, लि० बंगलौर
2. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर
3. भारत ग्रर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर

आन्ध्र प्रदेश

1. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, हैदराबाद
2. भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद
3. प्रागा टूल्स लि०, सिकन्दराबाद

उड़ीसा

1. हिन्दु'तान एरोनाटिक्स लि०, कोरापुट

गोवा

1. गोग्रा शिपयार्ड लि०, गोग्रा

बिहार

1. मेरीन डीज़ल इंजन प्रोजेक्ट, रांची

उत्तर बंगाल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अनुरोध

8320. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के पास पश्चिम बंगाल सरकार से कुरस्योंग, उत्तर बंगाल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुग्रा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम राख वाले कोयलों का निक्षेपों का उपयोग

8321. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार ग्रासाम, उत्तरी बंगाल ग्रौर विशेष रुप से बागराकोट के कम राख व ले कोयले के बहुत बडे निक्षेपों का उपयोग किन परियोजनाग्रों के लिये करने का विचार है ; ग्रौर

(ख) क्या ग्रधिक-सल्फर वाले इस कोयले को उत्तरी बंगाल में कोयला-ग्राधारित उर्वरक संयंत्र ग्रौर संशलिष्ट कच्चे तेल स्थापित करने में उपयोग में लाना सभंव है ?

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ग्रौर (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरी बंगाल में उर्वरक की मांग की पूर्ति बरौनी (उत्तरी बिहार) में उर्वरक संयंत्र ग्रौर ग्रसम में नामूरुप उर्वरक संयंत्र के विस्तारण द्वारा की जाती है, इस समय, ग्रसम के कोयले ग्रथवा उत्तरी बंगाल के बागराकोट क्षेत्र के कोयले को कोयला-ग्राधारित-उर्वरक के

विनिर्माण हेतु, उपयोग करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर और हल्दिया (पश्चिमी बंगाल) में दो अन्य उर्वरक संयंत्र निर्माणाधीन है। इनके अतिरिक्त सरकार ने तालचेर (उड़ीसा) कोरबा (मध्य प्रदेश) और रामगुंडम (आन्ध्र प्रदेश) में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों की तीन प्रायोजनाएं अनुमोदित की हैं। तथापि, तेल के उत्पादन के लिए असम के कोयले के उपयोग के सम्बंन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयले से तेल में संपरिवर्तन संयंत्र को तेल शोधन और उर्वरक उत्पादन के साथ एकीकरण की संभाव्यता परीक्षणाधीन है।

Facilities to Coal Mine Workers in Madhya Pradesh

8322. Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of schemes relating to provision of facilities like drinking water to the workers of various coal mines in Madhya Pradesh implemented by the Coal Mines Welfare Organisations during the last three years and the expenditure incurred thereon during this period ; and

(b) if not, the reasons therefore ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) A statement giving relevant details is enclosed.

[Placed in the Library. See No. LT-4882/73].

(b) Does not arise.

Non-Implementation of Coal Mines Wage Board Award by Coal Mine owners in Madhya Pradesh

8323. Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the coal mine owners of Madhya Pradesh who have not so far implemented the Award of the Coal Mines Wage Board; and

(b) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) According to the available information, all collieries in Madhya Pradesh have implemented the Coal Wage Board's recommendations.

(b) Does not arise.

Godowns in Rourkela Steel Plant in M.P.

8324. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of the godowns, if any, of the Rourkela Steel plant in Madhya Pradesh ; and

(b) the names of the agents, if any, appointed by the Rourkela Steel Plant in Madhya Pradesh to dispose of its products ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) Rourkela steel plant has not established any godown nor has it appointed any agent to dispose of its products. Hindustan Steel Limited have set up a number of stockyards at various places in India, including Indore and Bhilai in Madhya Pradesh, where the products of Rourkela, as well as of Durgapur and Bhilai steel plants, are sold in accordance with the procedure for distribution from stockyards.

Payment of Amount Spent on P.M.'s Tour

8325. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5257 on the 21st December, 1972 and state :

(a) whether the outstanding amount of Rs. 50,545·86 P. spent on the tours undertaken by the Prime Minister at the time of election to State Assemblies has since been recovered ;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to recover the outstanding dues ?

The Minister of Defence (Shri Gagjivan Ram) : (a) to (c) except for a small balance of Rs. 260·35 the entire amount has been recovered. This balance is payable by the Government of Andhra Pradesh. Action is being taken to recover the same.

Valid Document for Proof of Age

8326. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the certificates issued by the recognised schools, churches and village Panchayats are not valid for the proof of age ;

(b) if so, the reasons for which the said certificates have been treated invalid in the case of Army Head-quarters Central Command, Poona;

(c) whether it is a wrong step to demand the age certificate of the brothers and sisters of the applicant despite of the said certificates ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Normally documentary evidence e.g. Matriculation Certificate or Secondary School Leaving Certificate, Municipal Birth Certificate and the like only are acceptable as proof of age. Where these documents are not available record of admission in the Register of Schools, a Baptismal Certificate in the case of Christian Officers only or Birth Certificate by the Sarpanch, Village Panchayat, certified as correct by the District Magistrate, are accepted as valid where no other more reliable evidence is available.

(b) The above procedure is of general application and no exception has been made in the case of any particular Command or Area. No case of any deviation from the procedure has come to notice from Southern Command PUNE.

(c) and (d) Normally age certificates of brothers and sisters are not demanded; but when an extract from the birth register is produced from which the name and sex of the child is not clear and a doubt arises about the age of the candidate, the concerned appointing authority may require the candidate to produce the age certificates of his brothers and sisters, in order to resolve the doubt.

Services of Artisans Working in C.O.D. Dehu Road

8327. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of such artisans in C.O.D., Dehu Road as have served for eight or more than eight years ;

(b) whether their appointments are continued on 6 months basis ;

(c) the difficulties being faced in confirming these employees; and

(d) the steps to be taken by Government to overcome these difficulties ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

8328. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्ति उप-श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त और श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) इस समय कायम 4 उप मुख्य श्रमायुक्तों, 47 सहायक श्रमायुक्तों और 134 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों में से क्रमशः 2, 7 और 17 अनुसूचित जातियों के हैं । इसके अतिरिक्त 2 सहायक श्रमायुक्त और 3 श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनुसूचित आदिम जातियों के हैं । सम्बन्धित आदेशों और भर्ती के लिए बनाई गई कार्यक्रम सूचियों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में कोयले के उत्पादन में कमी होना

8329. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में सभी कोयला खानों का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद कोयले का उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) खानों के प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्पादन नें अभिवृद्धि के लक्षण दर्शित किए हैं। संथाल परगना के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सम्यक अनुक्रम में वह सभा पटल पर रखी जाएगी ।

चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात और विशेष इस्पात का बनाया जाना

8331. श्री कार्तिक उरांव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान विभिन्न इस्पात संयंत्रों में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितना इस्पात और विशेष इस्पात तैयार किया जायेगा ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितना इस्पात तथा विशेष इस्पात तैयार किये जाने का लक्ष्य है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में कुल कितनी धन राशि खर्च करने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973–74 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से 75.2 लाख टन पिण्ड साधारण इस्पात और सरकारी क्षेत्र के दो मिश्र-इस्पात कारखानों से 118,190 टन विक्रेय मिश्र-धातु तथा विशेष इस्पात का उत्पादन होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की विद्युत भट्टियों द्वारा सभी प्रकार के इस्पात का लगभग 10 लाख टन इस्पात पिण्ड के बराबर उत्पादन करने की संभावना है ।

(ख) इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1969–70 से 1973–74 की अवधि में सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं पर 880 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इस राशि की बड़ी मात्रा ऐसी प्रायोजनाओं पर 880 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इस राशि की बड़ी मात्रा ऐसी प्रायोजनाओं पर खर्च की जायेगी जो पांचवी योजना अवधि में उत्पादन करना शुरु करेंगी । अभी अन्तिम रूप से यह निश्चित नहीं किया गया है कि पांचवी योजना पर कुल कितनी धन राशि खर्च की जाएगी ।

युद्ध बन्दियों के बारे में ब्रिटिश समाचार पत्रों में पाकिस्तानी विज्ञापन

8332. श्री एच० एम० पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से हाल ही में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मूल्य देकर विज्ञापन छपवाना आरम्भ किया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पाकिस्तानी अभियान का मुकाबला करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) युद्धबंदियों के सवाल पर भारत सरकार की नीति को विश्व भर में साफ-साफ बतला दिया गया है ; और इस बात की सराहना की गई है कि भारत इन बंदियों को आवश्यकता से अधिक एक दिन भी नहीं रखना चाहता। 17 अप्रैल, 1973 की भारत-बंगलादेश की संयुक्त घोषणा में भी, मात्र मानवीय आधारों पर ही युद्ध बंदियों तथा बंगला देश से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से बंगालियों की वापसी तथा देश प्रत्यावर्तन की समस्या के माननीय समाधान को सुनिश्चित करने की, हमारी इच्छा को रेखांकित किया गया है। विदेशी समाचार पत्रों में सशुल्क खर्चीले विज्ञापन छपवाने से इस विषय में पाकिस्तान की चिन्ता का पता चलता है। यह हमारी प्रथा नहीं है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिये शुल्क विज्ञापन छपवाएं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि

8333. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को लगभग दो करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1972–73 के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों को तैयार करते समय, निगम ने 1.75 करोड़ रुपये की हानि अनुमानित की थी। तथापि, ऐसी आशा है कि वास्तविक हानि 1.75 करोड़ रुपयों से पर्याप्त मात्रा में कम होगी। हानि के वास्तविक आंकड़े तभी उपलब्ध हो सकते हैं जबकि वर्ष के लिए लेखों की संपरीक्षा हो जाए तथा उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाए।

(ख) निम्न उल्लिखित घटकों ने कोयले के उत्पादन और प्रेषण को प्रतिकूलितः प्रभावित किया और यह हानि के लिए मुख्य कारण रहे हैं :

(i) कतिपय क्षेत्रों में वैगनों का अपर्याप्त आबंटन/आपूर्ति ;

(ii) तीन प्रक्षालनशालाओं में से दो प्रक्षालनशालाओं से साफ कोयले का अपर्याप्त अपक्रय ;

(iii) विद्युत घरों द्वारा कुछ कोयला खानों से कोयले का निम्न अपक्रय ;

(iv) मूसलाधार वर्षा ने कुछ कोयला खानों में उत्पादन को प्रभावित किया ; और

(v) लगातार विद्युत अवरोध/विशेषकर बिहार में बिजली की खराबी।

नकद आय और वास्तविक आय के आंकड़े

8334. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन बर्षों में कर्मचारियों की वर्ष-वार, राज्य-वार नकद आय और वास्तविक आय कितनी कितनी थी ; और

(ख) इस अवधि में कर्मचारियों को वास्तविक आय में कितनी कमी अथवा वृद्धि के लिए उत्तरदायी के कौन से कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1968, 1969 और 1970 के वर्षो के लिए विनिर्माण और खान उद्योगों के श्रमिकों के बारे में मुद्रा आय के सूचकों से सम्बन्धित सूचना, राज्यवार, संलग्न विवरणों (1, 2 और 3) में दी गई है। वास्तविक आय के सूचकों की संगणना केवल अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और ये भी तीन वर्षों के लिए विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के श्रमिकों के सम्बन्ध में संलग्न विवरणों में दिए गए हैं (ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०–4883/73)

(ख) मुद्रा आय, बड़ी हद तक विभिन्न संगठित उद्योगों में श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक आय संबंधित समय के दौरान उपभोक्ता की वस्तुओं के फुटकर मूल्यों में परिवर्तन से भी प्रभावित होती है ।

श्रमिक कानूनों के लिए निश्चित समाजवादी निवेश

8335. **श्री मति भार्गवी तनकप्पन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में श्रमिक कानूनों को 'एक निहित समाजवादी निदेश' देने के बारे में कोई वक्तव्य दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) यह कहा गया था कि श्रम कानूनों के समस्त क्षेत्र को एक नवीन दृष्टि दिशा दीं जानी है ताकि उन्हें एक निहित समाजवादी निदेश दिया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, श्रम कानूनों को समाज के पुर्नानर्माण के लिये लचीला उपकरण बनना चाहिए ।

Labourers engaged in wagon loading work in mines of N.C.D.C.

8336. Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of labourers who have been constantly engaged in wagon loading work for the last ten, twelve years in the mines of N.C.D.C. in Bihar. and who have to work under contractors although they form part fo N.C.D.C. and

(b) the time by which Government propose to improve the situation and to bring all such labourers under the category of General Labour of N.C.D.C.?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) In Bokaro and Kargali Area in Bihar, wagon loading through hand loading contracotrs is resorted to in Kathara colliery only. There are about 590 workers employed for wagon loading by the contractors. It is difficult to know the number of labourers who have been employed for ten to twelve years, as the service records are with the contractors. However, on a rough estimate about 80% of these workers may have put in ten to twelve years of continuous service with the contractors. After the termination of the existing contract work, the workers who were continuously engaged in this work for many years would be suitably considered for absorption in the N.C.D.C., as and when opportunities arise. Information in respect of Karanpura and Central Jharia Areas is being collected and will be laid on the Table of the House, as soon as it is received.

हिन्दुस्तान मोटर्ज लिमिटेड द्वारा कारें सप्लाई किया जाना

8337. **श्री विश्वनारायण शास्त्रीः** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 मार्च, 1973 तक हिन्दुस्तान मोटर्ज लिमिटेड गोहाटी, आसाम ने कितनी नई एम्बैसेडर कारें सप्लाई की ; और

(ख) अलाटियों के नाम, अलाटमेंट की तिथि तथा विवरण की तिथि क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जनवरी, से 31 मार्च 1973 की अवधि में गोहाटी, आसाम में दो डीलरों के जरिए 41 एम्बैसेडर कारें सप्लाई की गई हैं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात उद्योग के छोटे कारखानों द्वारा जमा की जाने वाली राशि

8338. **श्री विश्वनारायण शास्त्रीः** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के छोटे कारखानों को अपने इन्डेन्ट के साथ इन्डेन्ट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना पड़ता है जबकि बड़े कारखानों को ऐसा नहीं करना पड़ता ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार छोटे कारखानों को साहयता देने के लिये उन्हें भी वही सुविधाएं प्रदान करेगी जो बड़े कारखानों को उपलब्ध हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) : देश के समस्त लघु उद्योगों को अब इस्पात की सप्लाई अधिकतर संबंधित राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की

जाती है। ये निगम अपने अपने राज्यों के लघु उद्योगों की आवश्यकताओं का अनुमान स्वंय लगाती है और अपनी कुल मांग संयुक्त संयंत्र समिति के पास भेज देती है। उन्हें जो माल मिलता है उसे वे आगे अलग अलग कारखानों को बांट देती है चूंकि लघु उद्योग इकाइयां अब संयुक्त संयंत्र समिति को सीधे मांग–पत्र नहीं भेजती है, अतः उनके द्वारा कोई बयाना जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बर्मा के आर्थिक विशेषज्ञों की प्रस्तावित बैठक

8339. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत और बर्मा के आर्थिक विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक केन्द्रीय मंत्री को भी इस बैठक में सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ग) भारत–बर्मा व्यापार को, जिसमें पिछले 12 महीनों में कमी आई है, बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग) 5 अप्रैल से 9 अप्रैल, 1973 के बीच विदेश मंत्री की बर्मा–यात्रा के समय यह तय हुआ था कि यह बांछनीय होगा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान किया जाय तथा इन कार्यों की समीक्षा और समन्वय का कार्य प्रत्येक पक्ष की ओर से एक मंत्री को सौंपा जाय। उपरोक्त व्यवस्था के अधीन दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने तथा व्यापार में विविधता लाने के लिये वर्तमान व्यापार विनिमय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल के समाचार

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

'पश्चिम रेलवे के स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल के समाचार'

रेल मंत्री (श्री एल० एम० मिश्र) : 17–4–73 को पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के पालमपुर–गांधीधाम सैक्शन स्टेशनमास्टरों तथा सहायक स्टेशनमास्टरों ने 'सिक लीव' लेनी आरम्भ कर दी थी। यह धीरे धीरे इस डिवीजन के अन्य स्टेशनों में भी फैल गया तथा जैयपुर, कोटा तथा रतलाम डिवीजनों में भी ऐसा होना आरम्भ हो गया। कर्मचारियों का तरीका बीमारी की रिर्पोट देना

ग्रथवा ड्यूटी से ग्रनुपस्थित रहना था। यह पता लगा कि ग्रनेक मामलों में, जब कर्मचारी ड्यूटी से ग्रनुपस्थित होने लगे, वे नियंत्रण सर्कटों के क्नक्शन काट रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था कट गईग्रौर यातायात का चलना धीमा पड़ गया।

कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन बन्द करने पड़े क्योंकि स्टेशनों के सम्बन्धित कर्मचारी ड्यूटी से ग्रनुपस्थित थे। इनमें से रतलाम डिवीजन के 14 स्टेशन ग्रभी भी बन्द पड़े हैं। कोटा डिवीजन में ग्रब स्थिति सामान्य है ग्रौर ग्रजमेर तथा जयपुर डिवीजनों के सामान्य के समान है, रतलाम डिवीजन में जहां कर्मचारी ग्रजमेर डिवीजन के कर्मचारियों की सहानुभूति में ग्रनुपस्थित हो रहे थे ग्रभी ग्रनुपस्थित हैं ग्रौर कुल 114 स्टेशन मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर ग्रभी भी ग्रनुपस्थित हैं। वे लोको रनिंग कर्म–चारियों, जोकि गाड़ियों के चलाने के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं, को ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये उकसा रहे हैं। ताकि रनिंग स्टाफ के 63 व्यक्ति तथा 7 गार्ड भी इस ग्रान्दोलन में शामिल हो गये हैं।

ग्रनुपस्थित होने से पूर्व ग्रजमेर डिवीजन के सम्बन्धित कर्मचारियों ने 3 मांगें प्रस्तुत की थीं जिनमें से दो मांगों में कोई सार नहीं था तथा तीसरी मांग 6 कर्मचरियों को दिये गये दण्ड को समाप्त करने के बारे में थी। रेल प्रशासन ग्रनुशासन तथा ग्रपील प्रक्रिया के ग्रनुसार गुणोदोष के ग्राधार पर व्यक्तिगत मामलों पर विचार कर रहा है।

दिल्ली से बम्बई जाने के लिये ब्राड गेज मार्ग पर रतलाम डिवीजन एक महत्वपूर्ण मुख्य लाइन है, कर्मचारीयों के बड़े पैमाने पर ग्रनुपस्थित होने का प्रभाव गुजरात, राजस्थान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पेट्रोल, मिट्टी के तेल, नमक जिप्सम, ग्रनाज, चारा के वहंन पर पड़ा है।

ग्रत: कर्मचारियों के निरन्तर ग्रनुपस्थित रहने का परिणाम यह होगा कि इन महत्वपूर्ण वस्तुग्रों के वहन की गति धीमी हो जायेगी।

माल यातायात पर प्रभाव के ग्रतिरिक्त इस समय कुल 16 यात्री गाड़ियां या तो पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई हैं ग्रथवा ग्रांशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं;

लम्बी ग्रनुपस्थिति के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस सदन के माननीय सदस्य कर्मचारियों को यह ग्रपील करने में मेरे से सहमत होंगे कि देश के हितों को देखते हुए तुरन्त ड्यूटी पर चलें ग्रायें।

श्री ग्रर्जुन सेठी : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने ऐसे य हड़ताल कर दी है जबकि गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र के ग्रभावग्रस्त क्षेत्रों को ग्रनाज की गाड़ियां भेजने के लिये उनकी सेवाग्रों की बहुत ग्रावश्यकता है। इससे न केवल ग्रनाज के बल्कि मिट्टी के तेल तथा कोयले ग्रादि के ले जाने पर भी प्रभाव पड़ा है। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री तथा रेलवे प्रशासन को ग्रधिक प्रगतिशील कदम उठाने चाहियें थे जिसमें गाड़ियों के ग्राने जाने पर प्रभाव न पड़ता। मैं रेल मंत्री से ग्रपील करना चाहता हूं कि वह नौकरशाही पर निर्भर न रहें क्योंकि ये लोक ऐसा, रवैया ग्रप–नाते हैं जिससे लोगों ग्रौर कर्मचारियों दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

माननीय मंत्री ने बताया है कि कर्मचारियों की तीन मांगें हैं परन्तु उन्होंने एक ही मांग के बारे में बताया है। मुझे पता लगा है कि कर्मचारयों को जनरल मैनेजर से नहीं मिलने दिया गया था। प्रशासन ने इन व्यक्तियों को गिरफतार करने के लिये सभी प्रकार से कार्यवाही की है। माननीय मंत्री को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि देश के अन्य भागों के रेल कर्मचारियों ने भी धमकी दी है कि यदि इन कर्मचारियों की शर्तों को उचित समय में स्वीकार नहीं कर लिया जाता तो वे भी हड़ताल कर देंगे ?

श्री एल० एन मिश्र : उनकी तीन मांगें थी। गांधीधाम के बारे में स्थिति यह है कि 1962 से पहले कर्मचारियों को वहां दो वर्ष से अधिक समय के लिये नियुक्त किया जाता था परन्तु जलवायु तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में यह आदेश दिया गया है कि वहां पर कर्मचारी लगभग दो वर्ष तक रहेंगे। उनकी मांग यहीं है। यह आदेश वापस नहीं लिया गया। वहां से लोगों की तबदीली की जा रही है। उनकी यह शंका निराधार है कि उनकी तबदीली नहीं की जायेगी।

उनकी दूसरी मांग यह है कि पदोन्नती स्टेशन–वार न हो करके डिवीज़न–बार होनी चाहिये। ऐसा किया जा रहा है। उनकी तीसरी मांग रेलवे कर्मचारियों को दिये गये दण्ड के बारे में है। वे चाहते हैं कि इस दण्ड को वापस ले लिया जाय प्रशासन ने कह दिया है कि व्यक्तिगत मामलों की गुणदोष के आधार पर जांच की जायेगी – कुछ लोगों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं उनके आ जाने पर उनके मामलों की जांच की जायेगी।

यदि हिंसा तथा तोड़फोड़ के बारे में उनके विरूद्ध कुछ न हुआ तो दण्ड वापस लिया जा सकता है।

जनरल मैनेजर से मिलने के लिये कोई नहीं आया था। वे उस कार्मिक संघ के सदस्य हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। जनरल मैनेजर केवल मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से ही बातचीत करता है। हमें डाक से भी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

केवल एक पांडे नामक व्यक्ति को ही गिरफतार किया गया है उसको भी सांयकाल रिहा कर दिया गया था। दो व्यक्तियों को पूछताछ के लिये थाने ले जाया गया था। उन को शाम 6 बजे छोड़ दिया गया था।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : स्टेशन मास्टरों की हड़ताल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अनेक अत्यावश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन हो गया है।

श्री पटेल को छ: घंटे तक नाग्दा और बड़ौदा के बीच रुकना पड़ा था। इससे पता लगता है कि रेल प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझानें के लिए जो तरीके अपनाता है वे संतोषजनक नहीं हैं।

चार वर्ष पूर्व सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से समूचे राष्ट्र में काम ठप हो गया था। उस समय हमने सुझाव दिया था कि अत्यावश्यक सेवाओं में काम करने वालों के साथ विशेष आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिये और उनकी शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

इस सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सरकार के दिमाग में कोई बात आती नहीं है । अतः मैं स्टेशन मास्टरों से अपील करूंगा कि वे अपनी हड़ताल खत्म कर दें और राष्ट्र को हानि पहुंचाने के बजाये हमें समस्या से लड़ने की अनुमति दें । मैं रेल मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि रेल कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र निपटाने के लिये वह कोई तरीका निकालें ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि स्टेशन मास्टरों की दो मांगों में तो कोई सार नहीं है और तीसरी प्रक्रिया से सम्बन्धित है, मैं चाहता हूं कि वह इसकी जांच को और देखें कि वास्तव में उनकी समस्या क्या है । क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने यह नहीं कहा कि को ; समस्या नहीं है । समस्या है और हम इस बारे में चिन्तित हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि कर्मचारियों की समस्याओं को तुरन्त हल करने के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये । रेलवे बोर्ड स्तर पर एक विशेष व्यवस्था है जिसमें बोर्ड के साथ मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के नेता बैठ कर बातचीत करते हैं और निर्णय लेते हैं । यह शायद सब से अच्छा प्रबन्ध है । उस में सन्देह नहीं है कि सुधार की गुजांइश है और मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा । मांगों बारे के में मैं सारी स्थिति पहले ही बता चुका हूं । 62 व्यक्तियों में से 48 की तब्दीली की जा चुकी है शेष 14 के मामले विचाराधीन हैं । डिवीजन–वार पदोन्नति की बात भी मान ली गई है । पदोन्नति डिवीजन–वार ही होती रहेगी ।

उनकी शिकायत छः स्टेशन मास्टरों को दण्ड देने के बारे में थी मैं पहले ही कह चुका हूं कि व्यक्तिगत आधार पर उन मामलों की जांच की जायेगी । जब मैं बम्बई गया था । तो मजदूरों ने मुझ से मिलने का यत्न नहीं किया था । स्वयं मैंने उनसे कहा था कि मैं उनसे मिलने के लिये तैयार हूं । कुछ लोग मेरे कार्यालय में आये थे और मैंने उनसे बातचीत की थी । उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया था । मुझे आशा है कि वे हड़ताल समाप्त कर देंगे । हम अपने कर्मचारियों से कोई झगड़ा करना नहीं चाहते ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The hon. Minister has tried to misled the House very cleverly. The ex-railway minister had assured the House last time that any union consist of 15 percent. members of total employees will be given recognition. I want to know what extent this assurance has been implemented

The employees are facing these problems for the last so many years. They were not allowed to see the higher authorities. The employees can be posted at Gandhidham only for one year and not for two years as has been told by the hon. Minister. He can verify this from his office. No Division is implementing the decision in regard to transfers and clasification of Station Masters. No Division is implementing the decision of the Railway Board. The strike has spread to Ajmer and Ratlam. Untrained person have been appointed in place of the 86 employees who are on strike. In this connection I may say that one person was died as a porter gave wrong signal to the train. Five hundred rupees have been given to his family. I would like to know whether this amount is sufficient for a family of five members. He should be given sufficient compensation.

It has been stated that the verification in respect of those Station Masters who are on medical leave will be done by the Railway doctors and action will be taken against those who will be found on leave on false medical grounds I request you not to indulge in such things and do not have the spirit of revenge. I will request you not to take any action against them.

This Union should be recognised because there are many such Unions which have negligible membership but they have been accorded recognition.

Work on all the station from Khandwa to Ajmer has been paralysed. People are facing several difficulties. The hon. Minister should try to solve their difficulties sympathetically.

Shri L.N. Mishra : We will solve their problems sympathetically. I have not said that we will see the medical certificates of those Station Masters who went on leave. So far as the question of according recognition to the Unions who have 15 percent. members is concerned I may say it was recommended by the Indian Labour Conference. The Railways have not accepted this recommendation so far.

There are already two Unions in the railways which have been accorded recognition. We do not want to give recognition to any other Union. It will create trouble. It will not be in the interest of the workers. We do not want that they should fight with each other.

Shri Ramavtar Shastri: These Unions should be dissolved and election should be held by secret ballot.

Shri L.N. Mishra : So far as the question of giving compensation to a family of a person is killed I may tell you that his family will be given appropriate Compensation. Five hundred rupees has been given as an **ad hoc** relief.

Most of the trains have started running. Only fourteen trains are remained. They will start running very soon. There is no substance in two of their demands. The cases of the Station Masters will be dealt on merits and individually. If **it** is found that they will notice connected with violence they will be set free.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : हमारी सरकार को एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्टालिन के समय में रूस में भी ऐसी ही स्थिति में जैसे कि इस समय हमारे देश में है, स्टेशन मास्टरों ने हड़ताल कर दी थी। उसने स्टेशन मास्टरों को गोली मार देने का आदेश दिया था। परन्तु लोकतंत्र में हम अपने देश में ऐसा कर नहीं सकते।

रेलवे प्रशासन ने दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सदा नम्र रवैया अपनाया है। मैंने बजट पर चर्चा के दौरान, बताया था कि दक्षिण पूर्वी रेलवे में दो मजदूरों की मृत्यु के लिए मुख्यरूप से वहां का जनरल मैनेजर जिम्मेदार है। क्या उसको मौके पर ही निलम्बित नहीं किया जा सकता था? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। सरकार को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वह नौकर शाही के लिए कार्य नहीं कर रही है। यदि सरकार मजदूरों का साथ देगी तो मजदूर भी सरकार का साथ देंगे।

अभी हाल ही में रेल कर्मचारियों ने एक रैली की थी। वे वेतन आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन कराना चाहते हैं तथा अनुसूची में बोनस को शामिल करना चाहते हैं। लगभग 18,000 लोगों ने समूचे देश में हड़ताल करने की धमकी दी है। इसी प्रकार 27,000 स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों ने हड़ताल की धमकी दी है ? सरकार को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में लोगों के मन को पढ़ने का प्रयास करे। मजदूरों तथा प्रबन्धकों में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे जाने चाहिए। इन सम्बन्धों का आधार समानवाद पर होना चाहिए। गैर-मान्यता प्राप्त मजदूर संघों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक श्री पांडे की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है उनको शाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हम नहीं चाहते कि एक के बाद एक मजदूर संघ बनते जायें। एसा मजदूरों के हित में भी नहीं होगा। अतः मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि हम गैर-मान्यता प्राप्त मजदूर संघों से बात करेंगे।

स्थजन प्रस्ताव के बारे में

RE-MOTION FOR ADJOURNMENT

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): We have given adjournment motion regarding a matter concerning the Supreme Court. My submission is that it does not come under rule 377. The Chief Justice has not accepted the resolution as passed by supreme court Bar and went away after closing the Court.

Mr. Speaker: This does not come under adjournment motion. There is no such thing in the appointment of Chief Justice of India.

श्री फ्रैंक एन्थनी : (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : मैंने भी काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि सरकार ने भारत के मुख्य न्यायधीश के चयन में परंपरा का उल्लंघन किया है। यह उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को समाप्त करने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति का प्रश्न काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। यह प्रस्ताव 'सरकार की विफलता' के बारे में होता है। कृपया आप सब बैठ जाइये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Since you have allowed to raise this questions under 377 then it can also come under adjournment motion. What is your judgement over my point of order?

अध्यक्ष महोदय : काम रोको प्रस्ताव सरकार की विफलता पर लाया जाता है। अधिक से अधिक आप नियम 377 के अंतर्गत मंत्री महोदय का ध्यान इस नियुक्ति की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि हालांकि हम उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं परन्तु जब आज उच्चतम न्यायालय ने अपना कार्य बन्द कर दिया है तो क्या यह मामला ऐसा नहीं है जिस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखलें) : यह कहना सही नहीं है कि मुख्य न्यायधीश को न्यायालय में अथवा अन्य न्यायलयों की बैठक नहीं हो रही है। मेरी सूचना के अनुसार चारों न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बारे में यहां चर्चा करनी पड़ रही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमें इस बात का पता लगाना है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है। मेरा विधि आयोग की इस सिफारिश से कोई विरोध नहीं है कि मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति में केवल वरीयता ही आधार नहीं होना चाहिए। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश की पदोन्नति का मापदण्ड क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री एस० ए० शमीम : मैं केवल व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके लिए मेरे पास ठोस कारण हैं, तीन न्यायधीशों के छुट्टी पर जाने से एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री फ्रैंक एन्थनी : सरकार ने नियुक्ति की इस प्रतिक्रिया को अपनाकर उच्चतम न्यायालय का नाम कलंकित किया है। "टाइमज आफ इंडिया" में लिखा है * ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य न्यायधीश के बारे में की गई टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे बन सकता है। श्री मधु लिमये।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I rise on the point of order. We cannot talk on the conduct of the Judges here under Article 121 of the Constitution. First, you give verdict on it whether it amounts to utter failure of the Government or not and then you take up adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है ?

Shri Madhu Limaye : The decision of the Government has created crisis in the Supreme Court. The people doubt over the honesty of the Court so the adjournment motion may be accepted. (*Interruption*).

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*Expanged as ordered by the Chair

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार की यह विफलता है अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय का विचार है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई विफलता नहीं है जिससे स्थगन प्रस्ताव का लाना अपेक्षित हो। सरकार संविधान का पालन करने में विफल रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार संसद को न्यायधीशों की नियुक्ति में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायधीशों की नियुक्ति के बारे में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यह विचार विमर्श उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ होना चाहिए। यदि समाचार पत्रों का यह समाचार सच है कि मंत्रिमण्डल के राजनैतिक मामलों संबंधी समिति के साथ विचार विमर्श किया गया है तो यह सरासर संविधान का उल्लंधन है। अमरीका में भी सीनेट न्यायधीशों की नियुक्ति के संबंध में, अपने विचार रखती है। हमें नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्याय-धीशों के साथ विचार विमर्श किया है। चूंकि सरकार ने ऐसा न करके गलती की है इसलिए संसद को उसकी आलोचना करने का अधिकार है। मेरे दो प्रश्न है। पहला, क्या न्याधीश की यिुक्ति में संविधान के अनुसार विचार विमर्श किया गया है और दूसरा, यदि नहीं, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कार्य संविधान की व्याख्या करना नहीं है। श्री बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : श्री श्यामनन्दन मिश्र ने संविधान के विभिन्न उपबंधों को पढ़कर सुनाया है। वे एक बात को भूल गए हैं कि यह सभा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के बारे में निर्णय नहीं लेती है। सरकार इस संबंध में निर्णय लेती है, हम हाउस आफ कामन्स की विभिन्न परम्पराओं का पालन करते रहे हैं, इस विशेष मामले में एक न्यायधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, हमें और न्यायधीशों के बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ है कि हम ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार का विषय है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Bar Association of the Supreme Court has passed a resolution today in which the Chief Justice has been asked not to allow the functioning of Court today. In protest against the Supersession of three senior most judges. It is true that the Chief Justice did not concede this resolution but many advocates did not attend the Court and the work is stopped there.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): We should discuss this important subject with seriousness and with cold mind. Shri Shyama Nandan Mishra has left article 126 while quoting article 124.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह कार्यकारी मुख्य न्यायधीश के बारे में है न कि स्थायी मुख्य-न्याय-धीश के बारे में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मुझे अश्चर्य है कि मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के प्रश्न पर इतना हंगामा मच रहा है। देश में और भी कई समस्याएं हैं जिनको अभी सुलझाया जाना है। न्यायाधीश अपने हित को देखकर निर्णय देते हैं। सरकार उनके निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है। इस विषय पर इतनी बहस नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दंडवते ।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : मैं नियम 377 के अंतर्गत यह प्रश्न उठा रहा हूं । संसद की सार्वभौमिकता और न्यायपालिका की पवित्रता पर मेरा दृढ़ विश्वास है । मैं अपने विचारों को संयत भाषा में रखना चाहूंगा । हमने समाजिक-आर्थिक परिवर्तन के मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटा दिया है परन्तु हमें साथ में लोकतंत्रीय परंपराओं को बनाए रखना चाहिए । न्यायपालिका के संबंध में यह और भी आवश्यक है । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं केवल वरिष्ठतम न्यायधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु एक लोकतंत्रीय पद्धति को बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इस देश में कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करे । हाउस आफ कामन्स में प्रधान मंत्री संसद सदस्यों के इस भय का खंडन करता है कि प्रधान मंत्री अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है । न्यायधीश श्री हेग ने एक चुनाव याचिका पर, जिसमें प्रधान मंत्री का नाम भी शामिल है । यह निर्णय दिया था कि भ्रष्ट तरीकों को प्रयोग में लाया गया था । अतएव यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री सदस्यों के मन में संदेह को दूर करें और आश्वासन दें कि हम न्यायधीशों की नियुक्ति में सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

श्री एच० आर० गोखलें : मैं इस नियुक्ति के मामले में इतनी उत्तेजना दिखाने का कोई औचित्य नहीं देखता हूं । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुसार हुई है । सबसे पहले मैं अनुच्छेद 124 का उल्लेख करुंगा, मुझे आश्चर्य है कि अनुच्छेद 124 को पढ़ने के बाद भी माननीय सदस्य नियुक्ति की वैधता की आलोचना कर रहे हैं । वास्तव में वे भ्रम मे पड़ गये हैं । निःसन्देह इस अनुच्छेद के प्रथम भाग के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुयक्त के समय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है । इसलिये जहां तक इस अनुच्छेद 124 का संबंध है, माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है ।

नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के प्रथम भाग के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहले ही हो चुकी है । नया मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो पहले ही न्यायाधीश है । इसलिए इस संबंध में परामर्श का प्रश्न नहीं उठता है ।

यह स्पष्ट व्यवस्था है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

अनुच्छेद 126 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और तर्क के लिये मैं मान लेता हूं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के अनुसार नहीं कर सकता । अनुच्छेद 124 और 126 के द्वारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधिवक्ता के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है ।

नियुक्तियों के इस मामले पर पहली बार विचार नहीं किया जा रहा है । चिरकाल से इस देश में इस पर विचार होता रहा है । आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंगलैंड और अमरीका में यह नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर ही नहीं बल्कि अन्य संगत आधारों पर भी की जाती हैं ।

इस मामले पर विधि आयोग के 14वें प्रतिवेदन में 1958 में विचार किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में सीधा प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर विद्यमान वरिष्ठता की परम्परा को जारी रखा जाये अथवा नहीं।

प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति विशेष आधारों पर की जाये न कि मात्र न्यायाधीश की वरिष्ठता के आधार पर। उक्त विधि आयोग के सदस्य श्री एम० सी० सीतलवाद, श्री एम० सी० डांगला, श्री के० एन० वांयू, श्री पी० सत्यनारायण राव, श्री जी० एन० जोशी, श्री एन० सी० सेनगुप्ता, श्री वी० के० टी० चारी, श्री एन० ए० पालकीवाला, श्री एस० एम० सीकरी और श्री जी० एस० पाठक थे। इस सिफारिश पर उन सभी की मंजूरी थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ न्यायाधीशों में प्रशासनिक अनुभव का अभाव हो सकता है और कुछ में क्षमता का अभाव हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एच० आर० गोखले : इन सिफारिशों को सरकार ने 1960 में स्वीकार कर लिया था। श्री एंथनी ने जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले की बात कही है वह गलत है। क्या आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, इंगलैण्ड अमरीका प्रजातांत्रिक देश नहीं हैं? यह कदम हमने उच्चतम न्यायालय में स्थिरता बनाये रखने के लिये उठाया है जिससे कि कहीं भी अनिश्चितता न हो और देश के कानूनों के बारे में स्पष्ट निर्णय मिल सके।

मैंने उठाई गई आपत्तियों का अध्ययन किया है। वरिष्ठता के नियमों में कोई बात ऐसी नहीं है जिससे यह नियुक्तियां गैर-प्रजातांत्रिक बन जायें। ऐसा व्यवहार सारे विश्व में परिचालित है।

श्री मधु दंडवते ने कहा है कि न्यायाधीश हैगडे ने एक मामले में प्रधान मंत्री के विरोध में निर्णय दिया था। मैं इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूं।

सभी हालात और मामलों पर विचार करने के पश्चात् भारत के नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश ए० एन० रे का उच्चतम न्यायालय की बार में पर्याप्त अनुभव रहा है। तथा उन्होंने अपने निर्णयों में काफी स्वतंत्रता बरती है। मैं श्री एन्थनी के वक्तव्य का विरोध करता हूं (**व्यवधान**)*।

इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये था। न्यायाधीश न्यायालय की उस बैंच के सदस्य थे जिसने अधिनियम की धारा 17 (ए) को रद्द किया था। समाचार पत्रों के पृष्ठ मूल्यों की नीति पर निर्णय समय भी श्री राय उन न्यायाधीशों में थे जिनका मत था कि सरकारी नीति गलत थी। इसलिए मैं इन आरोपों का घोर खंडन करता हूं।

---

*अध्यक्ष पीठा के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटिड बंगलौर

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 4877/73)

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

83वां, 88वां और 92वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान : (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में समिति के 44वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 83वां प्रतिवेदन ।

(2) अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (सिविल)—राजस्व प्राप्तियां के अध्याय 5 पर 88वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवायें)—के पैराग्राफों पर 92वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

38वां प्रतिवेदन और कार्यवाही—सारांश

श्री कमल नाथ तिवारी : (बेनिया) : मैं, प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय-राष्ट्रीय जलपूर्ति कार्यक्रम के सम्बन्ध में 38वां प्रतिवेदन

(2) उपयुक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDER TAKINGS

(33वां प्रतिवेदन)

डा० कैलास (बंबई दक्षिण) : मैं भारतीय उवर्रक निगम लिमिटेड के ट्राम्बे एकक के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 26वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान इक्कतीसवां संशोधन विधयक

Constitution (Thirty-First Amendment) Bill

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka): The population of the country is on the increase in spite of Government's family planning derives. How long the number of the seats in Lok Sabha would go on increasing.

Secondly smaller states are being formed in India and the Government arranges one or two seats for these states.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर प्रथम वाचन के समय चर्चा की जा सकेगी। यह केवल पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Shri Madhu Limaye: I only want to raise just two points on which I want clarification from the hon. Minister.

श्री एच० आर० गोखले : उनका पहला प्रश्न राज्य सभा की सदस्यता के सम्बन्ध में है। संविधान के अनुसार इस का लोक सभा के सदस्यों की संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye: In smaller States representation is given for every one lakh of population.

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों को प्रथम वाचन के समय लिया जा सकता है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री० एच० आ०र० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS—1973-74

रक्षा मंत्रालय

श्री बनमाली पटनायक : (पुरी) : भरती की नीति ऐसी नहीं होनी चाहिये जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहे। अपितु हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि इससे देश में एकता की भावना जागे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों तथा वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। वैसे ही स्वतंत्रता की रक्षा में सभी को भाग लेना चाहिये। जाट रेजीमेंट आदि के स्थान पर राणा प्रताप, शिवाजी, बखशी जगबंधु आदि रेजीमेंट होनी चाहिएं। इससे युवकों को प्रेरणा और उत्साह मिलेगा।

रिपोर्ट के पृष्ठ 27, पैरा 32 में कहा गया है कि नई छावनियों की स्थापना और पुरानी छावनियों के पुनर्गठन की योजना तैयार है।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwari in the Chair

उड़ीसा में एक छावनी की स्थापना की क्या स्थिति है।

चिलका झील में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए उड़ीसा के लोग योजना आयोग के सदस्य श्री पंत से मिले। प्रधान मंत्री से प्रार्थना करने पर उन्होंने इस मामले पर ध्यान दिया है। झील का क्षेत्रफल गर्मी में 920 किलो वर्ग मील है जबकि वर्षा में 1100 किलो वर्ग मील हो जाता है। जबकि नौसेना को 80 अथवा 100 किलो वर्ग मील आवश्यक है।

गोपालपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की क्या स्थिति है। उसके लिए 12,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी। उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस क्षेत्र का महत्व अनुभव किया गया था। प्रायद्वीप बंदरगाह में एक नौसेना केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जाये।

मयूरभंज में बंडियम फैक्ट्री का उपयोग रक्षा कार्यों के लिए होता है। रक्षा उत्पादन मंत्री को ध्यान देना चाहिये कि इसका उपयोग रक्षा कार्यों के लिये किया जा सके। चान्दीपुर में परीक्षण कार्यों के लिये एक प्रयोगशाला है। उसमें बहुत से अधिकारी हैं। जिसमें कई राज्यों के लोग कार्य करते है। रक्षा मंत्रालय को वहां पर एक केन्द्रीय स्कूल स्थापित करना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : यह कार्य किया जा चुका है।

श्री बनमाली पटनायक : धन्यवाद। चान्दीपुर प्रयोगशाला गोला-बारूद के परीक्षणों के लिये सर्वोतकृष्ट स्थान है। इस को उचित ढंग से संगठित किया जाना चाहिये।

रक्षा मंत्री एक विशेष छावनी के बारे में विचार करें तथा रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नीति में परिवर्तन करके सभी क्षेत्रों को समान रूप से इस में भाग देने की व्यवस्था करें। हमें अपने रक्षा कर्मचारियों पर गर्व है।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढका): मैं श्री इन्द्र जीत गुप्त के इस मत से सहमत नहीं हूं कि प्रस्तुत प्रतिवेदन सर्वथा महत्वहीन है और इस में नये निर्यात का समावेश नहीं है। वस्तुतः इस प्रतिवेदन में रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा संबंधी समस्याओं का प्रतिपादन करने का भरपूर प्रयास किया है। ये समस्याएं हैं :–शिमला करार के पश्चात पाकिस्तान का भारत के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार, उसका चीन के साथ गठबंधन तथा हम पर उसका प्रभाव; पाकिस्तान के अमरीका के साथ संबंध तथा उस पर उसका प्रभाव; पाकिस्तान और पश्चिम ऐशिया—विशेषकर ईरान तथा सऊदी अरब से संबंध और हमारे लिये उसका महत्व: सोवियत संघ तथा अमरीका के पाकिस्तान के संबंध, तथा इसी संदर्भ में हमारे रूस के साथ संबंध; हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियां आदि, आदि; इन समस्याओं को बड़े रुचिकर ढंग से इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है।

आज पाकिस्तान गत दिसम्बर, 1971 की तुलना में सैनिक दृष्टि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसके पास अब अच्छे स्तर के तथा बड़ी संख्या में सब साज सामान है। इसके मुजाहिदों जांबाजों अथवा होमगार्डों की शक्ति भी बहुत बड़ी हुई है तथा पाकिस्तान अब भारत में घुसपैठ करके यहां तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने में भी अधिक समर्थ हैं, पाकिस्तान अपने देश की कुल आय का बहुत बड़ा भाग सैनिक तैयारी पर स्वयं खर्च कर रहा है तथा उसकी विदेश नीति भी इस आशय को लेकर चल रही है कि भारत के विरूद्ध वह स्वदेशों से अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करे।

पाकिस्तान ने चीन के साथ सैनिक घनिष्टता स्थापित की है तथा अमरीका भी इसी प्रकार का आश्वासन या सहायता का वायदा चाहता है। भारत भी इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और अपनी रक्षा स्थिति मज़बूत कर रहा है, भारत को हिन्द महासागर संबंधी समस्यों का भी ज्ञान है? अमरीका रूस चीन तथा ब्रिटेन स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, भारत दिसंबर, 1971 में आये सातवें अमरीकी बेड़े की घटना भी नहीं भूल सकता। इस लिये भारत को इस संदर्भ में भी आवश्यक उपाय करने हैं।

परन्तु इस प्रतिवेदन में देश की सैनिक तैयारी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, जो कि जनता को विश्वास में लेकर बताया जाना चाहिये था कि किस प्रकार सरकार देश की रक्षा की तैयारी कर रही है। हम जानते हैं कि हमारी समस्यायें कितनी विकट हैं। कहां से हम साज व सामान लें। यह ठीक है कि हमें सैनिक साज़-व-सामान के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिये परन्तु जो कुछ हम स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, उसका भी तो कुछ प्रबंध उचित समय पर होना चाहिये।

हमारे रक्षा बजट से पता तो चलता है कि **हम ने** अपने सुरक्षा कार्यों को कम महत्व नहीं दिया परन्तु मेरे विचार से हमें इस संबंध में और अधिक खर्च करना चाहिये, पहले ही देशवासियों को और अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं और त्याग करने पड़ें।

माना कि सरकार को विभिन्न प्रकार के आवश्यक साज-सामान को प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं, परन्तु फिर भी एक अच्छी तरह सुसज्जित सेना तथा सुदृढ़ नौसेना तथा वायुसेना के लिये अधिक धन तथा कूटनीतिज्ञता की आवश्यकता तो होती ही है।

भविष्य के किसी सम्भावित संघर्ष में पश्चिम एशिया के देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसकी बड़ी संभावना है कि इन देशों में से कई देश पाकिस्तान को निरन्तर सैनिक साज-सामान सप्लाई करेंगे। रक्षा उत्पादन मंत्री ने कल बताया था कि इस दिशा में हम समुचित कदम उठा रहे हैं। मेरा मत है कि हमें केवल स्वयं पर ही निर्भर न रहकर उससे अधिक भी कुछ करना होगा तथा अपनी जनता को भी विश्वास में लेना होगा कि हमें विदेशों से कितनी सहायता मिल सकेगी। रक्षा-उत्पादन मंत्री ने कहा कि वह रक्षा उत्पादन में किसी से सहयोग करार नहीं करेंगे। अनुसंधान और विकास मामलों में तो क्या हम उस स्तर तक आत्मनिर्भर हो गये हैं कि हमें किसी के साथ सहयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। यदि हो, तो यह बड़े संतोष की बात है परन्तु फिर भी हमें इसका भली प्रकार सुनिश्चय करने के लिये और अधिक प्रगति करनी होगी।

हमारे देश में विघनात्मक गतिविधियां भी काफी बढ़ी हुई हैं। इस दिशा में सरकार को सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिये और साथ ही लोगों को भी इस खतरे से सचेत रखना चाहिये। यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि इस प्रतिवेदन में इस संबंध में बहुत कम कहा गया है और हमे समुचित महत्व नहीं दिया गया है।

रक्षा उत्पादन के अध्याय में कहा गया है कि रक्षा उत्पादन को देश की असैनिक उत्पादन तथा आर्थिक विकास के साथ समन्वित करके रक्षा कार्यों के लिये अधिकाधिक लाभ उठाने का हमारा उद्देश्य है, इसका अर्थ है कि गैर सरकारी क्षेत्र में भी रक्षा उत्पादन के संबंध में तेज़ी लाई जायेगी। साथ ही रक्षा सप्लाई विधेयक अध्याय में यह सुझाव दिया गया है कि रक्षा उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग न लिया जाये क्योंकि इस संबंध में अब तक के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। मेरा सुझाव है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में अवश्य ही सहयोगी बनाया जाना चाहिये और हमें छोड़ देने के बजाय यह पता लगाया जाना चाहिये कि इस सन्दर्भ में प्रयास विफल किन कारणों से हुए हैं। युद्ध के समय गैर-सरकारी क्षेत्र ही सर्वाधिक उत्पादन का सुनिश्चय कर सकता है।

परमाणु शस्त्रास्त्रों को बनाने के संबंध में मेरा मत है कि हमें उक्त अस्त्र तभी बनाने चाहिये जब कि हम यह अनुभव करें कि इसके बिना हम अपने संभावी शत्रु पर विजय नहीं पा सकते या तब जब कि हमारे सैनिक इन अस्त्रों को बिना स्वयं को कुछ अशक्त समझने लगें। परन्तु मैं इस विषय पर और कुछ न कह सकूंगा क्योंकि सरकार ने इस मामले में खुला दिमाग नहीं रखा है, फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि यदि हमारे पास परमाणु अस्त्र नहीं है तो हमें कम से कम यह तो सुनिश्चय करना ही होगा कि हमारी सेनाओं को परम्परागत यथा संभव सर्वोत्कृष्ट शस्त्रास्त्र उपलब्ध हों।

सेनाध्यक्षों की समिति का स्थायी अध्यक्ष पद बनाना उचित नहीं होगा। यह बात बहुत से लोगों तथा समाचार पत्रों नें भी कही है क्योंकि इसका अर्थ नौसेना तथा वायुसेना के अध्यक्ष पदों को

नीचा करना होगा। अतः मेरे विचार से पूर्णकालिक स्थायी अध्यक्ष (चेयरमैन) का पद बनान असन्तोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा।

सेनाओं में पदोन्नतियों के प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस में यथा संभव बाहरी हस्ताक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। साथ ही ये पदोन्नतियां कड़ाई के साथ निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार की जानी चाहिये तथा इस संबंध में किसी को भी दिल में कोई सन्देह पैदा होने की गुंजाईश नहीं छोड़ी जानी चाहिये। सब को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि उनका पदोन्नति में कड़ाई के साथ नियमों का पालन होगा। अन्यथा सेवाओं के नैतिक बल पर कुप्रभाव पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ में मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संगठन को बड़ी कुशलता के साथ संभाला है और बड़ा अच्छा प्रतिवेदन पेश किया है। तो भी इसमें निःसन्देह और सुधार भी हो सकता है; और मुझे आशा है कि वह ऐसा करेंगे भी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं तथा साथ ही युद्ध और शांति, दोनों समयों में, रक्षा मंत्री, उनके अधिकारियों तथा देश भर में तैनात सैनिक अधिकारियों तथा जवानों द्वारा किये गये आश्चर्यजनक कार्य के लिये अपनी बधाई पेश करता हूं।

मैं जानता हूं कि परम्परागत अस्त्रों के निर्माण में हमारे आयुद्ध कारखाने न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि कतिपय मित्र देशों को इनका निर्यात भी कर रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 1953 में संकादपेत आत्मनिर्भरता का हमारा कार्य पूरा होता है जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि विदेशों से मंगाये गये प्रथम श्रेणी के अस्त्रों की तुलना में हमारे देश में ही निर्मित द्वितीय श्रेणी के अस्त्र कहीं अधिक लाभकारी होंगे। उनका स्वप्न आज पूरा हो रहा है।

निःसन्देह आज हमें अपने पड़ोसी शत्रु देशों से ख़तरा है परन्तु बंगला देश के बन जाने से पाकिस्तान भी सुकड़ कर बहुत छोटा हो गया है। अतः हमें डर कर परमाणु हथियार बनाने की होड़ में नहीं आना चाहिये और न ही परमाणु शस्त्रास्त्र की होड़ में भाग लेना चाहिये।

मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि उत्पादन के मामले में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये तथा आयुद्ध कारखानों तथा अन्य रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के भाग्य के बारे में निर्णय करने में उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिये। रक्षा उत्पादन बोर्ड में विशेषज्ञ लोग अन्य सदस्यों के साथ मिल बैठकर आयुद्ध कारखानों का भविष्य निश्चित करें।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने सभी रक्षा कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है। पहले हमें बताया गया कि इस विषय पर तीसरा वेतन आयोग विचार कर रहा है परन्तु बाद में कहा गया कि यह विषय आयोग निर्दिष्ट ही नहीं किया गया था। अब हम अपने कर्मचारियों को कैसे ढाढस बंधायें? अब हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स बंगलौर के कर्मचारियों को तो बोनस देते हैं परन्तु अन्य स्थानों पर टैंको का निर्माण करने वाले कर्मचारियों को नहीं देते। यह भेद भाव मिटाया जाना चाहिये।

तीसरे वेतन आयोग ने राइफल निर्माता तथा राईफल चलाने वालों, सभी को निराश किया है। श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले श्री जगजीवन राम से मेरा अनुरोध है कि वह तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिये अपने मंत्रालय में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व लेकर एक सैल स्थापित करें, साथ ही बोनस के मामले पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि वह स्वयं भी अपने कर्मचारियों को यह विश्वास न दिला सकेंगे कि वे बोनस के पात्र नहीं है। इसी संदर्भ में औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों के मध्य भेद-भाव भी मिटाया जाना चाहिये।

इस संगठन के विस्तार के बारे में मुझे कहना है कि बांदरा स्थित हमारे आयुद्ध कारखाने ने बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया है। इसका विस्तार भी खूब हुआ है परन्तु खाद्य निगम तथा अन्य संगठन उन्हें समय पर कच्चा माल सप्लाई नहीं करते जिससे कि वहां कार्य की हानि होती है। अमझेरी स्थित आयुद्ध कारखाने के कार्य में कुछ गड़बड़ी है। उसमें सुधार किया जाना चाहिये।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वित के पश्चात कर्मचारियों को श्रेणी बद्ध करने हेतु अब क्लासिफिकेश्न ट्रिबूनल की आवश्यकता होगी जो यह निश्चय करेगा कि कौन व्यक्ति कुश्लता प्राप्त है तथा कौन गैर-कुश्लता प्राप्त। उक्त ट्रिबूनल की नियुक्ति सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये की जानी चाहिये जिनमें "पीस वर्कस" भी शामिल हों। सभी रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए यह व्यवस्था की जाये।

पुराने ठर्रे पर आधारित छावनी अधिनियम बदल दिया जाना चाहिये तथा इस में नये दृष्टि कोणों का समावेश होना चाहिये।

सैनिक ईंजीनियरी सेना (एम० ई० एस०) में ठेका प्रणाली बन्द की जाये तथा भोजनालय कर्मचारियों को भी रक्षा कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाये। गुजरात औद्योगिक ट्रिबूनल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इस संबंध में विचारणीय है।

कर्मचारी संघों की गतिविधियों में भाग लेने के आरोपों में बर्ख़ास्त किये गये रक्षा कर्मचारियों के मामलों पर सहायता तथा हमदर्दी से विचार किया जाना चाहिये तथा इन्हें बहाल किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय तुरन्त ही एक समिति नियुक्त करें ताकि हम उसके समक्ष सिद्ध कर सकें कि अयुद्ध कर्मचारी निर्दोष थे।

मैं मन्त्री महोदय को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की ओर से पूरे समर्थन का बिश्वास दिलाता हूं। हम कभी नहीं लड़ेंगे परन्तु जब भी लड़ेंगे अपनी आत्मरक्षा हेतु ही लड़ेंगे किस को चिड़ाने के लिये नहीं।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय पर हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं की दिल खोल कर प्रशंसा की है और मैं इन अनुदानों की मांगों का भी समर्थन करता हूं।

परन्तु कुछ जिम्मेंदार लोगों ने निरस्त्रीकरण की बात उठायी है । मैं चाहूंगा कि इस संबंध में हम पहले गत युद्ध में अपनी विजय का उद्देश्यपूर्ण अन्वेषण कर के देखें । पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान की पराजय बंगला देश की जनता द्वारा अपने शोषक और हत्यारे के विरूद्ध विद्रोह किये जाने के कारण हुई जिस ने हमारी सेना को भरपूर सहयोग दिया । पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान की नौसेना को बुरी तरह कुचला गया और इसकी वायु शक्ति को बेकार कर दिया गया, परन्तु उसकी थल सेना ने, हमारे द्वारा सिन्ध, शक्कर गढ़ तथा पुंछ क्षेत्र में घुस जाने के बावजूद, अपना हौसला बनाया रखा और यहां तक कि हमारे कुछ क्षेत्र में भी घुस आये । वहां उनका हौसला इस से भी सिद्ध होता है कि पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय युद्धबंदियों की संख्या पाकिस्तानी युद्ध बंदियों से कहीं अधिक है । इससे इस क्षेत्र में पाकिस्तान की युद्ध भावना स्पष्ट प्रकट हो जाती है ।

अब पाकिस्तान हालांकि बंगला देश के बन जाने से काफी काफी संसाधन तथा सम्मान खो चुका है तो भी हर युद्ध के पश्चात इसने अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है और अब उस की सारी शक्ति हमारे विरूद्ध केवल बर्फीले क्षेत्र पूंछ तथा रेतीले क्षेत्र कच्छ की ओर से लग सकती है । एशिया को अपने शस्त्रास्त्रों का परीक्षण स्थल समझने वाले अमरीका ने ईरान और चीन के साथ गठजोड़ कर के पाकिस्तान को भरपूर सैनिक सहायता दे दी है और पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध अपना कटु रवैया नहीं बदला है बल्कि उसने भारत विरोधी घृणाभाव को और अधिक प्रचारित किया है जम्मू व काश्मीर तो पाकिस्तान गत युद्ध में मार खाते समय भी मांग रहा था और बंगला देश को अपने संविधान में उन्होंने अपना एक भाग मान रखा है । मार्च, 1972 तथा जुलाई 1972 में उसने 1500 बार युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण किया और अब वह बदला लेने के उद्देश्य से चीन और अमरीका से बड़ी मात्रा में आधुनिकतम अस्त्रों की सहायता प्राप्त कर रहा है । ऐसे समय में निरस्त्रीकरण की बात करना न केवल अवास्तविक ही है बल्कि देश भक्ति विरोधी भी है ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 पर व्यक्त किये गये इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि संभावित ख़तरों के स्वरूप तथा गहनता आदि को देखते हुए ही हमें अपने रक्षा प्रयासों को व्यापक तथा अच्छे स्तर का बनाना होगा । हमने वर्ष 1962 में चीन द्वारा परास्त होने के बाद ही तो रक्षा उत्पादन विभाग बनाया था । वर्ष 1962 तक तो हमने इस की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की थी । अब गत दस वर्षों में इस विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है तथा अपने साज सामान का देशीयकरण किया है । तथापि हमें अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर और अधिक धन खर्च करना चाहिये ताकि हम आधुनीकरण की किसी दौड़ में पीछे न रह जायें । हम मानते हैं कि हम परमाणु अस्त्रों का खर्च आसानी से सहन नहीं कर सकते तो भी अपनी जनता और जवानों का उत्साह बनाये रखने तथा साथ ही अपने वैज्ञानिकों को भी नये ज्ञान की दिशा में अग्रसर करते रहने के लिये तत्संबंधी जानकारी एकत्रित करते रहना चाहिये ।

वस्तुतः हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चेतना तो हाल ही में आई है । रक्षा मंत्रालय संबंधी प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1964 में ही तो बनी थी और अब यह दूसरी योजना चल रही है । तीसरी योजना वस्तुतः ही एक योजना होगी जिनके द्वारा हम सुरक्षा संबंधी सम्पन्नता प्राप्त कर सकेंगे ।

वियतनाम युद्ध ने सारे विश्व को एक पाठ पढ़ा दिया है कि केवल आधुनिकतम अस्त्र ही लोग के हौसले का दमन नहीं कर सकते । अमरीका एक दशक तक विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग करत रहा परन्तु लोग दशक भर उसका मुकाबला शस्त्रों के सहारे ही तो करते रहे । अतः निरस्त्रीकर की बात करना बुद्धिमता का परिचायक नहीं है ।

जिन देशों से हमें आक्रमण का खतरा है वहां हमारी सैनिक शक्ति गुप्तचर सेवा को सुनियोजि किया जाना चाहिये । अमरीका , रूस तथा अन्य कुछ देश ऐसे कार्यों पर भारी धनराशि खर्च कर हैं तथा हर प्रकार की सही जानकारी उपलब्ध कर लेते हैं । हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमारे फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा को साक्षात्कार का जो भाग यहां कल उद्धृत किया है यदि वह सच है तो यह सिद्ध होता है कि उनके दिल में भारत-विरोधी भावनायें हैं । इस संबंध में मंत्री महोदय गहराई से जांच करें क्योंकि ऐसे वक्तव्य सुरक्षा सेवाओं के महत्व को कम करते हैं तथा असम्मानप्रद होते हैं । कुछ लोगों ने इसे मज़ाक बताकर टालने का प्रयास किया है परन्तु यदि यह मजाक ही था तो भी बुरा था ऐसे मजाकों पर भी पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : किसी मंत्रालय या विभाग को कार्य का इसी से अनुमान हो जाता है कि कौन व्यक्ति उसका संचालन कर रहा है । बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय नें वर्षों पूर्व की अपनी अकुशलता छोड़कर 10 गूनी प्रगति की है ।

यहां अनेक सदस्यों ने लन्दन में फील्ड मार्शल मानेकशा के साक्षात्कार का जिक्र किया है । मैं इस वक्तव्य पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाये तो वह लन्दन में ही बस जाना चाहेंगे । इस प्रकार के शब्द कहना हमारे राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में उन्हें शोभा नहीं देते । जब वह कहते हैं कि उन्होंने तो केवल मज़ाक किया था तो मुझे इतिहास की वे कुछ घटनायें याद आ जाती हैं जबकि केवल मज़ाक में कहे गये शब्दों के कारण राष्ट्रीय जीवन और देश के ऊपर भारी विपत्ती आ गई थी, एक बार नेपोलियन ने आस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तथा अपने दूत भेजे । आस्ट्रिया की राजकुमारी ने कह दिया "क्या मैं एक बौने से शादी करूंगी ?" नेपोलियन छोटे कद का व्यक्ति था यह सुनकर नेपोलियन ने कहा कि "मैं आस्ट्रिया को तबाह कर दूंगा ।" उसने आस्ट्रिया के लोगों को खदेड़ दिया और आस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया । इसी प्रकार दूसरा विश्व युद्ध भी आस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फर्डिनेन्ड की हत्या के बाद एक व्यक्ति द्वारा यह मज़ाक करने से आरंभ हुआ कि इस हत्या में फासिस्ट जमर्नी का हाथ है । हिटलर ने इस मज़ाक को गंभीरता से लिया और नाजी सेना ने सेराजावो की गलियों पर आक्रमण कर दिया । इसी भांति के और भी कई अवसर हुए हैं जहां छोटे से मज़ाक नें भयंकर रूप धारण कर लिया । इसलिये साम मानेकशा को भी इस प्रकार के विवाद में नहीं उलझना चाहिये था ।

रक्षा मंत्री देश के बहुत बड़े नेता भी हैं । मेरा उनसे अनुरोध है कि वह नियमित सेना के अतिरिक्त देश में एक राष्ट्रीय सेना भी गठित करें । माओ त्सेतुंग नें भी अपने देश में समाजवाद लाने के लिये ऐसा ही किया था, स्टालिन नें भी अपने देश में सामाजवाद लाने के लिये देश में लाल

सेना बनाई थी जिसने वहां की क्रांति का मुकाबला किया है। आज हमें भी अपने प्रधान मंत्री तथा उनकी सामाजिक क्रांति पर बहुत सी आशाएं हैं। देश की सामाजिक तथा औद्योगिक प्रगति में सेना का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, एक समाजवादी सशस्त्र सेना के नेता देश के भी नेता होते हैं। अतः हमारे लोकतंत्रात्मक देश में हमारी सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को समाज में प्रतिष्ठा तथा स्नेह का स्थान मिलना चाहिये।

युद्ध के बाद जवानों की विधवाओं के समाज में पुनर्वष्टित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ऐसे अनेक समाचार मिलते कि सैनिकों कि विधवाओं की हृदय विदारक स्थिति कि किसी ने सुनवाई तक नहीं की। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जो बात लाल फीताशाही का शिकार बनाये बिना उनकी कठिनाईयों को दूर कर सके, साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि देश में केवल उस की एक फील्ड मार्शल न हो कर सेना के तीनों अंगों के लिये अलग अलग फील्ड मार्शल हों। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

उड़ीसा में मेरे चुनाव क्षेत्र बालासौर में एक रक्षा प्रतिष्ठान है यहां भारी श्रमिक विवाद व्याप्त है जब कि हम समझते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के संबंध में कार्य कर रहे किसी प्रतिष्ठान में ऐसा विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः हम चाहते हैं कि वर्षों से चले आ रहे इस विवाद को सदा के लिये समाप्त किया जाये। कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाये तथा साथ ही सैनिक अधिकारियों को भी यह अनुभव नहीं होने देना चाहिये कि वे राजदूतों के हाथों के गुर्गे बन गये हैं।

देश में विद्यार्थियों और युवा वर्ग को अनुशासन के साथ शिक्षित करने की आवश्यकता है। बंगला देश की मुक्ति वाहिनी इसका उदाहरण है जहां युवा वर्ग ने इसके सदस्य बनकर संघर्ष में भाग लिया था। देश के संघर्ष में युवा वर्ग का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये जो कि रक्षा की दूसरी पंक्ति बन सकते हैं।

बालासोर स्थित प्रूफ एंड एक्सपैरीमेंटल सेन्टर का विस्तार किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि हालांकि यहां का कुछ काम इटारसी हस्थानान्तरित किया गया है परन्तु अतिरिक्त काम भी इस सेन्टर में लाया गया है, मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु यह संस्थान न केवल एशिया में अपितु विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, अंग्रेजों का भी यह विचार था कि यह स्थान पास में उथला समुद्र होने के कारण प्रूफ एंड एक्सपैरीमेंटल सेंटर के लिए उपयुक्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सेन्टर का विस्तार किया जाना चाहिये, इसके अतिरिक्त समुद्र तटों के पास रहने वाले व्यक्तियों को नौसेना में भरती किया जाना चाहिए।

उड़ीसा में विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता है कोरापुट के निकट सोनापेटा में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का विस्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ सहायक उद्योग भी स्थापित किये जाने चाहिए। ऐसा करके ही उड़ीसा को देश के रक्षा प्रयासों में सहभागी बनाया जा सकता है।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : Although we won the war of 1971 yet danger from Pakistan still exists because America and China are giving her support. Taking into consideratio 1 the strategic importance of Dhoodhtoli, it will be proper to construct an aerodrome there.

The hilly people are brave and courageous. Since the importance of Himalayas as sentry of India has diminished, these people can take its place. So Sainik Schools should be established there to impart them training from the beginning. I want that a brigade of army should be formed there to meet any eventuality to facilitate the movement of army to Joshimath and Barahoti, it will be proper to construct Railway line upto Karanprayag. This will strengthen our defence efforts.

Our hilly areas are very backward. The production of food grains is negligible there. The Government should set up small scale industries so that our Army personnel may get employment after retirement.

I want to draw the attention of the Government to the harassment being caused to our sainiks. There are 112 such sainiks against whom cases have been going on. The Government should be liberal in their cases so that innocent people may not suffer.

Discontentment is prevailing among the people due to unemployment and failure of food production and also due to other causes. They can resort to violent methods. The Government should give them relief so that they may not be caught in the trap of foreign propaganda. Proper provision of pension should be made for the sainiks. I hope that our Defence Minister will give attention to the construction of Railway lines, aerodromes and other demands. With these words, I support the demands of Defence Ministry.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : यह सुझाव दिया गया है कि देश की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। हिंद महासागर में अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास और अधिक जहाज हों और नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हो।

हमारे जैसे देश के लिए निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना कोई महत्व नहीं रखता। इस विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनका रक्षा व्यय हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक है, आज की परिस्थितियों में बड़ी शक्तियों के रक्षा व्यय में क्रमिक कमी की जानी चाहिए। शस्त्रीकरण की दिशा में बड़ी शक्तियों और अन्य राष्ट्रों के बीच खाई बढ़ती जा रही है जिसे हमें कम करना है। ऐसी स्थिति में निःशस्त्रीकरण की बात करना नितांत असंगत होगा, आज का वैज्ञानिक घातक शस्त्रास्त्रों के निर्माण में लगा हुआ है। उसका मन बदलना अपरिहार्य हो गया है।

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सामूहिक सुरक्षा के लिए रूस के निकट जायें। इसके साथ ही हम हिंद महासागर में पड़ने वाले देशों के साथ मिलकर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ;

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : वर्ष 1962 में प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में जिन परिस्थितिओं में हमने निर्णय लिये थे, वे आज बदल गई हैं, आज मुख्य प्रश्न यह है कि हम भविष्य में बड़ी शक्तियों के विवेकहीन निर्णयों का सामना किस प्रकार करें। यदि इस उपमहाद्वीप

के देशों के नेता आपस में मिलकर अपनी अपनी जनता की खुशहाली और देश के विकास की ओर ध्यान दें तो यहां शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिल सकता है, हम पड़ौसी देशों के साथ बात चीत कर रहे हैं और वे दिन दूर नहीं जब हम संयुक्त रक्षा पर बात चीत करेंगे, परन्तु तब तक हमें अपने वर्तमान रक्षात्मक ढांचे पर विचार करना पड़ेगा कि क्या इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, हमने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया है परन्तु उन संभाव्य खतरों का सामना करने के लिए हमने क्या किया है जो अन्य क्षेत्रों से हमारे समक्ष आ सकते हैं।

हिंद महासागर के संबंध में हमारी क्या नीति है ? क्या हम यही सोच कर बैठे रहें कि यह शांति का क्षेत्र है और तब तक निष्क्रिय रहें जब तक कि कोई हम पर आक्रमण न करे।

हमने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, देश के उद्योगों को रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करना चाहिए। यह अत्यावश्यक है कि रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले कारखाने ऐसे सामग्रियों का उत्पादन करें जिन्हें पूर्ण रूप से गोपनीय रखे जाने की आवश्यकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जवान, अफसर, इंजीनियर तथा उत्पादन विभाग के सुझावों पर ध्यान दिया जाय।

रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद का एक छोटा भाग रक्षा कार्यों में व्यय कर रहे हैं, यह गलत माप दंड है, हमे विकास कार्यों के साथ साथ रक्षा कार्यों पर भी अधिक व्यय करना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It has been the tradition of our country that credit is shared by many persons but in the matter of discredit, none comes forward. In the debacle with China, the discredit was thrust upon Shri Krishna Menon and now in the victory of Bangla Desh, the credit went to the Prime Minister. Why this was not given to the Defence Minister ?

Some years back India was dependent on America, Britain and other countries for arms and other matters. Then we talked about self reliance. But now again the same cnoditions have arisen. So, the Government should take some positive steps to achieve self sufficiency.

The average per capita income is decreasing and people are getting poorer. Under such conditions, they have to bear the whole burden. The Government should take steps to accelerate the economic progress so that poor people may not be burdened. Formerly, India was divided into two and now it has been divided into three and if Pakistan persists on doing foolish acts, then further disintegration will follow. The same thing can happen here if the Government resort to centralisation.

Under the Simla Agreement, we released some land but kept innocent sainiks under custody. We should have kept only those Sainiks under custody who are to be tried. May I know whether the Defence Minister will insist upon his Government to have talks with Pakistan so that the outstanding problems may be solved ? We should also try to have common policy in respect of Defence and Foreign Affairs with Bangla Desh and Pakistan.

In the end, I want to say that there are minorities in India, Pakistan and Bangla Desh. Leaders of these three countries should reach an agreement regarding the safety of the minorities. If scuh an agreement is concluded, the expenditure on defence will decrease and all the three countries will find relief from outside pressures.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : I rise to support the Demands of the Ministry of Defence under the leadership of our Defence Minister. Our forces won the war. I doubt whether Pakistan is receiving arms from America and China. Ladakh has greater threats from both sides. But we cannot meet the threats militarily only, the economic, social and political factors have also a part to play. Today, ladakh is far more backward than Jammu and Kashmir. It has not made much prgroess.

The Ladakh scouts showed bravery in 1947, 1948, 1962, 1965 and 1971. Due to their sacrifices, the Jammu and Kashmir as well as Ladakh have been able to raise their heads. Despite repeated appeals to the Government, the families of those who were killed in the wars have not been given any benefits. I appeal to the Government that such families should be given lands and children of those, jawans who sacrificed their lives may be given scholarships. The Children of Army personnel should be given priority in the matter of admissions in Sainik Schools.

I am grateful to the hon Minister for allowing civilians to travel in Military planes. But it is my request that residential accommodation may be provided at Leh aerodrome. Besides, transport arrangements should be made between Chandigarh aerodrome and the City.

To meet the outside threats, it is imperative that the standard of living of the people of Ladakh should be brought at par with that of the rest of Jammu and Kashmir. They Should be given full facilities. Ladakh is a very cold place, so high altitude allowance should be given to those who are guarding our frontiers at such heights. They need special attention. With these words I support these Demands.

Shri Chhotey Lal (Chail) : I rise to support the demands of the Defence Ministry. This ministry is functioning under the sound and efficient leadership. Shri Jagjiwan Ram has introduced several Schemes for the help and welfare of injured and incapable soldiers. Shri Patnaik has been appointed as Deputy Minister to implement those schemes. I have full confidence in the functioning of this ministry even then I want to say few things and I want that the hon. Defence Minister should pay attention to them.

During World War-II three airports were constructed in Allahabad. After the war, the land was again given to the farmers who are since then living there. But now Air Force Officers have encircled those villages with barbed wire which is causing great inconvenience to the residents. Some gates have been

constructed on the old roads and time for the opening and closing has been fixed. I will therefore request the hon. Defence Minister to go to Allahabad and see the difficulties of those people. If Air Force need that land then a scheme should be formulated to rehabilitate those people elsewhere.

The land of the Military estate should be distributed among the Harijans or landless cultivators. In this connection I want to say that the lease of the old leaseholders has been extended. I raised this matter in the House last year also.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribes people should be appointed in the ministry in proportion to their population. A separate union of the people of these castes should be formed so that their interests should be looked after well. In this connection, I would like to tell you that Shri Channu Lal, Secretary of Defence Employees Union was suspended five months ago and as yet he has not been reinstated. I will appeal to the Hon. Minister to protect the rights of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes people.

A new regiment such as Chammar Regiment should be raised in the Army. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes people should be extended all facilities otherwise there is no use of extending the time provided in the constitution. With these words I support the demands of this ministry.

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Kashmir has a special significance so far as defence of the country is concerned. We have already fought three wars with Pakistan on the issue of Kashmir. Even now Pakistan has its eyes on Kashmir. Mr. Bhutto has changed his stand on Kashmir several times. Happenings of Bangla Desh has proved that the stand taken by the leaders of Kashmir in 1947 was correct.

I am sorry to say that Pakistan is still in occupation of one part of Kashmir. We should make our stand clear in regard to that pact of Kashmir. Pakistan should not be allowed to retain his possession over that part of Kashmir. I want to know the steps being taken to recapture that part of Kashmir which is still in occupation of Pakistan.

In 1969 when I visited that part of Kashmir I was told by the people that they are not interested in living with Pakistan. They wanted to merge with the State of Jammu and Kashmir. The Government should explain its policy explicitly in this regard.

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जिन सदस्यों ने इस मंत्रालय के वाद-विवाद में भाग लिया है में उनका धन्यावाद करता हूं ।

भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध जो विजय प्राप्त की है वह शस्त्र सेनाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयास तथा प्रधानमन्त्री के कुशल राजनैतिक नेतृत्व का परीणाम है ।

युद्ध विराम के पश्चात पाकिस्तान ने अनेक क्षेत्रों में भड़काने वाली कार्यवाही की। परन्तु हमारी सेनाओं ने असीम धैर्य का परिचय दिया है, हमारे इस रवैये के कारण तथा प्रधानमन्त्री द्वारा पहल किये जाने के फलस्वरूप शिमला समझौता हुआ था।

हम विश्वास रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को दो मित्र पड़ौसी देशों की भान्ति रहना चाहिए। दोनों देशों का परम्परागपत समाज तथा जीवन स्तर समान ही है। दोनों देशों में निर्धनता विद्यमान है जिसे दूर करने के लिये दोनों देशों को कार्यवाही करनी है।

इस दृष्टिकोण के कारण हमने लगभग 5000 मील क्षेत्र को जिस पर युद्ध के दौरान हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था, खाली कर दिया है। परन्तु अन्य समस्याएं अभी बनी हुई हैं, हमारी सीमापार पाकिस्तान में तथा उससे लगने वाले अन्य देशों में, जो हमारे अधिक मित्र नहीं हैं, घट रही घटनाओं को ध्यान में रखना है।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि हमने अपने प्रतिवेदन में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। हमने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संकेत दिये हैं जिनसे हमारी तैयारी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

इस वर्ष भी हमने इस बात का संकेत दिया है कि हमें किस ओर से खतरा है, हमने इस बारे में भी संकेत दिये हैं कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु अधिक विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती है।

1971 के संघर्ष से प्राप्त सब्क का अध्ययन किया जा रहा है। संघर्ष के दौरान यह अनुभव किया गया था कि पश्चिम कमान बहुत बड़ी है। अतः अब उसका विभाजन कर दिया गया है और एक नई उत्तरी कमान बना दी गई है। इसके फलस्वरूप वायुसेना की भी नई कमान बनाई गई है। तोपखाने तथा बख्तरबन्द डिविजनों का भी पुनर्गठन किया गया है। परन्तु ऐसा करते समय जनशक्ति में वृद्धि नहीं की गई है।

1971 की घटनाओं के पश्चात पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत कम हुई है। अतः मैं पाकिस्तान की चार नई डिवीजन सेना बनाने की बात नहीं समझ सका। पाकिस्तान अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग रक्षा पर व्यय कर रहा है, गत कुछ महीनों में उसने बड़ी मात्रा में विमान, टैंक, तोपें तथा अन्य सैनिक सामान प्राप्त किया है। "सैन्टी" के सदस्यों और पाकिस्तान के बीच घनिष्ट सहयोग के समाचार भी समाचार पत्रों में छपे हैं। पाकिस्तान की इस घोषणा को कि वह अपनी सेना को एशिया की एक सर्वोत्तम लड़ाकू सेना बनाएगा, मामूली बात नहीं समझा जा सकता।

इन सभी बातों को देखते हुए हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है मैं उससे पूरी तरह अवगत हूं। परन्तु अभी भी हमें आशा है कि पाकिस्तान को सुमति प्राप्त होगी और दोनों देश अपने साधनों को अपने अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर लगा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी देश ने हमारी सीमा का उल्लंघन करने की चेष्टा की तो उसको बहुत दूर तक मार भगाया जायेगा।

इस समय हम अपनी सेना को अधिक दक्ष तथा कार्य प्रधान बनाने पार जोर दे रह हैं। उनको सख्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय की कुल 1600 करोड़ रुपये की मांगें हैं जो गत वर्ष के अनुमानों के समान है, इस वर्ष व्यय में वृद्धि की मांग नहीं की गई है।

वायुसेना तथा नौसेना पर कुछ अधिक व्यय करने की आवश्यकता महसूस की गई है, अतः हमने सेना के कुछ व्यय में कटौती कर इस व्यय को पूरा करने का प्रयास किया है, सेना के व्यय में कटौती करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि उसकी तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सशस्त्र सेनाओं में जवानों की सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। वेतन आयोग की स्थापना पर मैंने यह सुझाव दिया था कि उसके सदस्य सेना, नौसेना के उन क्षेत्रों में जाकर उनका कार्य देखें जो बिल्कुल अलग थलग हैं, और वास्तविक स्थिति देखकर ही वे अपनी सिफारिशें दें। मैं आयोग के सदस्यों को धन्यावाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव पर कार्य किया है। इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय में भी एक कक्ष स्थापित किया गया था जिसे वेतन आयोग को प्रास्ताव प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था। वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय में एक कक्षं बनाने का भी प्रस्ताव है।

जहां तक रक्षा उपक्रमों का प्रश्न है हमारा प्रयास है कि मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे जायें, मुझे खुशी है कि इस समय यह सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।

मैं इस बात की जांच करूंगा कि मजदूरों को किस हद तक उत्पादन योजनाओं के बारे में प्रबन्धकों से सम्बधित किया जा सकता है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। जहां तक इनको बोनस देने का प्रश्न है रक्षा मंत्रालय इस बारे में स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि अन्य मन्त्रालयों में भी ऐसे ही कर्मचारी हैं। इस बारे में हम सामान्य नीति का अनुसरण करेंगे।

हमने युद्ध के पश्चात बढ़िया उपकरण सेना को देने तथा उसकी कार्य कुशलता बढ़ाने का प्रयास किया है। कुछ टैंकों में अधिक शक्तिशाली तोपें लगाने का हमारा विचार है और तोपखाने को भारत में विकसित नई 'फील्ड गन' दी जायेगी। इसके साथ साथ भारी मार्टर तोपें भी दी जायेंगी। जहां तक हवाई रक्षा का प्रश्न है एक नई विमान-तोड़ तोप सेना को दी गई है। पैदल सेना को अधिक आधुनिक राकेट छोड़ने की तोपें देने का प्रस्ताव है।

नौसेना के पुराने जहाजों को बदलने के कायक्रम का पुर्नविलोकन किया जा रहा है। सुधरी हुई किस्म के फ्रीगेट गश्ती जहाज तथा समुद्रगामी रक्षा नौकाएं बनाने की हमारी योजना है। विदेशों से नये जहाज मंगाने पर भी विचार किया जा रहा है। विशाखापटनम् में एक बड़ा नौसैकिन अड्डा बनाया जा रहा है। वहां पर एक गोदी भी बनाई जा रही है ताकि जहाजों की मरम्मत की जा सके और उन्हें कार्य करने योग्य बनाये रखा जा सके। बम्बई गोदी विस्तार योजना का कार्य पूरा होने वाला है। इन सभी बातों से उन माननीय सदस्यों को संतोष होगा जिन्होंने नौसेना को मजबूत बनाने में रुचि दिखाई थी।

नेट तथा एच० एफ० 24 और मिग 21 एम डी विमानों की डिजायन का कार्य बहुत अग्रिम अवस्था में है। इन विमानों की सुधरी हुई किस्मों के निर्माण का कार्य हम शीघ्र ही आरम्भ कर सकेंगे (ऐसी मेरी आशा है।)

हम एच०एस० 748 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं ताकि इस विमान से छाता सैनिक उतारन का काम लिया जा सके। परन्तु इन सब बातों के बावजूद हमें दूर तक मार करने वाले विमान की आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार का अपना विमान बनाने में हमें अभी कुछ समय लगेगा।

नीची उड़ान भरने वाले विमानों से रक्षा की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है। इस बारे में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। 1974—79 की रक्षा योजना में इन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा। कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था कि रक्षा योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में गहरा सम्बन्ध होना चाहिये। ये दोनों क्षेत्र राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण हैं। मेरे विचार में योजना मंत्री के परामर्श से समेकित दृष्टिकोण अपनाना सम्भव होगा।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए हम परम्परागत हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकते। अतः सेना को आधुनिक हथियार न देना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हमें एक प्रकार से संतुलन बनाये रखना है। परन्तु परम्परागत हथियारों से हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते इसके लिए नये तथा आधुनिक हथियार सेना को देना आवश्यक है और इसके लिए प्रबन्ध के भी आधुनिक ढंग लागू करना आवश्यक है।

जब इन आधुनिक हथियारों को सेना को दिया जाता है तो उसी समय प्रशिक्षण में भी परिवर्तन किया जाता है।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सहायता देने का प्रश्न है कुछ सदस्यों ने उनकी दयनीय दशा का उल्लेख किया है। यदि किसी मामले विशेष की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाता है तो मैं उसको देखूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखें। हमने उदार पेंशन योजना लागू की है जो विश्व में और कहीं नहीं है। उनको जो नकद पेंशन दी जा रही है वह सैनिकों को मिलने वाले नकद वेतन से अधिक है। यह सुविधा नागालैण्ड तथा गोआ में काम आने वाले सैनिकों के परिवारों को भी दी जा रही है। अतः यह सिद्ध हुआ कि हमने शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों तथा विकलांग सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की है। सैनिकों के समीप के रिश्तेदारों को नौकरी देने की बात हमने राज्य सरकारों के साथ उठायी है। उनको कुछ पेट्रोल पम्प भी अलाट किये गये हैं। यह सब बातें पेंशन सम्बन्धी लाभों के अतिरिक्त हैं।

लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक प्रतिवर्ष सेवानिवृत हो जाते हैं। इन सभी को भूमि देना सम्भव नहीं है। परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने उनको भूमि अलाट करने की योजनाएँ बनाई हैं। परन्तु सभी को भूमि देना सम्भव नहीं है। इस कारण हमने एक योजना लागू की है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व सैनिकों को किसी तकनीकी कार्य में प्रशिक्षण दिया जाये। परन्तु मैं नहीं कह सकता कि इससे भी उन की बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी।

बेरोजगारी की इस बड़ी समस्या का सबसे उत्तम समाधान स्वत: नियोजन की व्यवस्था है।

छावनी क्षेत्रों की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है। अपनी कुछ हवाई अड्डों की भूमि जो काम में नहीं आते थे, हमने आस पास के किसानो को अस्थायी रूप से दे दी थी, पर गत युद्ध में उन्हें वापिस ले लिया। इस स्थिति में मुआवजा देने और उन्हें फिर से बसाने और रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां हमें इन्हें खाली कराने में दिक्कत हुई हमने पूर्वोपाय के रूप में कांटेदार तार लगा दिए।

सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से देने की बात कही गई है। पर हमारा अनुभव यह रहा है कि सेना की भरती स्वैच्छिक होने पर भी सेना में भरती के लिए पर्याप्त लोग मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे युवकों में कितनी देश भक्ति की भावना है। इसके अतिरिक्त, छात्र सेना दल पर हम काफी धन व्यय कर रहे हैं तथा इस के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए हमने एक समिति नियुक्त की है जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर भी कई योजनाएं चल रही हैं।

प्रादेशिक सेना भी है, जिसने गत युद्ध में भी बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। सैनिक स्कूल भावी सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण गृह का काम करते हैं।

हम सेना में डाक्टर इंजीनियर आदि की कमी अनुभव कर रहे हैं। वहां योग्य उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं। इसका एक कारण हमारे विद्यालयों में शिक्षा के संसाधनों आदि का न होना है। पूरे साधनों के अभाव में योग्य उम्मीदवार किस प्रकार मिल सकते हैं।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे यहां विभिन्न जातियों के नाम पर रेजीमेंटों के नाम हैं। पर सभी जातियों अथवा समुदायों को भरती की पूरी सुविधा प्राप्त है। मुख्य सेनाध्यक्ष ने इस बात का अध्ययन करने के लिए कि किस क्षेत्र से कितने लोग भरती के लिए आते हैं, एक समिति बनाई है। इसके अध्ययन के आधार पर भरती सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। नौसेना में तटवर्ती लोगों की भरती पर कोई रोक नहीं। प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उसमें लिया जाता है।

आत्म-निर्भरता के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी विस्तार से बता चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने पर्याप्त प्रगति की है। शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में पूर्ण आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में यदि हमें कोई वस्तु निजी क्षेत्र में उपलब्ध है तो हम उस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने की आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रकार इस विषय में जहां से भी सहायता मिल सकती है हम लेते हैं और लेते रहेंगे।

सेना के तीनों अंगों में समन्वय रखने का काम रक्षा मंत्री का है। यदि मंत्री यह नहीं कर सकता तो वह इस कार्य के उपयुक्त नहीं हैं। हमारी सेना के तीनों अंगों में पूर्ण समन्वय है। इसके लिये तीनों अंगों के अध्यक्षों और मंत्री की प्रति सप्ताह दो बैठकें होती हैं और हम अपनी सब समस्याएं वहीं सुलझा लेते हैं। इस सम्बन्ध में, कार्य निवृत होने के बाद बहुत से लोग तरह-तरह के सुझाव देते हैं।

जहां तक फील्ड मार्शल मानकशाह के कथन का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में उन्होंने मंत्रालय से प्रेस सम्मेलन करने के लिए कोई अनुमत्ति नहीं मांगी थी। सेवानिवृत्ति के बाद वे एक स्वतंत्र नागरिक है।

मैंने उठाये गये सभी मुद्दों को ले लिया है। कुछ स्थानिक विषयों के सम्बन्ध में मैं समुचित कार्यवाही करूंगा।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

ALL THE CUT MOTIONS WERE PUT AND NEGATIVED

सभापति महोदय द्वारा रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for Grants of Ministry of Defence were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
19	रक्षा मंत्रालय	1,06,73,000
20	रक्षा सेवाएं—थल सेना	8,57,64,17,000
21	रक्षा सेवाएं—जल सेना	72,84,17,000
22	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	2,75,71,67,000
23	रक्षा सेवाएं—पेंशन आदि	50,33,33,000
24	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	

M/J(D)5LSS-10

श्रम और पुनर्वास

श्रम पुनर्वास मन्त्रालय की वर्ष 1973--74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		(रुपये)	
		राजस्व	पूंजी
66	श्रम और नियोजन विभाग	1,12,72,000	..
67	श्रम और नियोजन	24,12,77,000	1,49,59,000
68	पुनर्वास विभाग	9,72,10,000	7,83,41,000

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
66	5	श्री पी० जी० मावलंकर	समुचे देश के लिएएक प्रगतिशील श्रम नीति बनाने तथा उसे बढ़ावा देनें मेंग्रसफलता	राशी घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
66	6	श्री पी० जी० मावलंकर	नियोजकों तथा मुनाफाखोरों की स्वेच्छाचारिता और मनमौजीपन से मजदूरों को बचाने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	7	श्री पी० जी० मावलंकर	देश में प्रत्येक मजदूर के लिये न्यायोचित तथा समुचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	8	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों के लिये रोजगार, सुरक्षा और काम की बेहतर शर्तों की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
66	9	श्री पी० जी० मावलंकर	समस्त देश में असंख्य मजदूरों के रहन-सहन के ढंग में सुधार लाने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	10	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों और कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए आवास और स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधायें सुनिश्चित करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	11	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों के जीवन को नियोजकों के शोषण और मनमानी कार्यवाइयों से मुक्त करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	12	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों की शिक्षा के लिए एक सूझ बूझ वाला राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम अपना कर मजदूरों के लिए वयस्क तथा निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए'।
66	13	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों के बच्चों के लिए निःशुल्क, अच्छी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।

1	2	3	4	5
66	14	श्री पी० जी० मावलंकर	श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मजदूरों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
66	15	श्री पी० जी० मावलंकर	विभिन्न श्रम समस्याओं के प्रति वास्तविक रूप से समाजवादी, समतापूर्ण तथा मानवता वादी दृष्टिकोण अपनाने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	16	श्री पी० जी० मावलंकर	जो संस्थाएं भारी लाभ कमा रही हैं, उनके कर्मचारियों को अधिक बोनस दिलाने के संबंध में बोनस समीक्षा समिति से अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	17	श्री पी० जी० मावलंकर	उपदान विधि को, जो मजदूरों के हित में होगी, क्रियान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	18	श्री पी० जी० मावलंकर	सदस्य बने रहने का अधिकार समाप्त किये बिना बीस वर्ष की सेवा के बाद भविष्य निधि की जमा राशि लौटाये जाने के सम्बन्ध में मजदूरों की वैध तथा न्यायोचित मांग को स्वीकार करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	19	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों को उनकी भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की अधिक दर देने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	20	श्री पी० जी० मावलंकर	वर्तमान दोषपूर्ण पैन्शन योजना में सुधार करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।

66	21	श्री पी० जी० मावलंकर	चूंकि अब रुग्ण कपड़ा एकक राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राजकीय निगमों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, इसलिए बन्द और रुग्ण कपड़ा मिलों के मजदूरों की उनकी मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने सम्बन्धी उनकी मांग की ओर ध्यान देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	22	श्री पी० जी० मावलंकर	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करके सप्ताह में वर्तमान 48 घण्टों के स्थान पर सप्ताह में 40 घन्टे सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	23	श्री पी० जी० मावलंकर	सफेदपोश कर्मचारियों और औद्योगिक मजदूरों के बीच सवेतन आकस्मिक तथा प्राधिकार अवकाश के भेदभाव को दूर करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	24	श्री पी० जी० मावलंकर	विकलांग तथा अंधे लोगों को रोजगार प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	25	श्री पी० जी० मावलंकर	समूचे देश के लिए एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक अधिनियमित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	26	श्री पी० जी० मावलंकर	बोनस और उपदान के सम्बन्ध में प्रगतिशील उपाय आरम्भ करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
66	27	श्री पी० जी० मावलंकर	भारत के लोकतंत्रात्मक गणतंत्र में लोकतंत्रात्मक कार्मिक संघ आंदोलन सुदृढ़ करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
66	28	श्री पी० जी० मावलंकर	भारत में प्रभावी स्वस्थ और प्रगतिशील श्रम आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाई करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।

1	2	3	4	5
66	44	श्री पी० जी० मावलंकर	लेखा वर्ष 1971 में दिये गये 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की तरह ही लेखा वर्ष 1972 के लिये भी न्यूनतम बोनस देने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
66	45	श्री पी० जी० मावलंकर	उपदान न्यास बनाने की मांग पर विचार करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत कराने तथा इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की आवश्यकता ताकि सदस्य, आम जनता और कार्मिक संघ जान सकें कि उक्त कार्यकारी दल की सिफारिशें क्या हैं।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
66	46	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों को उनकी भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की अधिक दर देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
66	47	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों को, जो भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं भविष्यनिधि की लेखा पर्चियां समय पर देने की आवश्यकता ताकि उनके लेखे गुम हो जाने के बारे में किसी प्रकार की कोई आशंका न हो।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	48	श्री पी० जी० मावलंकर	सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर, सेवा-निवृत्त होने वाले श्रमिकों को समय पर पैन्शन देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
66	49	श्री पी० जी० मावलंकर	राष्ट्रीय श्रम आयोग की तरह बनाये गये विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश के अनुसार भविष्य निधि की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।

66	50	श्री पी० जी० मावलंकर	मृत मजदूरों के उन उत्तराधिकारियों से जो मृत मजदूरों की भविष्य निधि की जमा राशि के लिए दावे प्रस्तुत करते हैं, भले ही देय राशि 5 हजार रुपये से अधिक हो, सम्पदा शुल्क शोधन प्रमाण-पत्र मांगने की शर्त को समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	51	श्री पी० जी० मावलंकर	उन मजदूरों को आय-कर की अदायगी से छूट देने की आवश्यकता, जिनकी छंटनी की जाती है और जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन दिये गये छटनी मुआवजे पर आय कर देना पड़ता है, जबकि यह मुआवजा मजदूरों को उन्हें नौकरी से अलग किये जाने के बदले में दिया जाता है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	52	श्री पी० जी० मावलंकर	बन्द और रुग्न कपड़ा मिलों के मजदूरों को मजदूरी की तमाम बकाया राशि तुरन्त देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	53	श्री पी० जी० मावलंकर	मजदूरों को प्रत्येक 20 दिन की बजाय जैसा कि इस समय व्यवस्था है, प्रत्येक 10 दिन के बाद एक सवेतन अवकाश देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	54	श्री पी० जी० मावलंकर	सभी उद्योगों में मजदूरों के लिए, उनकी अकस्मात् तथा असामयिक मृत्यु होने पर, परिवार पैन्शन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	55	श्री पी० जी० मावलंकर	कार्य के स्थलों पर पेय जल, जलपान-गृह, विश्राम करने तथा भोजन आदि करने के लिए स्थान, समुचित सफाई की सुविधाएं तथा अच्छे तथा आवश्यक रोशन दान आदि जैसी कार्य की शर्तों के कतिपय न्यूनतम मानकों की विधान द्वारा व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	56	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) से भारत आने वाले शरणार्थियों के समुचित आर्थिक पुनर्वास में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।

1	2	3	4	5
66	39	श्री दीनेन भट्टाचार्य	जो नियोजक भविष्य निधि का अपना अंशदान प्राधिकारी के पास जमा नहीं कराते उनके लिये दण्डात्मक विधान अपनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
66	40	श्री दीनेन भट्टाचार्य	शारीरिक श्रम करने वाले तथा अन्य सभी वर्गों के मजदूरों के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी लागू करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	41	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिये कर्मचारियों से अंशदान लेना बन्द करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	42	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिये नियोजकों के अंशदान की दर बढ़ाने की आंश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
66	43	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अन्तरंग मरीजों को औषधियों की अपेक्षित तथा सही मात्रा सप्लाई करने के लिये समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
66	57	श्री सरोज मुखर्जी	देश के लगभग सब राज्यों में बन्द कपड़े कारखानों को पुन: चालू करने में विफलता, जिससे श्रमिकों को बेरोजगार हो जाने के कारण भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
66	58	श्री सरोज मुखर्जी	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के सब उद्योगों में प्रत्येक श्रमिक के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी 300 रुपये प्रति मास निर्धारित करने की अविलम्ब आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।

66	59	श्री सरोज मुखर्जी	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की भविष्य निधि की राशि जमा कराने में कुछ अनियमितताओं को रोकने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
66	60	श्री सरोज मुखर्जी	देश भर में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वयस्क बेरोजगार को प्रति माह कुछ राशि देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
67	61	श्री सरोज मुखर्जी	श्रमिकों, विशेषतया बागान तथा खान श्रमिकों की कार्य की शर्तों में सुधार करने तथा दुर्घटनाओं एवं मौतों के कारणों को दूर करने जिन के अभागे श्रमिक शिकार हो जाते हैं, में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
67	62	श्री सरोज मुखर्जी	देश की विधियों तथा नियमों के विरूद्ध बच्चों तथा स्त्रियों को रोजगार में रखे जाने को रोकने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
67	63	श्री सरोज मुखर्जी	श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध तथा सब कारखानों, मिलों और अन्य औद्योगिक संस्थानों की उत्पादिकता में सुधार करने सम्बन्धी नीति के निर्धारण में शामिल करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
67	64	श्री सरोज मुखर्जी	हड़तालों तथा तालाबन्दियों, जिन से समूचे राष्ट्र को विनाश का सामना करना पड़ता है, को रोकने के लिए समय से पूर्व अथवा समय पर श्रमिकों और प्रबन्धकों के सब विवादों को हल करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
67	65	श्री सरोज मुखर्जी	श्रमिकों के लिये यह व्यवस्था करने कि जीवन निर्वाह सूचकांक के बढ़ जाने के साथ-साथ अपने आप प्रति मास श्रमिकों की मजूरी, बोनस, महंगाई भत्ता तथा अन्य वित्तीय लाभों में वृद्धि की जाये, जो कि मूल्य वृद्धि की शतप्रतिशत हो।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।

मांग ख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
67	66	श्री सरोज मुखर्जी	युक्तियुक्तकरण तथा संगणकों के लागू किये जाने के कारण छंटनी किये गये श्रमिकों और कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिये जाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
67	67	श्री सरोज मुखर्जी	शिक्षित, दक्ष तथा अदक्ष बेरोजगार व्यक्तियों के लिये नवीनतम आंकड़े रखने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
67	68	श्री सरोज मुखर्जी	समस्त देश में कला तथा विज्ञान विभागों के कालेज छात्रो को, औद्योगिक, हस्तकला तथा तकनीकी जानकारी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समीपवर्ती फैक्टरियो में भेजने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
67	69	श्री सरोज मुखर्जी	एक ऐसी निश्चित योजना आरम्भ करने में असफलता, जिसके अन्तर्गत मालिकों द्वारा कमाये गये फालतू लाभ को ऐसे लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सके जिस से सम्बंध फैक्टरी तथा मिल के मजदूरों को स्वामित्व तथा प्रबन्ध का उचित भाग मिल सके ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
67	70	श्री सरोज मुखर्जी	मजदूरों के कार्मिक संगठनों तथा उनके कार्यचालन में आने वाली सभी कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने तथा उन्हें श्रमिक वर्ग के शत्रु तत्वों के आक्रमण से बचाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।

66	71	श्री रामावतार शास्त्री	असंगठित उद्योगों में 250 रुपये की राष्ट्रीय मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	72	श्री रामावतार शास्त्री	नियोजकों और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करने के लिए बात-चीत की त्रिपक्षीय नीति लागू करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	73	श्री रामावतार शास्त्री	खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	74	श्री रामावतार शास्त्री	नियोजक समर्थक संघों का विकास रोकने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
66	75	श्री रामावतार शास्त्री	मजदूरों और कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	76	श्री रामावतार शास्त्री	सभी मजदूरों और कर्मचारियों को बोनस देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	77	श्री रामावतार शास्त्री	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	78	श्री रामावतार शास्त्री	डाक और तार कर्मचारियों को बोनस देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	2	4	5
66	79	श्री रामावतार शास्त्री	नागर वमिानन कर्मचारियों को बोनस देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	80	श्री रामावतार शास्त्री	रक्षा उद्योगों के कर्मचारियों को बोनस देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	81	श्री रामावतार शास्त्री	सरकार की नियोजक-समर्थक नीति को बदलने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	82	श्री रामवातार शास्त्री	संसद में नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पुनस्थापित करने में विलम्ब।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं।
66	83	श्री रामावतार शास्त्री	मजूरी बोर्डों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों को लागू करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
66	84	श्री रामावतार शास्त्री	चिकित्सा प्रतिनिधयों को कर्मकार करार देने में विफलता।	राशि घटा कर 100 रुपए कर दी जाए।
66	85	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय कर्मचारियों को कर्मकार करार देने में विफलता।	राशि घटा कर 100 रुपए कर दी जाए।
66	86	श्री रामावतार शास्त्री	चिकित्सा प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालयों कर्मचारियों को प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में कर्मकार के रूप में निगमित करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 100 रुपए कर दी जाए।

66	87	श्री रामावतार शास्त्री	रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को बोनस सम्बन्धी अधिकार देने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	88	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उपदान देने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	89	श्री रामावतार शास्त्री	तालाबंदी और जबरन छुट्टी को गैर-कानूनी घोषित करने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	90	श्री रामावतार शास्त्री	वेतन स्थिरीकरण की बात को समाप्त करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	91	श्री रामावतार शास्त्री	श्रमजीवी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	92	श्री रामावतार शास्त्री	परस्पर विरोधी संघों में मान्यता सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए गुप्त मतदान पद्धति लागू करने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	93	श्री रामावतार शास्त्री	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	94	श्री रामावतार शास्त्री	गैर-मान्यता प्राप्त संघों को भी बातचीत करने का अधिकार देने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	95	श्री रामावतार शास्त्री	आल इण्डिया प्राविडेन्ट फन्ड एम्पलाइस फैडेरेशन (अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ) को मान्यता देने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	96	श्री रामावतार शास्त्री	एक उद्योग में एक कार्मिक संघ की नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने और उसे लागू करने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।
66	97	श्री रामावतार शास्त्री	सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को आवास सुविधाएं देने में विफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाए।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : श्रम मंत्रालय की मांगों पर ऐसे समय पर विचार किया जा रहा है जबकि दिल्ली में ही 27,000 कपड़ा कर्मचारी इस महीने की 11 तारीख से हड़ताल पर हैं। बम्बई में एक श्रमिक मजदूर को अब 281 रुपये मिलते हैं परन्तु दिल्ली में उसे केवल 226 रुपये मिलते हैं। यह अन्तर क्यों है ? पश्चिम बंगाल में कल ही चार लाख इंजीनियरिंग श्रमिकों ने अपनी मांगों के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध स्वरूप हड़ताल की थी। लाखों हथकरघा मजदूर बेरोज़गार हो जाने के कारण भूखे मर रहे हैं। गत मास सूत पर सरकारी नियंत्रण की घोषणा के बाद से यह स्थिति और भी विषम हो गई और बेरोजगारी अधिक बढ़ी है। कांग्रेस सरकार अपने शासन के 26 वर्षों में भी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजूरी तय करने में असफल रही है।

श्री सेझियान पीठासीन हुए
Shri Sejhiyan in the Chair

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी क्या होनी चाहिये ? 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर वेतन आयोगों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी 314 रुपये आंकी थी। किन्तु उसने केन्द्रीय सरकार के न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी के लिए केवल 185 रुपये अन्ततः निश्चित किये। यही कारण है कि देश में केन्द्रीय सरकार के 30 लाख कर्मचारियों ने एक मत से वेतन आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। वेतन आयोग ने उच्च अधिकारियों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा किया है। श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। कुछ मामलों में तो इन श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की बजाए कम होंगे। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे वेतन आयोग की रिपोर्ट को तुरन्त रद्द घोषित करे।

यह कहा जा रहा है कि शहरी श्रमिकों की आय ग्रामीण श्रमिकों की तुलना में अधिक है और शहरी श्रमिक गरीबी के स्तर से ऊंचा है। यह कहा गया कि 1970 में श्रमिकों की आय में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु उससे पहले वर्ष की तुलना में उनकी आय में 3 प्रतिशत की कमी हुई। श्रमिकों की आमदनी निरन्तर घटती जा रही है और उन्हें अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। मजूरी सम्बन्धी नीति में एकरूपता नहीं है। साथ ही ग्रामीण और शहरी श्रमिकों में, उनकी आमदनी के आधार पर अन्तर दिखाया जा रहा है ताकि वे एक जुट होकर सरकार की मजूरी संबंधी नीति का विरोध न कर सकें। मजूरी में वृद्धि को स्वीकार न करके सरकार एकाधिकार वादियों और बड़े उद्योगपतियों का साथ दे रही है। आज उद्योगपतियों का लाभ बढ़ता जा रहा है जबकि मजूरों की वास्तविक मजूरी घटती जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही श्रेणियों में श्रमिकों के कार्य भार में वृद्धि होती जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार से एक आदेश दिया गया कि प्रत्येक रोगी को प्रति वर्ष 50 रुपये से अधिक की दवा न दी जाये। उन्हें ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनमें उन्हें विश्वास नहीं होता। ऐसी औषधियों से क्या लाभ। औषधालयों में उचित दवाइयां नहीं मिलती। अब डाक्टर उन्हें तीन दिन से अधिक का चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं देगा इससे अधिक के लिए उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार कर्मचारी

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को जो लाभ प्राप्त थे वे भी उनसे छीन लिये गये । दूसरी बात यह है कि श्रमिकों के अंशदान को औषधालय के भवनों पर या प्रशासनिक खर्च के लिए क्या इस्तेमाल किया जाये । यह खर्च तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए ।

भविष्य निधि के बारे में जितना भी कम कहा जाये उपना ही अच्छा है । मालिकों ने करोड़ों रुपये की राशि अदा नहीं की है । इतना ही नहीं, उन्होंने वह राशि भी अदा नहीं की है जो उन्होंने मजदूरों की मजूरी से काटी है । श्रमिकों को यह विश्वास नहीं है कि उन्हें उनकी भविष्य निधि बुढ़ापे में भी मिल जायेगी । ऐसे मालिकों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती ।

सरकार की मजूरी सम्बन्धी कोई नीति नहीं है । श्रमिकों से अधिक से अधिक काम लिया जाता है और इसी कारण अधिक दुर्घटनाएं होती हैं । 'एटक', 'इन्टक' और 'एच० एम० एस०' श्रमिक संगठनों से प्रतिनिधि लेकर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की एक समिति बनाने का प्रयास किया, जिससे दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हमारे देश में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हैं । किन्तु इस समिति में सरकार की 'हां' में 'हां' मिलाने वाले लोग होंगे और उससे कोई लाभ नहीं होगा । चूंकि 'एटक' संगठन के लोग अब इस बात को समझ गये हैं और वह प्रयास भी विफल होता नजर आ रहा है ।

सी० आई० टी० यू० की सदस्य संख्या 4 लाख से भी अधिक है, किन्तु सरकार ने उससे मान्यता अभी तक नहीं दी है और उसे त्रिपक्षवार्ता में भी सरकार ने नियंत्रित नहीं किया है । सी० आई० टी० यू० से सम्बद्ध संगठनों के सदस्यों पर आक्रमण किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है । किसी संगठन विशेष की सदस्यता छोड़ने के लिये श्रमिकों को बाध्य किया जा रहा है । उस संगठन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो सरकार के पक्ष में जाता है । सरकार संघों को कुचलने के लिए ऐसे हथकंड़े अपना रही है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि श्रमिक वर्ग सरकार के इन हथकंडों के सामने अब नहीं झुकेगा ।

पुनर्वास के सम्बन्ध में केवल यह कहना है कि सरकार गत 25 वर्षों में भी शरणार्थी समस्या को हल नहीं कर पायी है । बंगला देश से जो शरणार्थी भारत आये हैं उनका पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बंगला देश से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर कितना खर्च किया है और पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर कितना खर्च किया था । अन्त में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दें ।

Shri R. R. Sharma (Dhanbad) : Mr. Chairman, Sir, while supporting the demand of Labour Department. I would like to say that these rank of the Minister of Labour has been lowered from cabinet rank to Minister of State rank. As a matter of fact labour should be given due respect. But in our country it is being degraded. Though I do not support what is happening in West Bengal, yet it is a fact that the recognised Union of Durgapur was dislodged without verification and without following proper procedure and on the other hand their own union was recognised. It is one of the factors leading to labour trouble in West Bengal.

Here I want to give a few suggestions. After nationalisation of coal mines the work boad of the Labour Department should be curtailed. Coal Mines Provident Fund Act should be repealed and the coal mining industry should be brought under the Employees Provident Fund Act. The Bill introduced to amend the Employees Provident Fund Act needs some more improvement. The national Commission of Labour suggested that the rate of contribution should be raised from 8 percent to 10 per cent. I suggest that a revised and comprehensive Bill should be introduced in place of the already introduced. It should be extended to the State of Jammu and Kashmir.

There is a large scope of improvement in coal mines welfare activities. The condition of coal mine workers should be increased. The housing facilities of the workers is very inadequate and it will take 200 years to cover all the workers with the present pace of construction. The coal Mines welfare organisation should be handed over to the representatives of the workers so that they can bring speed and effectiveness in its working. Now 80 per cent of mines have been nationalised and 80 per cent of mine workers are Government employees. So we should adopt effective safety measures. For this purpose Government should send its represenatives to other socialist and democratic countries to study the security measures that are adopted there in the mines and good measures should be included ito the Mines Act (Amendment) Bill which is under consideration of the Government of India. The Minimum wages Act was enacted in 1948, but it had not been enforced so far. Government should ensure the enforcement of the provisions of that Act. In last November Government gave an assurance in the consultative Committee meeting held at Hyderabad that the Industries Relations Bill would be brought in the next session but the same has not been so far brought to the House. Government should also direct the Bonus Review Committee that should at least cover the three categories of Central Government employees i.e. those in Railways, Post and Telegraph Deptt. and Defence Production units.

An accident took place at Dhodi in 1965. No compensation is yet paid to the families of 268 mine workers who died in that accident. They should be paid compensation under the workmen's compensation Act, since mines have now been taken over by Government. Coal mine workers want that some wage fixation machinery should be set up. Since the coal mines have been taken over by Government, a meeting of the represenatives of coal mine workers and Central Government should be called so that the issues regarding the fixation of wages of the workers can be decided. One point more, I do not favour the idea of giving recognition to the craft union as brought forward by Shri Shastri. Industrial peace cannot be brought by giving recognition to craft unions with these words I support the Ministry's demands.

डा० रानेन सेन (दारसाट) सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय की मांगों पर हम ऐसे समड़य विचार कर रहे हैं जबकि पूरे भारत में हड़तालों का दौर चल रहा है। दिल्ली में 27,000 कपरा मजदूर हड़ताल पर हैं। हरियाणा के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और गरिफ्तारी दे रहें हैं।

ऋषिकेश में आई० डी० पी० एल० वर्कशाप के 3,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं । सरकारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 1967 से आज तक प्रतिवर्ष जितनी हड़तालें और कार्य-दिवस व्यर्थ गये हैं, उनकी संख्या लगभग समान है । इस श्रमिक अशान्ति का मुख्य कारण सरकार की दोषपूर्ण श्रम नीति है। असंतुष्ट होकर श्रमिक हड़ताल ही करते हैं क्योंकि कोई अन्य विकल्प उनके सामने नहीं है ।

पुराना औद्योगिक विवाद अधिनियम इतना पुराना और श्रमिक विरोधी हो गया है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है । अतः उसे रद्द करके उसके स्थान पर एक नया वृहद औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाया जाये और यह मजूरी कमाने वाले अर्थात विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कालेजों के कर्मचारी, चिकित्सालय और हथकरघा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए । नये विधेयक में श्रमिकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप के अपनी-अपनी यूनियनें बना सकें ।

सभापती महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल पूरा करें ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 27 अप्रैल 1973 /बैशाख, 1885 शक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, April 27 1973/Vaisakha 7, 1895 (Saka).

M/J(D)5LSS—490—1-10-73—GIPS